रजिस्ट्री सं० डी०—(डी०)—73 REGISTERED NO. D—(D)(73)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1981 (फाल्गुन 23, 1902)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1981 (PHALGUNA 23, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 जनवरी 1981

सं० ए० 31014/1/80-प्र०—I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में अस्थाई वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न निजी सचिव (के० स० स्टे० से० का ग्रेड क) श्री आर० एल० ठाकुर को राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) के ग्रेड में स्थाई रूप से सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 31014/1/81-प्रशा०—I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में निजी सचिव (के० स० स्टे० से० का ग्रेड क) श्री एम० सी० खुराना को राष्ट्रपति द्वारा 6-1-1981 (पूर्वाह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (के० स० स्टे० से० का ग्रेड क) में स्थाई रूप में सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 19 फरवरी 1981

सं० ए० 38013/2/80-प्रशा०-III—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में स्थाई अनुभाग अधिकारी श्री पी० एल० माटा को राष्ट्रपति द्वारा 19-2-1981 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के अनुसार सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एस० बालचन्द्रन,
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 फरवरी 1981

सं० III/14029/12/80-एन० ई०-II—इस मंत्रालय के तारीख 18 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या III-14029/12/80-एन० ई०-II के क्रम में राष्ट्रपति उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग में श्री एच० गुहा की

सलाहकार (पशुपालन) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को वर्तमान शर्तों पर 30 जुलाई, 1981 तक, या जब तक यह पद नियम के अनुसार भरा जाता है, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी देते हैं।

एम० पी० खोसला,
निदेशक (एन०ई०सी०)

(का० एवं प्र० सु० विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1981

सं० ए० 20014/387/79-प्रशा०-I—अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्त गुजरात राज्य पुलिस के अधिकारी श्री बी० पी० दवे को दिनांक 31-1-81 के अपराह्न में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा में अपने पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

दिनांक 18 फरवरी 1981

सं० ए० 20014/366/79-प्रशा०-I—अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्त गुजरात राज्य पुलिस के अधिकारी श्री बी० एस० सेठी को दिनांक 4-2-81 के अपराह्न में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा में अपने पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

की० ला० ग्रोवर,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110022, दिनांक फरवरी 1981

सं० ओ० दो०-1526/81-स्था०—राष्ट्रपति जी, डा० राहुल सान्याल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी०डी०ओ० ग्रेड-II (डी० एस० पी०/कम्पनी कमांडर) के पद पर दिनांक 7-2-81 के पूर्वाह्न से, डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाये जाने की शर्त पर, नियुक्त करते हैं।

ए० के० सूरी,
सहायक निदेशक (स्था०)

महानिदेशक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक फरवरी 1981

सं० ई०-38013(3)/12/80-कार्मिक—बड़ौदा से स्थानांतरण होने पर, श्री के० के० कौल ने श्री रघुनाथ सिंह के स्थान पर 26 जनवरी, 1981 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, जी० ओ० एफ० नीमच के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया और रांची में स्थानांतरण होने पर श्री सिंह ने उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई-38013/(3)/12-80-कार्मिक—स्थानान्तरण होने पर श्री ए० एन० द्विवेदी ने 31 दिसम्बर, 1980 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 9 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला में उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 12 फरवरी 1981

सं० ई०-38013(3)/29/80-कार्मिक—कलपक्कम में स्थानान्तरण होने पर, श्री एस० के० मुखर्जी ने 2 जनवरी, 1981 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, कलकत्ता के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 15 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एम० ए० पी० पी० कलपक्कम में उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 19 फरवरी 1981

सं० ई०-29020/66/80-सा० प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री बी० दलाई को 29-4-1980 से के० औ० सु० ब० में मूल रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं।

सं० ई०-38013(3)/9/80-कार्मिक—दुर्गापुर में स्थानांतरण होने पर श्री एस० एम० दास ने 14 जनवरी, 1981 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एफ० सी० आई० सिन्दरी के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013/9/80-कार्मिक—सिन्दरी से स्थानांतरण होने पर श्री एस० एन० दास ने श्री पी० के० लाहिरी के स्थान पर 25 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बी० ओ० जी० एल० दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया और झरिया में स्थानांतरण होने पर श्री लाहिरी ने उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड दिया।

सं० ई०-38013(3)/12/80-कार्मिक—नीमच में स्थानांतरण होने पर श्री के० के० कौल ने 15 जनवरी, 1981 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, आई० पी० सी० एल० बड़ौदा के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(2)/1/80-कार्मिक—बरौनी से स्थानांतरण होने पर श्री एम० डी० सिंह, भा० पु० से० (कर्नाटक-68) ने 7 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, एच० ई० सी० लि० रांची के कमांडेंट पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/9/80-कार्मिक—हल्दिया में स्थानांतरण होने पर, श्री सी० डी० राय ने 16 जनवरी,

1981 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई०-38013(3)/12/80-कार्मिक—देवली से स्थानांतरण होने पर श्री बी० बी० पूवय्या ने 1 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, एच० ई० सी० रांची के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 20 फरवरी 1981

सं० ई०-16013(2)/1/80-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित होने पर, श्री पी० एन० खन्ना, आई० पी० एस० (राजस्थान-67) ने 16 फरवरी, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० मुख्यालय, नई दिल्ली के सहायक महानिरीक्षक (इण्डक्शन व योजना) के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

सुरेन्द्र नाथ
महानिदेशक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 फरवरी 1981

सं० पी०/पी० (35)-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, इस कार्यालय के तारीख 8 अगस्त, 1980 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के हिन्दी अनुवादक, श्री के० एन० पंत की नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा हिन्दी अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 31 मार्च, 1981 तक या जब तक यह पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, विद्यमान शर्तों के अनुसार सहर्ष बढ़ाते हैं।

श्री पंत का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

दिनांक 23 फरवरी 1981

सं० 11/37/80-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री के० आर० नारायण को कर्णाटक, बंगलौर में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 9 अक्तूबर, 1980 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिये या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री नारायण का मुख्यालय बंगलौर में होगा।

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति, श्री नारायण को सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिये कोई हक प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ तौर पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवायें उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिये नहीं गिनी जाएगी। उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को नियुक्त प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

पी० पद्मनाभ
भारत के महापंजीकार

श्रम मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक मार्च 1981

सं० 23/3/79-सी० पी० आई०—जनवरी 1981 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) दिसम्बर, 1980 के स्तर से तीन अंक बढ़ कर 411 (चार सौ ग्यारह) रहा । जनवरी, 1981 माह का सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 पर परिवर्तित किये जाने पर 500 (पांच सौ) आता है ।

जितेन्द्र नाथ शर्मा
संयुक्त निदेशक

मुद्रण निदेशालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 20 फरवरी 1981

सं० बी०(19)-प्रशा०-II-निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर, भारत सरकार फार्म भण्डार, कलकत्ता में सहायक प्रबन्धक (प्रशा०), श्री डी० एन० बिश्वास, 31 जनवरी, 1981 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

एच० सी० शर्मा
उप निदेशक (प्रशा०)

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 18 फरवरी 1981

सं० बी० एन० पी०/सी०/5/81—श्री एस० के० शुक्ला जिन्हें स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारी (मुद्रण एवं प्लेट निर्माण) के पद पर दिनांक 31-8-80 से, अधिसूचना क्र० बी० एन० पी०/सी०/5/80 दिनांक 7-9-80 के द्वारा नियुक्त किया गया था, को दिनांक 10-2-81 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर पदावनत किया जाता है।

मु० वै० चार
उप महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 फरवरी 1981

सं० 441/सी० ए० I/81-80—अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नत करके लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं और आगे आदेश दिये जाने तक प्रत्येक नाम के सामने कालम 4 में लिखित कार्यालय में कालम 5 में लिखित तारीखों से उसी रूप में तैनात करते हैं :—

क्रम सं०	अनुभाग अधिकारी (वा०) का नाम	कार्यालय जहां पदोन्नत से पहले कार्यरत हैं	कार्यालय जहां पदोन्नत के बाद लेखा परीक्षा अधिकारी (वा०) के रूप में तैनात किये गये हैं	स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी (वा०) के रूप में तैनाती की तारीख
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	एस० गोपालन-II	महालेखाकार-II तमिलनाडु	महालेखाकार, उड़ीसा, भुवनेश्वर	30-7-1980
2.	जगदीश चन्द्र दुग्गल	महालेखाकार, पंजाब चण्डीगढ़	महालेखाकार, जम्मू व काश्मीर, श्रीनगर	29-7-1980

सं० ए० सोमेश्वरराव
उप निदेशक (वाणिज्यिक)

महालेखाकार का कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 20 फरवरी 1981

सं० प्रशा०-1/8-132/80-81/436—महालेखाकार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य, श्री आर० रामचन्द्रन को महालेखाकार आंध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840-40-1000-ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 13-2-81 के अपराह्न से जब तक आगे आदेश न दिये जायें, नियुक्त किया जाता है, यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिट अर्जी के आदेशों के अधीन दिया गया है।

सं० प्रशा०-1/8-132/80-81/436—महालेखाकार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री टी० एल० नरसिंहाराव को महालेखाकार आंध्र प्रदेश हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840-40-1000-ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 13-2-81 के पूर्वाह्न से जब तक आगे आदेश न दिये जायें, नियुक्त किया जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिट अर्जी के आदेशों के अधीन दिया गया है।

रा० हरिहरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा०)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय रक्षा लेखा नियन्त्रण (वायु सेना)

देहरादून, दिनांक 1 जनवरी 1981

सं० प्रशा०-I/8766-गोप०—श्री बचन सिंह भटराज्या, स्थायी लेखा परीक्षक (लेखा सं० 8308670) सुपुत्र श्री उदय सिंह भटराज्या, निवासी ग्राम एवं डाकखाना हनुमान-चट्टी, बद्रीनाथ, जिला चमोली और कार्यालय रक्षा लेखा उपनियंत्रक (वायु सेना) नई दिल्ली में सेवारत, दिनांक 1-11-1978 से बिना छुट्टी के अनुपस्थित हैं, विभागीय नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के पश्चात्, रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून द्वारा उन्हें दिनांक 24-11-80 से सेवा से हटाए जाने का दण्ड दिया गया है। क्योंकि सेवा से हटाए जाने का आदेश जो उन्हें उनके उपलब्ध पत्ते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, वितरित हुए बिना वापस प्राप्त हुआ है, इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री बचन सिंह भटराज्या को सेवा से हटाए जाने का आदेश उक्त तिथि से पूर्ववत् माना जाएगा।

एच० आर० अरोड़ा,
लेखा अधिकारी (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय

डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय सिविल सेवा

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता-700069, दिनांक 20 फरवरी 1981

सं० 4/81/ए०/ई-1 (एन० जी०)—महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां महोदय प्रवर्तन महानिदेशालय स्पेशल यूनिट,

225/सी०, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड़, कलकत्ता के श्री देव दत्त मुखर्जी, सहायक (स्थायीवत्त) को असिस्टैन्ट स्टाफ अफसर (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर दिनांक 2-2-81 (पूर्वाह्न) से ओ० एफ० बोर्ड, कलकत्ता में नियुक्त करते हैं।

डी० पी० चक्रवर्ती,
सहायक महानिदेशक/प्रशासन
कृते महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-16 दिनांक 13 फरवरी, 1981

सं० 6/81/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर श्री एस० के० सेनगुप्ता, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० (मौलिक एवं स्थायी एस० ए०/फौरमैन), दिनांक 31-1-81 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय

बम्बई-400 022, दिनांक 13 फरवरी 1981

सं० 17/8/77-स्थापना—श्री एन० वी० रामास्वामी, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र बम्बई ने स्वैच्छिक निवृत्ति के परिणामस्वरूप 31 जनवरी 1981 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

ए० के० चक्रवर्ती,
महानिदेशक।

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 1981

सं० 6/1341/80-प्रशा० (राज०)/776—राष्ट्रपति, श्री आर० सिवासेलम, भारतीय प्रशासन सेवा (प० बंगाल केडर) को उनकी सेवाएं भारत सरकार को सौंप दी जाने पर 17 दिसम्बर, 1980 के पूर्वाह्न से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, मद्रास के रूप में नियुक्त करते हैं।

मणि नारायणस्वामी,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वस्त्र विभाग

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 19 फरवरी 1981

सं० ई० एस० टी० 1-2(707)/527—वस्त्र आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालय कोईम्बतूर के सहायक निदेशक द्वितीय श्रेणी श्री टी० ए० कुरुविला सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 जनवरी 1981 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

आंजनेया,
उप निदेशक (प्रशासन)

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1981

सं० ए०-12022/8/80-स्थापना—वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में तदर्थ रसायनज्ञ श्री किशन राम आर्य को 12 फरवरी, 1981 के पूर्वाह्न से आगे और आदेश होने तक उसी निदेशालय में अस्थायी नियमित आधार पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-1200 रुपए के वेतनमान में विकास अधिकारी (तेल) के पद पर नियुक्त किया गया है।

दिनांक 18 फरवरी 1981

सं० ए०-11013/1/79-स्थापना—इस निदेशालय की 20 अगस्त, 1980 की इसी सं० की अधिसूचना के क्रम में नागरिक पूर्ति मंत्रालय में स्थानापन्न वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री पी० एस० रावत की वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में हिन्दी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर पहली मार्च 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, जारी रखा गया है।

अ० कु० अग्रवाल,
मुख्य निदेशक

इस्पात और खान मंत्रालय

इस्पात विभाग

लोहा एवं इस्पात नियंत्रण

कलकत्ता-20, दिनांक 21 फरवरी 1981

सं० ई० 1-13(160)/79—सहायक लौह एवं इस्पात नियंत्रक के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप ई० पी० नारायणन ने फरवरी 13, 1981 ई० के पूर्वाह्न से वरिष्ठ वैक्तिक सहायक का पदभार छोड़ दिया है।

सं० ई० 1-2(9)/79—लोहा एवं इस्पात नियंत्रक एतद्द्वारा इस कार्यालय में सहायक लोहा एवं इस्पात नियंत्रक के रिक्त पद पर निम्न व्यक्तियों को 13-2-81 पूर्वाह्न से पदोन्नति कर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है।
श्री सिडनी एच० मेकगीन,
श्री ई० पी० नारायणन्।

एस० एन० विश्वास,
संयुक्त लोहा एवं इस्पात नियंत्रक।

कलकत्ता-20, दिनांक 12 फरवरी 1981

सं० ई० 1-12(23)/81 ( )—लौह एवं इस्पात नियंत्रक ने एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर दिनांक 27 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से सहायक लौह एवं इस्पात नियंत्रक के रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप में श्री हरबंस सिंह को नियुक्त किया है।

एस० के० बसु,
उप लौह एवं इस्पात नियंत्रक

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 16 फरवरी 1981

सं० 713 डी०/ए०-19012(3-एस० टी० आई०)/80-19बी०—श्री एस० टी० इंग्ले को सहायक रसायनज्ञ के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के न्यूनतम वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 6-12-1980 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

सं० 782 बी०/ए०-32013(1-निदेशक)/81-19 ए०—राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक (वरिष्ठ) श्री एस० बनर्जी, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाहर प्रतिनियुक्ति पर थे, को निदेशक (भू-विज्ञान) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में "अगले निचले नियमों" के अंतर्गत 1500-60-1800-100-2000 रु० के वेतनमान में, 10-9-79 से प्रोफार्मा पदोन्नति स्वीकार करते हैं।

सं० 795 बी०/ए०-19012(3-सी० आर० एम० आर)/80-19बी०—डा० सी० आर० एम० राव को सहायक रसायनज्ञ के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के न्यूनतम वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 1-12-1980 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

दिनांक 18 फरवरी 1981

सं० 893 बी०/ए०-19012/(7-जे० वाई०)/72-19 ए०—श्री जैकब यूहान्ना को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद (जिसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मिलाया तथा पुनः पद नामित किया गया) में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 9-2-1976 से स्थायित्व घोषित किया जा रहा है।

वी० एस० कृष्णस्वामी,
महानिदेशक

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 16 फरवरी 1981

सं० 4-175/81/स्था०—निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण ने श्री वी० रामचन्द्र रेड्डी को इस सर्वेक्षण के अण्डमान और निकोबार क्षेत्र, पोर्ट ब्लैयर में सहायक संग्रहालयपालक के पद पर अगले आदेश तक अस्थायी रूप में 5 फरवरी, 1981 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया है।

एन० आर० आईच,
प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 18 फरवरी 1981

सं० सी०-5692/579-ए०—श्री कान्ति प्रकाश, जो स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य सिविल सेवा ग्रुप "बी") के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए गए थे, अब 6 दिसम्बर 1980 से अपने पद पर स्थायी किए जाते हैं।

सं० सी०-5693/724-एस० ओ० एस० (ए०)—निम्नलिखित स्टोर सहायक (सिले० ग्रेड) जो अपने नाम के सामने दी गई अधिसूचना संख्या के अधीन सहायक स्टोर अधिकारी (सा० सि० से० ग्रुप "बी") के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए गए थे, अब 6 दिसम्बर, 1980 से उपर्युक्त पदों पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाते हैं :—

क्रं०	नाम	तदर्थ नियुक्ति की तारीख	अधिसूचना सं० तथा तारीख	वर्तमान नियुक्ति
1.	श्री डी० धनसेखरन	12-5-80	सं० सी०-5630/724-एस० ओ० एस० (ए) दि० 19/20 जून, 80	दक्षिणी सर्किल बैंगलूर
2.	श्री बिश्वम्बर सिंह	30-5-80 (पूर्वाह्न)	सं० सी०-5639/724-एस० ओ० एस० (ए०) दि० 25 जुलाई, 80	अनुसंधान एवं विकास निदेशालय, हैदराबाद

सं० सी०-5694/718-ए०—श्री एच० पी० डोभाल, अधीक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, श्री एम० राजू, स्थापना एवं लेखा अधिकारी, जिनका स्थानान्तरण हो गया है, के स्थान पर दक्षिण पूर्वी सर्किल कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भुवनेश्वर में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सा० सि० से० ग्रुप "बी") के पद पर 840-40-1000-द० रो०-40-1200रु० के वेतनमान में 30 दिसम्बर, 1980 (पूर्वाह्न) से नियक्त किए जाते हैं।

सं० सी०-5695/718-ए०—श्री ए० बी० सरकार, स्थानापन्न अधीक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय (इस समय मैप क्यूरेटर के पद पर प्रतिनियुक्त), दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 (अपराह्न) से श्री राम लाल स्थापना एवं लेखाधिकारी, जो छुट्टी पर गए हैं, के स्थान पर पूर्वी सर्किल कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता में स्थापना एवं लेखाधिकारी (सा० सि० सेवा ग्रुप "बी") के पद पर 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।

सं० सी०-5696/718-ए०—श्री एम० राजू, स्थानापन्न अधीक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, जिन्हें अधिसूचना संख्या सी०-5647/718-ए दिनांक 5 अगस्त, 1980 के अंतर्गत दिनांक 26 मई, 1980 (पूर्वाह्न) से स्थापना एवं लेखाधिकारी (सामान्य सिविल सेवा ग्रुप "बी") के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया था, अब दिनांक 6 दिसम्बर, 1980 से उसी पद पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

सं० सी०-5697/718-ए०—श्री एस० एन० भुब्बाराव, कार्यालय अधीक्षक (वरिष्ठ वेतनमान), सर्वे प्रशिक्षण मानचित्र उत्पादन केन्द्र दिनांक 21 नवम्बर, 1980 पूर्वाह्न से सर्वे० प्रशिक्षण मानचित्र उत्पादन केन्द्र में स्था० एवं लेखाधिकारी (सा० सि० सेवा ग्रुप "बी" पद पर) 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

के० एल० खोसला,
मेजर-जनरल
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्ति प्राधिकारी)

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1981

सं० 10/8/80-एस०-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री बी० आर० सिद्दीकी, वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक, आकाशवाणी, लखनऊ को आकाशवाणी, गोरखपुर में 31-1-81 (पूर्वाह्न) से पहले आदेशों तक सहायक इंजीनियर के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 10/36/80-एस०-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री सुरजीत राव को, उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी, चिन्सुरा में 4-2-1981 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, सहायक इंजीनियर के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

एच० एन० विश्वास,
प्रशासन उपनिदेशक (ई०)
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 1981

सं० ए० 12025/6/80-प्र०-1 (भाग)—निदेशक, प्रकाशन विभाग, श्री सी० बी० गुप्ता की व्यापार व्यवस्थापक के पद पर पदोन्नति हो जाने पर श्री डी० एन० लेहन, स्थानापन्न व्यापार कार्यकारी को बिल्कुल अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक व्यापार व्यवस्थापक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2 यह तदर्थ नियुक्ति श्री लेहन को सहायक व्यापार व्यवस्थापक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का हक प्रदान नहीं करती। यह सेवा उस ग्रेड की वरीयता के लिये भी नहीं गिनी जायेगी।

एम० एम० बी० एस० जैन
उप निदेशक (प्रशासन)

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 फरवरी 1981

सं० ए०-12026/14/80-स्थापना—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी श्री ए० के० रे को 4 फरवरी, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहायक प्रोडक्शन प्रबन्धक (बाह्य प्रचार) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जनकराज लिखी,
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1981

सं० ए० 12026/24/79-(एच० क्यू०) प्रशा०—राष्ट्रपति ने सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपू, मद्रास के सहायक डिपू प्रबंधक श्री पी० के० गुहा को 4 फरवरी, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली (भारतीय भेषज गुण विज्ञान समिति) में सहायक सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

शाम लाल कुठियाला,
उप निदेशक प्रशासन

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 17 फरवरी 1981

सं० ए०-12026/2/78-प्र०-III—इस निदेशालय के अधीन फरीदाबाद में लेखा अधिकारी के रूप में श्री शिव कुमार सूद की प्रतिनियुक्ति, जो आरम्भ में दिनांक 18-11-1978

से 2 वर्ष की अवधि के लिए थी, अगले की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की वर्तमान शर्तों पर दिनांक 19-11-1980 से 30-4-1981 तक बढ़ाई गई है।

दिनांक 20 फरवरी 1981

सं० ए०-19025/40/80-प्र०-III—विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ग ब) की संस्तुतियों के अनुसार श्री हरपदा कुन्डू, जो तदर्थ आधार पर सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग 1) के रूप में काम कर रहे हैं, को नई दिल्ली में दिनांक 3-2-1981 से अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग 1) के रूप में पदोन्नत किया गया है।

बी० एल० मनिहार,
निदेशक प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कार्मिक प्रभाग

बम्बई-400085, दिनांक 27 जनवरी 1981

सं० पी० ए०/73 (11)/80 आर 4—निदेशक, भा० पं० अ० के० एवं सचिव, भारत सरकार डा० जोशी दीपक प्रभाकर को भा० पं० अ० के० के चिकित्सा प्रभाग में 17 जनवरी 1981 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से निवासी चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

ए० शान्ताकुमारा मेनोन,
उप-स्थापना अधिकारी

बम्बई-400085, दिनांक 31 जनवरी 1981

सं० पी० ए०/68(6)/77-आर०-5—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री उपाध्याय राधेश्याम की, इस अनुसंधान केन्द्र के बैरिलयम पाइलट संयंत्र परियोजना में, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० के रूप में अस्थायी नियुक्ति को, 28 फरवरी 1981 (अपराह्न) से नियत समयावधि 30 जून 1981 तक बढ़ाते हैं।

वी० डी० घाडगे
उपस्थान अधिकारी

बम्बई-400 085, दिनांक 11 फरवरी 1981

सं० 7 (7)/77-पुष्टिकरण/813 नियंत्रक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग में स्थायी सहायक, तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी, श्री एस० डी० मेहता को, 1 अगस्त 1977 से सहायक प्रशासन अधिकारी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० रंगनाथन,
उप स्थापना अधिकारी

बम्बई-400085, दिनांक 19 फरवरी 1981

सं० बी०/415/मैडी०/स्थापना 1/853—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्रीमती टी० आर० वलसंगकर, मैट्रन को अवकाश स्वीकृत होने पर बी० ए० आर० सी० में स्थानापन्न सहायक मैट्रन तथा स्थायी सिस्टर इनचार्ज श्रीमती आर० बी० मिस्त्री को दिनांक 10-11-1980 से 12-12-1980 तक इस अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ रूप से मैट्रन पद पर कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

कुमारी एच० बी० विजयकर
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 16 फरवरी 1981

सं० डी० पी० एस०/23/8/77-स्था०/3407—निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री जे० जी० साठे, लेखापाल (तदर्थ) को स्थानापन्न रूप से रुपए 650-30-740-35-880-ई० बी०-40-960 के वेतन क्रम में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर इसी निदेशालय में दिनांक 24 मई 1980 से 18 अगस्त 1980 तक तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

सी० वी० गोपालाकृष्णनन्,
सहायक कार्मिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 762, दिनांक 25 जनवरी 1981

आदेश

सं० नाईस/का० प्र० 5/2606/0581/264—जब कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के मृत्तिका ईंधन गढ़न संयंत्र के कारीगर "अ" श्री एम० वी० श्री हरि दिनांक 26-3-1980 के पश्चात् से काम पर से अवकाश की बिना पूर्व अनुज्ञा/स्वीकृति के अनुपस्थित रहे;

और जब कि उक्त श्री श्री हरि ने तदनन्तर 11 दिन की दिनांक 26-3-1980 से 5-4-1980 पर्यन्त अनुपस्थिति की अवधि की दिनांक 30-3-1980 को एक लिखित सूचना भेजी;

और जब कि श्री श्री हरि दिनांक 6-4-1980 के पश्चात् से काम पर आने में असफल रहे;

और जब कि उक्त श्री श्री हरि को प्रशासन द्वारा जारी किए गए पत्र सं० नाईस/का० प्र० 4/स-32/ई ग/919, दिनांक 16-4-1980 के अनुसार काम पर तत्काल आने के लिए निदेश दिया गया।

और जब कि दिनांक 16-4-1980 के पत्र को उक्त श्री श्री हरि ने ग्रहण किया;

और जब कि उक्त श्री श्री हरि, दिनांक 16-4-80 के पत्र में उन को दिए गए अनुदेशों की अवहेलना करते हुए काम से निरंतर अनुपस्थित रहे;

और जब कि उक्त श्री श्री हरि को ज्ञापन सं० ना ई स/का प्र० 5/2606/0581/3410, दिनांक 11-12-1980 द्वारा उनके विरुद्ध आरोप एवं कार्यवाही की सूचना दी गई;

और जब कि उक्त श्री श्री हरि के एक मात्र ज्ञात पते अर्थात् निवास सं० 6-7, मलकाजगिरि, सिकंदराबाद पर दिनांक 11-12-1980 को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित ज्ञापन डाक प्राधिकारियों द्वारा बिना वितरित किए हुए इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दिया गया कि "प्रेषिती मेरी कार्यविधि में 7 दिनों से निरंतर अनुपलब्ध है";

और जब कि उक्त श्री श्री हरि अनधिकृत रूपेण काम से निरंतर अनुपस्थित रहे तथा अपना अता-पता नहीं सूचित किया;

और जब कि उक्त श्री श्री हरि स्वेच्छापूर्वक सेवा त्यागने के दोषी हैं;

और जब कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र को बिना अपना वर्तमान अता-पता सूचित किए सेवा त्यागने के कारण अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के स्थायी आदेशों के अनुच्छेद 41 और/या केन्द्रीय नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1965 के नियम 14 की व्यवस्थाओं के अनुसार जांच करना तर्क युक्त व व्यावहारिक नहीं है;

अतः, अब, अधोहस्ताक्षरी नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के स्थायी आदेशों के अनुच्छेद 43 को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 22(1)/68-प्रशासन II, दिनांक 2-12-1980 द्वारा संशोधित आदेश सं० 22(1)/68-प्रशासन II, दिनांक 7-7-1979 को संयोजित करते हुए, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के मृत्तिका ईंधन गढ़न संयंत्र के उक्त कारीगर "अ" श्री एम० बी० श्री हरि को तुरन्त प्रभाव से सेवाओं से निष्कासित करते हैं।

श्री आर० राजेन्द्रन
वरिष्ठ प्रबन्धक (यू०)

श्री एम० बी० श्री हरि,
नि० सं० 6-7, मलकाजगिरी,
सिकंदराबाद

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

कलपाक्कम-603 102, दिनांक 29 अक्तूबर 1980

सं० एम० ए० पी० पी०/18(112)/80-भर्ती—मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर ने परियोजना के निम्नलिखित कर्मचारियों में से प्रत्येक को उनके नाम के सामने दिए गए ग्रेड में उसी परियोजना में 1 अगस्त, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है:—

क्र० सं०	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड, जिस पर नियुक्ति की गई है
1.	श्री सी० गोविन्दन	वैज्ञानिक सहायक सी०	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-एस० बी०
2.	श्री एन्० वैरामुत्तु	—वही—	—वही—
3.	श्री मोहिन्दर सिंह	—वही—	—वही—
4.	श्री टी० वी० षंमुखसुन्दरम	—वही—	—वही—
5.	श्री वी० पी० बालकृष्णन	—वही—	—वही—
6.	श्री पी० वेंकटेसन	—वही—	—वही—
7.	श्री वी० आर० सतीशन	—वही—	—वही—
8.	श्री एल० यू० भास्कर वर्मा	—वही—	—वही—
9.	श्री ए० एन० शिवप्रसाद राव	—वही—	—वही—
10.	श्री एस० अरमुगम	—वही—	—वही—

आर० पी० हरन
प्रशासनिक अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

इसरो उपग्रह केन्द्र

बेंगलर-560 058, दिनांक 10 फरवरी 1981

सं० 020/3(061)/ए०/81—इसरो उपग्रह केन्द्र के निदेशक निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दिए गए पद एवं सूचित दिनांक के पूर्वाह्न से अंतरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलोर में अन्य आदेश तक पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

क्रमांक	नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री एस० मोहन कुमार	वैज्ञानिक/अभियंता एस० बी०	24-11-80
2.	कुमारी ए० आर० श्यामला	वैज्ञानिक/अभियंता एस० बी०	16-1-81
3.	श्री दीपक कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक/अभियंता एस०बी०	27-1-81

एस० सुब्रह्मण्यम
प्रशासन अधिकारी-II

शार केन्द्र

नेल्लूर, दिनांक 1981

सं० श्री सा० सु०/का० और सा० प्र०/स्थाप०/1. 72—श्री सूर्यप्रकाश राव को सहायक कैंटीन प्रबंधक के पद पर पदोन्नति द्वारा शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में दिनांक 5 फरवरी, 1981 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न क्षमता के रूप में नियुक्ति करने शार केन्द्र के निदेशक ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की है।

श्रीहरिकोटा-524 124, दिनांक 5 फरवरी 1981

सं० श्री० सा० मु०/का० और सा० प्र०/स्थाप०/1. 72—शार केन्द्र के निदेशक ने निम्नांकित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी० पद पर शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में नियुक्ति करने के लिये अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। ये सभी कर्मचारी निर्देशित तारीखों से स्थानापन्न क्षमता के रूप में काम करेंगे।

क्र०सं०	नाम	नियुक्ति तारीख
1.	श्री इ० सूर्यनारायण	20–1–1981
2.	श्री ए० जयरामी रेड्डी	27–1–1981
3.	श्री जी० रामलिंगम	30–1–1981

आर० गोपालरत्नम
प्रधान, कार्मिक और सामान्य प्रशासन प्रभाग
कृते निदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

दिनांक 20 जनवरी 1981

सं० ए० 32013/7/79–ई०–I—राष्ट्रपति ने नम्नलिखित अधिकारियों की वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति प्रत्येक के नाम के सामने दी गई अवधि के लिये जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है।

सर्वश्री

1. बी० के० गांधी—22–5–80 के बाद 31–12–80 तक
2. जे० एस० चोहान—22–5–80 के बाद 31–12–80 तक
3. कुलदीप राय —22–5–80 के बाद 27–6–80 तक
4. बी० आर० शर्मा—22–5–80 के बाद 27–6–80 तक।

सं० ए० 33023/1/76-ई०-I—राष्ट्रपति ने, श्री एन० रंगनाथन, वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 24-9-79। से सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

दिनांक 12 फरवरी 1981

सं० ए० 32013/8/80–ई० ए०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से और अन्य आदेश होने तक उपनिदेशक/नियंत्रक विमानक्षेत्र के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है:

क्र० सं०	नाम	तैनाती स्टेशन	पदोन्नति की तारीख
	सर्वश्री		
1.	एल० बी० टिमिन्स	उपनिदेशक, बम्बई एयरपोर्ट	26-11-80
2.	एस० एस० बेवली	उपनिदेशक, ए० आर० ए० (ओ०) मुख्यालय	17-11-80
3.	जी० सी० लोहार	उपनिदेशक, कलकत्ता एयरपोर्ट	26-11-80
4.	सर्वश्री प्रेम नाथ	उपनिदेशक, ए० आर० ए० (पी०) (मुख्यालय)	17–11–80
5.	एस० एच० सोनटक्के	उपनिदेशक, गोहाटी एयरपोर्ट	26–11–80
6.	जी० लकड़ा	उपनिदेशक, बम्बई एयरपोर्ट	26–11–80
7.	जे० एन० मेनन	उपनिदेशक, ए० आर० ए० (पी०) मुख्यालय	24–11–80
8.	बी० पी० जयसवाल	उपनिदेशक, दिल्ली एयरपोर्ट, पालम	24–11–80
9.	आर० जी० श्रीवास्तव	क्षेत्रीय नियंत्रक विमानक्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र	24–11–80
10.	आर० आई० सिंह	उपनिदेशक, वाराणसी एयरपोर्ट	25–11–80
11.	जे० प्रिन्स	उपनिदेशक, मद्रास एयरपोर्ट	15–12–80
12.	एम० सिन्हा	उपनिदेशक, कलकत्ता एयरपोर्ट	24–11–80
13.	बी० एन० नागपाल	उपनिदेशक, दिल्ली एयरपोर्ट	24–11–80
14.	के० जी० अय्यर	उपनिदेशक, मद्रास एयरपोर्ट	23–12–80
15.	वी० जी० करनाद	उपनिदेशक, बम्बई एयरपोर्ट	26–11–80
16.	टी० एस० एन० राव	उपनिदेशक, दिल्ली एयरपोर्ट	24–11–80
17.	बी० एम० राय	उपनिदेशक, कलकत्ता, एयरपोर्ट	22–1–81

दिनांक 13 फरवरी 1981

सं० ए० 32013/12/78–ई० ए०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री पी० पी० जी० नय्यर, विमानक्षेत्र अधिकारी, सिविल विमानक्षेत्र विशाखापटनम दिनांक 30–11–80 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए है।

सं० ए० 32013/12/78–ई० ए०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री डी० संतानम विमानक्षेत्र अधिकारी मद्रास एयरपोर्ट, दिनांक 31 जनवरी, 1981 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

सुधाकर गुप्ता
उप-निदेशक, प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1981

सं० ए० 32014/1/77-ई० डब्ल्यू०—महानिदेशक, नागर विमानन ने श्री विश्राम सिंह, वरिष्ठ फायर फोरमैन को :—

I. दिनांक 5-5-1978 से 12-4-79 तक और

II. दिनांक 12-4-1980 से 28-2-1981 तक अथवा सहायक फायर अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक अग्निशमन अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति अनुमोदित की है।

2. श्री विश्राम सिंह को अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता में तैनात किया गया है।

3. पूर्वोक्त नियुक्ति हो जाने पर वे नियमित नियुक्ति का दावा करने के हकदार नहीं होंगे और न ही उनकी यह सेवा ग्रेड में वरिष्ठता और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिये गिनी जाएगी।

ई० एल० ट्रैसलर
सहायक निदेशक, प्रशा०

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1981

सं० ए० 32014/2/80-ई० एस० (i)—महानिदेशक, नागर विमानन ने श्री एस० सी० मलिक, अधीक्षक को दिनांक 27 जनवरी, 1981 पूर्वाह्न से 6 मास की अवधि के लिये क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास क्षेत्र, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास के कार्यालय में तदर्थ आधार पर प्रशासनिक अधिकारी (समूह "ख" पद) के रूप में नियुक्त किया है।

सं० ए०-32014/2/80-ई० एस० (ii)—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री के० टी० सीन, अधीक्षक को दिनांक 17 जनवरी, 1981 पूर्वाह्न से 6 मास की अवधि के लिये, प्रिंसिपल, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बमरौली, इलाहाबाद के कार्यालय में तदर्थ आधार पर प्रशासनिक अधिकारी (समूह "ख") पद में नियुक्त किया है।

सं० ए० 38015/3/80-ई० एस०—क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्र, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय के श्री एस० जे० गौड़, प्रशासनिक अधिकारी (समूह "ख" पद) ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 30 नवम्बर, 1980 अपराह्न से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

वी० जयचन्द्रन,
सहायक निदेशक, प्रशा०

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 23 फरवरी 1981

सं० 42016/1/80-प्रशा०चार/इस्टे०-I—केन्द्रीय जल आयोग की अधिसूचना सं० 42016/80-प्रशा० चार, दिनांक 8-9-80 के अनुक्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग निम्नलिखित अधिकारियों को, रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निदेशक (हाइड्रोमेट) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 31-8-81 तक की और अवधि तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :—

1. श्री डी० एस० मदान
2. श्री ए० पी० खन्ना
3. श्री विनोद कौल
4. श्री एस० वेंकटरमन्
5. श्री रवीन्द्र सक्सेना
6. श्री एल० पी० भूथान

अतिरिक्त सहायक निदेशक के ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति पूर्णतः स्थानीय व्यवस्था के रूप में है और इससे उन्हें केन्द्रीय जल आयोग में नियमित पदोन्नति अथवा वरिष्ठता के लिये दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के० एन० भंडूला
अवर सचिव

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी विधि बोर्ड

आय-कर अपील अधिकरण

बम्बई-400 020, दिनांक 13 फरवरी 1981

सं० एफ०-48-ए० डी० (ए० टी०)/80—निवर्तन की आयु को प्राप्त हो जाने पर श्री एल० आर० अग्रवाल, जो आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई के स्थायी सहायक पंजीकार थे, दिनांक 31 जनवरी, 1981 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

दिनांक 17 फरवरी 1981

सं० एफ०-48-ए० डी० (ए० टी०)/80—श्री राम दुलारे, सहायक पंजीकार, आय-कर अपील अधिकरण, चण्डीगढ़, न्यायपीठ, चण्डीगढ़ को, उनके स्वयं के अनुरोध पर अपने मूल विभाग (कार्यालय महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, रक्षा मंत्रालय, डी० एच० क्यू०, पी० ओ० नई दिल्ली-11)में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

उन्होंने दिनांक फरवरी, 7,1981 (अपराह्न) को सहायक पंजीकार, आय-कर अपील अधिकरण, चण्डीगढ़ न्यायपीठ, चण्डीगढ़ के पदभार का त्याग कर दिया।

टी० डी० सुग्ला
अध्यक्ष

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और नार्दर्न इण्डिया मर्केन्टाइल एजेन्सीज प्रा० लि० के विषय में।

कानपुर, दिनांक 24 फरवरी, 1981

सं० 3845/900–एल० सी०—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नार्दर्न इण्डिया मर्केन्टाइल एजेन्सीज प्रा० लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित कर दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और राज एण्ड राज लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 24 फरवरी, 1981

सं० 3846/4184/एल० सी०—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर राज एण्ड राज लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज एण्ड इण्डस्ट्रीज कं० प्रा० लि० के विषय में।

कानपुर, दिनांक 24 फरवरी 1981

सं० 3849/1197–एल० सी०—अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी प्रा० लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वेद प्रकाश कपूर
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
कानपुर (यू०पी०)

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, पटना

पटना, दिनांक 17 फरवरी 1981

निदेश सं० III/464/अर्जन/80-81—अतः मुझे, हृदय नारायण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी सं० 143, वार्ड सं० 2 सर्किल सं० 6, एम० एस० प्लैट सं० 85, सीट सं० 80 होल्डिंग सं० 177/3, एवं 190 है, तथा जो फ्रेजर रोड, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अवध नन्दन सिंह बल्द स्व० मूल चन्द सिंह निवासी बहादुरपुर पत्तालय, राजेन्द्र नगर थाना, सुल्तान गंज, जिला पटना ।

(अन्तरक)

2. श्री मिथिलेश कुमार सिंह बल्द स्व० राम रतन सिंह निवासी गोटपा, थाना चिक्रम गंज, जिला रोहतास बहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर : होटल चाणक्य प्रा० लि० बुद्ध बिल्डिंग, बुद्ध मार्ग पटना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का रकबा 1 कट्ठा मकान सहित जो फ्रेजर रोड, पटना में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप नासिका नं० 4617, दिनांक 19-6-80 को पंजीकृत हुआ है, तथा जो जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी पटना के अन्तर्गत है ।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, पटना

तारीख : 17-2-81
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भूवनेश्वर

भूवनेश्वर, दिनांक 6 फरवरी 1981

निदश सं० 2/80-81—यतः मुझे, बी० मिश्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2880 है, जो बालुखण्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पूरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 23-6-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्रीमती हेमा प्रभा गांगुली

(अन्तरक)

2. श्री बिपन बिहारी पती
हरचन्डी साही, पूरी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

The land with building located at Mouza Balukhanda Block H, Plot No. 457, Holding No. 671, Ward No. 10, Present Ward No. 14 under the jurisdiction of Sub-Registrar, Puri and registered by sale document No. 2880, dated 23-6-80.

बी० मिश्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भूवनेश्वर

तारीख : 6-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, बम्बई

बम्बई, दिनांक 13 फरवरी 1981

निर्देश सं० ए०आर० II/3005ए-16/जून, 80—अतः मुझे, संतोष दत्ता

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एस० नं० 21 हि० नं० 1 (अंश) है, तथा जो व्हिलेज एरंगल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 5-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) 1. डा० किशोर चन्द दुनी चन्द
2. श्री टेकचन्द दुनी चन्द
3. श्रीमती शांती देवी दुनीचन्द पार्टनर्स मैसर्स बीच हिल रीयल इस्टेट

(अन्तरक)

(2) श्री बरजोर फामरोज पूनावाला एंड श्रीमती अनाहिताज बरजोर पूनावाला ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं० एस० 2886/79, उप रजिस्ट्रार अधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 5-6-1980 को रजिस्टर्ड किया जाता है ।

संतोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, बम्बई

तारीख : 13-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 23 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० सि० आर० 62/27371/80-81/एक्यू०/बी०/—अतः मुझे, आर० तोयात्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा जो वाणी विलास रोड, बसवनगुडी बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडी, बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 9-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती पी० के० रुक्मणि बाई, सं० 60, पलेस रोड, बंगलूर-52 ।
(2) मैनेजिंग कमेटी आफ महाराष्ट्रा महिला विद्यालय, सं० 3, वाणीविलास रोड, बसवनगुडी, बेंगलूर-4
(अन्तरक)
2. मै० कर्नाटक आर्य वैश्या महासभा महाकल्याण निधी ट्रस्ट, वासवी, धर्मशाला, बिल्डिंग, नेशनल, हाइ-स्कूल रोड, विश्वेश्वरपुरम, बेंगलूर-560004। मेनेजिंग कमेटी आफ महाराष्ट्र महिला विद्यालय
(अन्तरिती)
3. मैनेजिंग कमेटी आफ महाराष्ट्रा महिला विद्यालया ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 917/80-81, तारीख 9-6-1980)

संपत्ती जिसकी सं० 3 है, तथा जो वाणीविलास रोड, बसवनगुडी, बेंगलूर-4 में स्थित है, मेजरिंग —पूर्व से-126'. 6", पश्चिम से-149'. 3", उत्तर से-177'. 3"+67'. 3", और दक्षिण से 243. 6".

चकबंदी :—पू० में वासवी धर्मशाला इमारत ।
द० में वाणीविलास रोड ।
प० में महाराष्ट्रा महिला विद्यालय रोड ।
उ० में प्राईवेट प्रापर्टी ।

आर० तोयात्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर.

तारीख : 23-10-1980
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 10 नवम्बर 1980

निर्देश सं० 296/80-81—यतः मुझे, आर० थोथाद्रि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सि० टी० एस० नंबर 1927, है, जो कडोल्कर गल्ली बेलगम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय बेलगम, अंडर डाक्यूमेंट नंबर 1082 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 13-6-1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जो किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री घनश्याम श्रीयादराव सरदेशपांडे
353, नेहरू रोड, टिलकवाडि, बेलगम ।
(अन्तरक)

2. अध्यक्ष,
दि बेलगम तालूका अग्रीकल्चरल प्रोडीडूस कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसैयिटसा लिमिटेड,
कडोलकरगल्लि, बेलगम ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कडोल्कर गल्लि, बेलगम में स्थित खुला जगह बिल्डिंग सहित जिसका सि० टी० एस० नंबर है 1927।

आर० थोथाद्रि
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 10-11-1980
मोहर :

प्रकप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेगलूर, दिनांक 1 दिसम्बर 1980

निदेश सं० सी० आर० 62/27027/80-81/ए० सिक्यू०/बी०—यतः, मुझे, आर० तोतात्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 18 है, तथा जो 13 का मेन रोड, मल्लेश्वरम पश्चिम, बेंगलूर-55 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजाजी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मुरलीधरन, के० आर० गोपाल कृष्ण राव के पुत्र 1/53-बी, श्रीरामपुरम, कालोनी सेंट थामस, माउन्ट, मदरास-16

(अन्तरक)

2. सि० एस्० रामचन्द्रन, दिवंगत सि० आर० श्रीनिवास् अय्यर के पुत्र, सं० 18, 13 का मेन रोड, मल्लेस्वरम्, पश्चिम, बेंगलूर-55

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 569/80-81, तारीख 17-6-1980)

घर संपत्ती जिसकी सं० 18, है, 13 का मेन रोड, मल्लेकरम्, पश्चीम्, बेंगलूर-55।

चकबंदी है :

उ० में—प्रैवेट प्रापरटी

द० में —प्रैवेट प्रापरटी

प० में—प्रैवेट प्रापरटी

प० में—13 का मेन रोड।

आर० तोतात्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज, बेंगलूर.

तारीख : 1-12-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज–I, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 1 दिसम्बर 1980

निर्देश सं० सी० आर० 62/27086/80-81/ए०सिक्य०/बी०—यतः मुझे आर० तोतान्नी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० पुरानी सं० 74, 78 और नया सं० 13 है, तथा जो III, क्रास रोड, नेहरू नगर, शेषाद्रिपुरम्, बेंगलूर-20 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के धीन दिनांक 5-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) ए० मल्लीकार्जुन
   (2) एम० राजेश्वरी
   सं० 13, III क्रास, नेहरू नगर, शेषाद्रीपुरम्, बेंगलूर
   (अन्तरक)

2. (1) पम्मनवास पी० अस्रानी
   (2) श्रीमती धनवंती
   (3) कुमार पी० अस्रानी
   (4) मनोहर पी० अस्रानी
   डोर सं० 6-2, क्रेसेन्ट् रोड, बेंगलूर-1
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 680/80-81, तारीख 5-6-80)

घर संपत्ती है जिसका पुराना सं० 74, 78 और नया सं० 13, III क्रास, नेहरू नगर, शेषाद्रीपुरम्, बेंगलूर-20

चकबंदी है :

उ० में—श्री शामन्न के घर,
द० में—श्री कृष्णस्वामी के घर,
प० में—III क्रास रोड,
प० में—श्री मंजुनाथ प्रभु के घर,

आर० तोतान्नी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 1-12-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 1 दिसम्बर 1980

निर्देश सं० सी० आर० 62/27114/80-81/ए० सिक्यू०/बी—यतः मुझे, आर० तोतावी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सि० ए० टी० बी० सं० 50 है, तथा जो (बेकेंट सैट्) इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, राजाजी नगर, कारपोरेशन, सं० 2, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजाजी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री के० सी० वेंकटेश
सं० 1, नीलकन्टपुरम्,
प्यालेस क्रास रोड,
बेंगलूर
(अन्तरक)

2. (1) श्रीमती एस्० अहल्या बाई
(2) श्री एस्० अरुन,
सं० 589, 5, ब्लाक, राजाजी नगर,
बेंगलूर-10
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 879/80-81, तारीख 27-6-80)

बेकेंट सैट् सि० ऐ० टी० बी० सं० 50, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, राजाजी नगर, कारपोरेशन सं० 2, बेंगलूर ।

चकबन्दी है :

उ० में—सैट् सं० 51,
द० में—सैट् सं० 49,
पू० में—सैट् सं० 10/ए,
प० में—रास्ता ।

आर० तोतावी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर.

तारीख : 1-12-1980
मोहर :

प्रकप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दनांक 1 दिसम्बर, 1980

निर्देश सं० सी० आर०-62/27884/80-81/ए० सि०क्यू०/बी—यतः मुझे, आर. तोताद्री,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कारपोरेशन सं० 207, 208 और 209, चिकपेट मैन रोड, और कारपोरेशन सं० 12 से 26 तक, मारवाडी टेम्पल स्ट्रीट, चिकपेट, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 1-9-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पी० के० रुक्मीनी बायी
एस्० एन्० गुन्डुराव की पत्नी
सं० 60, प्यालेस रोड,
बेंगलूर
(अन्तरक)

2. रोहित ग्रण्ड राहुल ट्रस्ट, जिसका मेनेजिंग ट्रस्टी है श्री एस० एम्० गनेषराव, एस० एल्० मन्नाजीराव का पुत्र, सं० 62, प्यालेस रोड, बेंगलूर-560052
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2088/80-81, ता० 1-9-1980)

घर संपत्ती है जिसका नाम है, "रुकमीनी बिल्डिंग्स" और जिसका सं० है कारपोरेशन सं० 207, 208, और 209, चिकपेट मेन रोड, में और कारपोरेशन सं० 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, मारवाडी टेम्पल स्ट्रीट, चिकपेट, बेंगलूर ।

इसमें ग्राउन्ड फ्लौर, पहला फ्लोर, और दूसरा फ्लोर, चकबंदी है ।

उ० में—चिकपेट मेन, रोड,
द० में—प्राईवेट प्रापरटी
प० में—मारवाडी टेम्पल स्टीट,
प० में—प्राईवेट प्रापरटी ।

आर० तोताद्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर.

तारीख : 1-12-1980
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलर

बेंगलूर, दिनांक 21 नवम्बर 1980

निर्देश सं० 301/80-81—यतः मुझे, आर० थोथाद्रि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सि० टि० एस० नंबर 67 है, जो वार्ड नंबर 2, कलादगि गल्लि, हुबलि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हुबलि, अंडर डाक्युमेन्ट नंबर 699, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. कुछी दशा ओस्वाल जैन महाजन ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष श्री भरत बिखिमजि और सेक्रेटरि श्री चिमनलाल एन० कांजि, कंचगार गल्लि, हुबलि ।

(अन्तरक)

2. मैसर्स कोप्पिसन और कंपनी इसके भागीदार :
   (1) श्री नागप्पा रामप्पा बुरडे
   (2) राम दास नागप्पा बुरडे
   (3) श्रीमती चिनता मधुकर हलदिपुर
   (4) श्री गौतम मधुकर हलदिपुर
   (5) श्री गौरंग मधुकर हलदिपुर
   (6) श्री गौरीश मधुकर हलदिपुर
   कलादगि गल्लि, हुबलि ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कलादगि गल्लि, वार्ड नंबर 2, हुबलि में स्थित खुला जगह और बिल्डिंग जिसका सि० टि० एस० नंबर है 67।

आर० थोथाद्रि
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 21-11-1980
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलर

बेंगलूर, दनांक 5 दिसम्बर 1980

निर्देश सं० 303/80-81—यतः मुझे, आर० थोथाद्रि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नंबर 1082, 1087, 53 (प्लोट नंबर डि-13) है, तथा जो गास्पर डैस, पणजि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलहास, पणजि, अंडर डाक्युमेंट नंबर 131/80, दिनांक 17-6-80 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. कान्फरैस रैमुनिदस डा० इग्रेजा डे, पणजि ।

(अन्तरक)

2. (1) जसिंटो गेर्सन रोबरटो किलोमिनो रोड्रिगस
(2) मारीया एंजेलिका एस्मरालड डे पयडाडे नोरोन्हा रोड्रिगस
इनके प्रतिनिधि अभिकर्ता पत्र धारक श्री जोकिम फ्रान्सिस्को सार्टोडे पियडाडे नोरोन्हा, नियोरा, इल्हास, गोवा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पणजि, गास्पर डैस में स्थित 718 स्क्वेयर मीटर खुली जगह जिसका एस० नंबर है 1082, 1087 और 53 (प्लाट नं० डि-13) ।

आर० थोथाद्रि
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 5-12-80
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 जनवरी 1981

निदेश सं० आर०-62/26958/80-81/ए०सि०क्यू०/बी—यतः मुझे, आर० थोथाद्रि

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 32 है तथा जो IV मैन रोड, एस० के० गार्डन, बंगलूर, में स्थित है (और इसी उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री सी० रामय्या,
कावल बैरसंद्रा, कस्बा होबली, बंगलूर उत्तर तालूका में रहते हैं।

(अन्तरक)

2. श्री के० महबब बाषा ,
सं० 4, लाल मसजिद 'सी' स्ट्रीट, बंगलूर-1 के रहवासी हैं।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 468/80-81, ता० 21-6-1980)

प्रिमैसिस जिसका मुनसिपल सं० 32 तथा जो IV मैन रोड, सैयद खादर गार्डन डिविजन सं० 48, बंगलूर में स्थित है।

मेजरिंग :

पू० से प०—30'

उ० से द०—47'

चकबंदी है :

पू० में—संपत्ती सं० 48

प० में—संपत्ती सं० 46

उ० में—संपत्ति सं० 33

द० में 30' रोड।

आर० थोथाद्रि
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 24-1-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 8 जनवरी 1981

निदेश सं० सी० आर० 62/27625/80-81/ए०सि०क्य० बी—यतः मुझे, आर० तोताद्री,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 170 (पुरानी सं० 7) है तथा जो कोटा सुब्बय्या शेट्टी लेन, हुरियोपेट, बेंगलूर सिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-7-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. मैसर्स मालुबाई रामराव सन्स,
सं० 5, बीगमुद्र लेन, मल्लीकार्जुन टेम्पल, स्ट्रीट, बेंगलूर-2,
प्रतिनिधि है : इसका पार्टनर श्री एम० आर० शंकरराव ।

(अन्तरक)

2. मैसर्स कल्पना बिल्डर्स
सं० 202, I, फ्लोर, चिक्कपेट, बेंगलूर-53,
प्रतिनिधि है इसका पार्टनर श्री मनोहरमल थानमल भंडारी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1469/80-81, ता० 14-7-1980)

घर संपत्ती है जिसका सं० 170 (पुरानी सं० 7) कोटा सुब्बय्या शेट्टी, लेन, हुरियोपेट, बेंगलूर सिटी (कारपोरेशन डिविजन सं० 16)

आर० तोताद्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 8-1-81
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर
बेंगलूर, दिनांक 5 जनवरी 1981

निदेश सं० सी० आर० 62/27693/80-81/ए० सी०क्यू० बी—यतः मुझे, आर० तोताद्री,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 771, 772, 773 और 774 है, तथा जो पुराना तालुक कचेरी रोड, चिक्कपेट, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-7-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. मैसर्स सज्जन इनवेस्टमेन्ट (प्रा०) लिमिटेड,
"लक्ष्मी निवास" फोर्ट
श्री कृष्ण राजेन्द्र रोड, बेंगलूर सिटी इसका प्रतिनिधि है
श्री एस० एम० रामकृष्णराव (डायरेक्टर)
(अन्तरक)

2. मैसर्स विनायका इनवेस्टमेन्ट्स सं० 302, I फ्लोर, अविन्यु रोड, बेंगलूर-53, इस फर्म में चार पार्टनर्स हैं जिनका पता है :
(1) एच० चुनीलाल मारतहल्ली, बेंगलूर में रहने वाला
() डी० पी० शर्मा, मालिक है शर्मा ट्रान्सपोर्ट कं० सं० 328, अलबरट विक्टर रोड, बेंगलूर में. रहने वाला ।
(3) नेमीचन्द, सं० 302, अविन्यु रोड, बेंगलूर में रहने वाला ।
(4) एम० अजिताराज, सं० 45/5, कासंल स्ट्रीट बेंगलूर ।
(अन्तरिती)

3. मैसर्स "उदय"
(2) मैसर्स कपूर चन्द अदर्स (बेंगलूर) (प्रा०) लि०
(3) मैसर्स बिपिन चन्द्र शणीकान्त एन्ड को० (किस्मत स्टोरर्स) ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1678, ता० 25-7-81)

संपत्ती है जिसका नया सं० 771, 772, 773 और 774 पुराना ताल्लुक कचेरी रोड, चिक्कपेट, बेंगलूर-53 ।

चकबंदी है :

पू० में—ए० एम० लेन
पश्चिमी उत्तर—प्रिमिसिस आफ देवता कृष्णटय शेट्टी और देवता
श्री रामय्य शेट्टी
द० में—ओ० टी० सी० रोड,
प० में—देवता कृष्णय्या शेट्टी और देवता श्रीरामय्या शेट्टी के संपत्ती

आर० तोताद्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 5-1-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 5 जनवरी 1981

निदेश सं० आर० 62/28080/80-81/ए०सिक्यू०/बी०—

यतः मुझे आर० थोथाद्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसको म्युनिसिपल सं० 33, (पुराना सं० 181) है, तथा जो रंगराव रोड, शंकरपुरम, बंगलूर-4 में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडी बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-1-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती विद्या राव, श्री जी० एल० के० राव, के पत्नी, सं० 47, रिचमंड रोड, सिविल स्टेशन, बेंगलूर-25 ।

(अन्तरक)

2. (1) दि जोयिंट फामिली आफ श्री टी० वी० उमेश गुप्ता, कनसिस्टींग आफ हिमसेल्फ और अदर कोपार्सनर्स आफ दि जोयिंट फामिली रेप्रेजेंटेड बै इसका मैनेजर टी० वी० उमेश गुप्ता, एन० वज्रम सेट्टी, के पुत्र सं० 99/3, बुल टेंपल रोड, बसवनगुडी, बेंगलूर-41
   (2) टी० वी० उमेश गुप्ता,
   (3) श्रीमती यू० लक्ष्मी, सं० 2 और 3 ऊपर दिये गये अड्रेस सं० 1 में रहते हैं।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2043/80-81, ता० 21-8-1980)

दि० ईस्टर्न पोर्शन आफ वेंकट ल्यान्ड इन दि प्रिमैसिस जिसका मुनसिपल सं० 33 (पुराना सं० 18/1), तथा जो रंगराव रोड, शंकरपुरम, बंगलूर-4 में स्थित है)

चकबंदी है :

उ० में—परचेजर की संपत्ती

द० में—प्रायिवेट संपत्ति ।

पू० में—कान्सर्वन्सी लेन, ।

प० में—ए० एन० श्रीनिवास अ्रयर की संपत्ती ।

आर० थोथाद्री
सक्षम प्राधकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 5-1-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

बगलूर, दिनांक 5 जनवरी, 1981

निदेश सं० सि० आर० 62/28081/80-81/ए०सिक्यू०/बी ——यतः मुझे आर० थोथाद्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मुनसिपल 32 है, (पुराना स० 18) है तथा जो रंगराव रोड, शंकरपुरम, बंगलूर -4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडी, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-8-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (1) श्री ए० एन० श्रीनिवास अय्यर, दिवंगत ए० आर० नागेश्वर अय्यर के पुत्र, सं० 33, रंगराव रोड, शंकरपुरम, बंगलूर-4, रेप्रजेंट करते हैं इनके अटार्नी श्री सी० आर० रघुनाथ राव ।

(2) श्रीमती जयलक्ष्मी शेषाद्री, दिवंगत ए० एन० शेषाद्री के पत्नी, सं० 32, रंगराव, रोड, शंकरपुरम बंगलूर-41

(3) श्री एस० गिरीधर दिवंगत ए० एन० शेषाद्री के पुत्र, सं० 5-9-323, गन्न फौन्ड्री, स्टट बैंक आफ हैदराबाद के पास हैदराबाद-11 (ए० पी०)

(4) श्री एस० नागराज, दिवंगत ए० एन० शेषाद्री के पुत्र, सं० 32, रंगराव रोड, शंकरपुरम, बंगलूर-4 ।

(5) श्रीमती विद्याराव, जी० एल० के० राव, के पत्नी, सं० 47, रिचमंड रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर-25 ।

(6) श्री जी० वुष्यंत, श्री गिरिधर के मेनर बेटा, रेप्रेजेंट करते हैं इसका अटार्नी श्री एस० नागराज ।

(7) श्री मानव नागराज, मैनर रेप्रेजेंट करते हैं इसका बाप श्री नागराज ।

(अन्तरक)

2. (1) दि जोयिन्ट फामिली, आफ एन० जगन्नाथ कन्सीस्टींग आफ हिमसेल्फ और अदर कोपार्सनर्स आफ दि जोयिंट फामिली, रेप्रेजेंट बै इसके मैनेजर श्री एन० जगन्नाथ सं० 35, "हरिनिवास" सौथ एण्ड रोड, बंगलूर-4 ।

(2) एन० जगन्नाथ (3) श्रीमती जे० राधालक्ष्मी सं० (2) और ऊपर लिखे सं० (1) अड्रेस में रहते हैं ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2042/80-81, ता० 21-8-1980)

दि सौथ वैस्टर्न कार्नर आफ दि प्रिमैसिस और संपत्ती जिसका मुनसिपल सं० 32 (पुराना सं० 18) तथा जो रंगराव रोड, शंकरपूरम, बंगलूर-4 में स्थित है ।

चकबंदी है

उ० में—टी० वी० नागेन्द्र गुप्ता के संपत्ती ।
द० में—वेडर्स के संपत्ती ।
पू० में—टी० वी० उमेश गुप्ता के संपत्ती ।
प० में—रंगराव रोड ।

आर० थोथाद्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख 5-1-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन., एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 29 जनवरी 1981

निदेश सं० सि० आर० 62/27362/80-81/ए०सिक्यू०/बी०

—यतः मुझे आर० थोथाद्री,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 22, (पुराना सं० 7) है, तथा जो न्यू क्रास, हेच सिद्दय्या रोड, III, क्रास, अन्नीपुरा, बगलूर-27 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडी बंगलूर-4 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. हेच० अमजानखान, मोहम्मद हुसेन साहब के पुत्र, सं० 115, सर्कुलर स्ट्रीट, शांथीनगर, बंगलूर-27 के रहवासी हैं।

(अन्तरक)

2. श्री महबूब खान, खादरखान बाषा, के पुत्र, सं० 1, पोर्हर्स कालोनी, न्यू बांबू बाजार, के पीछे, बंगलूर-2 के रहवासी है।

(अन्तरिती)

3. (1) अब्दुल बषीर
(2) नयीम अहम्मद
(3) एम० बी० भक्ष
(4) सैयद खलीन्दर साहेब

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1081/80-81, ता० 21-6-1980)

संपत्ति जिसका सं० 22 (पुराना सं० 7) तथा जो III क्रास, हेच०, सिद्दय्या रोड, अन्नीपुरा, बंगलूर 27 में कार्पोरेशन डिविजन सं० 38, में स्थित है और जिसमें जमीन क्षेत्र 117.12 स्क्वायर मीटर्स तथा इमारत उसके ऊपर है।

चकबंदी है :

उ० में—प्रायिवेट संपत्ती।
द० में—नसरूल्हा शरीफ के संपत्ती।
पू० में —रोड।
प० में—प्रायिवेट संपत्ती।

आर० थोथाद्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख 29-1-1981
हमोर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 22 जनवरी, 1981

निदेश सं० सी० आर० 62/27676/80-81/ए० सिक्यू०/बी/०

यतः मुझे आर० तोतावी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 339/36 है, तथा जो I ब्लाक, टयन्क बंड रोड II, स्टेज मेन रोड, राजाजीनगर, बंगलूर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजाजी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 22-7-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री वै० सी० राजन्न, पी० सी० मुनियप्पा के पुत्र, सं० 339/36, I ब्लाक, टयान्क् बंड रोड, II, स्टेज, मेन रोड, राजाजी नगर, बंगलूर ।
(अन्तरक)
2. कुमारी शरमीला आर० प्रतिनिधि हैं : इसकी मां श्रीमती आर० शोभा,
सं० 136, राज महल विलस् एक्स्टेंशन, बेंगलूर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 908/80-81, ता० 22-7-80)

घर संपत्ती है जिसकी सं० 339/36, I, ब्लाक, टयान्क बन्ड रोड, II, स्टेज, मेन रोड, राजाजी नगर, बेंगलूर (कारपोरेशन डिविजन सं० 3) ।

आर० तोतावी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख 22-1-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 2 फरवरी 1981

सं० सी० आर-62/27483/80-81/ए सी क्यू-बी:—यतः मुझे, आर० तोताद्री,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 17(509) है तथा जो 8वां मेन रोड, मल्लेश्वरम् बेंगलूर-3 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, राजाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8 जुलाई 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती बी० कमलम्मा दिवन्गत डा० बी० एस० यतिराज की पत्नी, सं० 88, विक्टोरिया ले आउट, बेंगलूर-560047।

(अन्तरक)

2. श्री के० एन० नारायणन अइन्गार डैरेक्टर "टरनूकी कन्स्ट्रक्शन (प्रा०) लिमिटेड और सं० 21, 11वां मेन रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर-3 में रहने वाला।

(अन्तरिती)

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1503/80-81 ता० 8-7-80)

घर सम्पति है जिसकी सं० 17(509) 8वां मेन रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर।

चकबन्दी है :

उ० में—प्रैवेट रोड।
द० में—9वां क्रास रोड।
पू० में—8वां मेन।
प० में—प्रावेट प्रापरटी

आर० तोताद्री,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर।

तारीख : 2-2-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 5 फरवरी 1981

सं० सी आर 62/27434/80-81/ए सी क्यू-बी:—यतः मुझे, आर० तोतादी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सं० 193/1ए 2 सं० 80 में और डोर सं० 1-153-ए है तथा जो बडगबेट्टु गांव उडुपी (ता०) एस० के० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय उडुपी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 17 जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी० रमानन्द नायक क्लर्क सिन्डीकेट बैंक पारकल ब्रांच और क्षीरीबीड्डु उडुपी टाऊन, में रहने वाले ।

(अन्तरक)

2. श्री के० कृष्ण शिरेगार, क्लर्क सिन्डीकेट बैंक हैड आफीस मनिपाल और कुन्जी बेट्टु, उडुपी टाऊन में रहने वाले ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 437/80-81 ता० 17-6-80)

घर संपत्ती है सं० 80 में, जिसका सर्वे सं० 193/1-ए-2 बडग बेट्टु गांव में उडुपी (ता०) (एस 1 के० 1) इसके साथ एक आर० सी० सी० बिल्डींग है और उसकी सं० है 1-153 ए ।

आर० तोतादी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर ।

तारीख : 5-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 अक्तूबर 1980

निदेश सं० सी० आर० नं० 1206/80-81:—अतः मुझे, मांगीलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 131 से 137/11 पैकी टी० पी० एस० 20 एफ० पी 364 है। तथा जो गुलबाई टेकरा, कोचरब, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

5—496GI/80

(1) श्रीमती प्रेम कुमारी गोविन्दराम संतराम कुरुक्षेत्र हरियाणा।

(अन्तरक)

(2) श्री श्याम सुन्दर गोविन्दराम "शन्तकुटिर" आश्रम रोड, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन माप 649 वर्ग मीटर जिसका सर्वे नं० 131 से 137/1 पैकी जो कोचरब, गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद में स्थित है। मिलत का पूर्ण वर्णन, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा विधि रजिस्ट्रड बिक्री दस्तावेज नं० 9373 दिनांक 17-6-80 में दिया गया है।

मांगी लाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद।

तारीख : 21-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 31 अक्तूबर 1980

सं० सी० आर० नं० 1214/ए० सी० क्यू 23-I/80-81:—अतः मुझे, मांगीलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० लेख नं० 91 जगन्नाथ प्लाट पर है। तथा तथा जो जगन्नाथ स्ट्रीट नं० 23, राजकोट में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 5 जून 80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डी० बी० राठोड, श्री आर० बी० राठोड ऑल इन्डीया रेडियो स्टेशन के सामने, राजकोट।
(अन्तरक)

(2) मैसर्स पटेल कंस्ट्रक्शन कं० प्रहलाद प्लोट, मेईन रोड, राजकोट।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लोट जिसका माप 135-6-0 वर्ग गज जिसका सर्वे नं० लेख नं० 91, जगन्नाथ प्लोट जो जगन्नाथ स्ट्रीट नं० 23 राजकोट में स्थित है। मिलकत का पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज रजि० नं० 1123 दिनांक 5-6-80 में दिया गया है।

मांगीलाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 31-10-80
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 अक्तूबर 1980

निदेश नं० पी० आर० नं० 1215 ए० सी० क्यु० 23-I/80-81—अतः मुझे, मांगीलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० लेख नं० 91 जगन्नाथ प्लोट है तथा जो जगन्नाथ शेरी नं० 23, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दोलत सिंह बी० राठौड़
श्री रतन सिंह वी० राठौड़
ऑल इण्डिया रेडियो स्टेशन के पीछे सीताराम पंडित बंगलो, राजकोट ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स पटेल कन्स्ट्रक्शन कं०
प्रहलाद प्लोट, मेईन रोड, राजकोट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लोट जिसका माप 84–3–0 वर्ग गज जिसका लेख नं० 91 जगन्नाथ प्लोट पर, जो जगन्नाथ स्ट्रीट नं० 23 राजकोट में स्थित है । मिलकत का पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज जिसका रजि० नं० 1124 दिनांक 10-6-80 है इसमें दिया गया है ।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

दिनांक : 31 अक्तूबर 1980
मुहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 31 अक्तूबर 1980

निदेश सं० सी० आर० नं० 1216 ए० सी० क्यु०/23-I/80-81—अतः, मुझे, मांगीलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० लेख नं० 91 जो जगन्नाथ प्लाट पर है तथा जो जगन्नाथ स्ट्रीट नं० 23 राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-6-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दौलत सिंह बी० राठोड
श्री रतन सिंह बी० राठोड
ऑल इण्डिया रेडियो स्टेशन के पीछे
सीताराम पंडित बंगली, राजकोट ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स पटेल कन्स्ट्रक्शन कं०
प्रहलाद प्लाट,
मेईन रोड, राजकोट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लाट जिसका माप 140 वर्ग गज जिसका लेख नं० 91 जगन्नाथ प्लाट का जो जगन्नाथ स्ट्रीट नं० 23 राजकोट में स्थित है । मिलकत का पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज रजि० नं० 1134 दिनांक 10-6-80 में दिया गया है ।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 31 अक्तूबर 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 31 अक्तूबर 1980

निदेश सं० सी० आर० नं० 1217/ए० सी० क्यु०/23-I/80-81—अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० लेख नं० 91 का जगन्नाथ प्लाट है तथा जो जगन्नाथ स्ट्रीट नं० 23, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

तारीख 5-6-80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री दोलत सिंह बी० राठोड,
श्री. रतन सिंह बी० राठोड
आल इण्डिया रेडियो स्टेशन के पीछे,
राजकोट ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स पंडित कंस्ट्रक्शन कं०,
प्रहलाद प्लोट,
मेईन रोड, राजकोट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लाट जिसका माप 140 वर्ग गज जिसका लेख नं० 91, जगन्नाथ प्लोट का जो जगन्नाथ स्ट्रीट शेरी नं० 23 राजकोट में स्थित है । मिलकत का पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज जिसका रजि० नं० 1149 दिनांक 5-6-80 में दिया गया है ।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 31 दिसम्बर 1980
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1980

निदेश सं० सी० आर० नं० 1221/ए० सी० क्यु०/23-I/80-81—अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिस की सं० 429 है तथा जो गोंडल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गोंडल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

तारीख 18-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. पटेल डाकरसी फुराजी
सत्येम, काशीविश्वनाथ रोड,
विक्रम विहार, स्टेशन प्लाट, गोंडल
2. श्री जसमत भाई लखमन भाई रैयानी
पटेल मार्केटिंग यार्ड, दुकान नं० 52, गोंडल
3. श्री हरजीभाई भूरा भाई पटेल,
महादेववाड़ी गोंडल ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती फीनाबेन छोटालाल अजमेरा
'सोनल' स्टेशन प्लाट मार्ग नं० 19 गोंडल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लाट जिसका माप 10164 वर्ग गज (दो एकड़ 1/2 गुंठ) जिसका सर्वे नं० 429 जो गोंडल में स्थित है । मिलकत का पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 1846 दि० 18-6-80 में दिया गया है ।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 3 नवम्बर 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1310/एक्यू० 23-I/80-81—

अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एफ० पी० नं० 192 भाग, टी० पी० एस० 6 है तथा जो पालडी, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-6-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. हर्षवदन हथिसिंग शाह, कर्ता और मैनेजर आफ एच० यु० एफ०
2. श्री नारायण हथिसिंग शाह, कर्ता और मैनेजर आफ एच० यु० एफ०
3. श्री निरंजन हथिसिंग शाह, कर्ता और मैनेजर आफ एच० यु० एफ०।
4. श्री विजय हथिसिंग शाह, कर्ता और मैनेजर आफ एच० यु० एफ० अहमदाबाद। (अन्तरक)

(2) चिट को-ओप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, के द्वारा श्री अशोक चन्दुलाल शाह, शाह कलोनी, शाहपुर, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो 700 वर्ग मीटर माप में एफ० पी० नं० 192 भाग, टी० पी० एस० 6 में पालडी, अहमदाबाद में स्थित है। जो अहमदाबाद रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिक्री खत नं० 9014/तारीख 30-6-1980 में रजिस्ट्री की गई है अर्थात् भिलकित संपूर्ण वर्णित है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1311/एक्यू०-23-I/80-81—

अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 71 (1/6वां भाग) है तथा जो घाटलोडीया, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री शाकराजी विसाजी ठाकोर
चान्दलोडिया, डिस्ट्रिकट अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री हंसमुखजी कस्तूरभाई शाह और दूसरे,
41, स्थानकवासी जैन को०-ओप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नारणपुरा रेलवे क्रासिंग के पास, अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1/6वां भाग जमीन जिसका सं० नं० 71 में घाटलोडीया, अहमदाबाद में स्थित है जो अहमदाबाद रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिक्री खत नं० 3833/जून, 1980 (37-जी फार्म जून, 1980 में मिला) संपूर्ण वर्णन में रजिस्ट्री की गई है ।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एक्ट०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1312/एक्यू-23-I/80-81—अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 71 (1/6वां में 1/6वां भाग) है। तथा जो गाटलोडीया, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री मानाजी विसाजी,
गांव चांदलोडिया,
डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद।
(अन्तरक)

(2) श्री हंसमुखजी कास्तूभाई शाह और दूसरे,
41 स्थानकवासी जैन को०-ओप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नारणपुरा रेलवे क्रासिंग के पास, अहमदाबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6वां + 1/6वां भाग जमीन जिसका एस० नं० 71 घाटलोडिया गांव, अहमदाबाद में स्थित है जो अहमदाबाद रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिक्री खत नं० 3874 और 3835/जन, 1980 रजिस्ट्री की गई है अर्थात् मिलकियत सम्पूर्ण वर्णित है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 1 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1313/एक्यु-23-I/80-81—

अतः मुझे, मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 71 (1/6वां भाग) है तथा जो घाटलोडिया अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जन, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 या 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री खोडाजी अमबाराम और दूसरे,
वावोल गांव,
डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर।
(अन्तरक)

(2) श्री हसमुख कसतूरभाई शाह और दूसरे,
41, स्थानकवासी जैन को० ओ० हाउसिंग सोसायटी लिमिटिड,
नाराणपुरा रेलवे क्रासिंग के पास, अहमदाबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 वां भाग जमीन जिसका एस० नं० 71, घाटलोडीया, अहमदाबाद में स्थित है। जो अहमदाबाद रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिक्रीखत नं० 3836/जून, 1980 में रजिस्ट्री की गई है। मिलकत अथ त् सम्पूर्ण वर्णित है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1314/एक्यु-23-I/80-81—अतः मुझे, मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० फा० प० नं० 347, एम० पी० नं० 5 प० नं० 5-जी है तथा जो टी० पी० एस० नं० 3 मीठाखली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रमेश उटसवलाल शाह
सीतल बाग फ्लेट के सामने,
सरदार पटेल रोड़,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री राधाकृष्णन एपार्टमैन्टस
ओनर्स एसोसिएशन,
वर्षा रमेश शाह,
6-गीताबाग सोसायटी,
पालडी अहमदाबाद-7

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान का ढांचा जमीन के साथ जो माप में 336 वर्ग गज है और जो टी० पी० एस० 2 फा० प० नं० 347 एस० पी० नं० 5 सी, मीठाखली, पर स्थित है । और जो मीठाखली अहमदाबाद है । यह सबका रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 7173/80 कि 314 का जन 1981 को रजिस्टर्ड की गई है ।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1315 एक्यु-23-I/80-81—अतः मुझे, मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० स० नं० 87/1, और 87/2 पैकी टी० पी० एस० नं० 19 है तथा जो फा० प० नं० 188 सब प० नं० 2 पैकी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, थलतेस रोड़, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मालतीबेन नारनदास
2. नरेन्द्र नारनदास
3. सुरेन्द्र नारनदास
4. महेन्द्र नारनदास
होनेस्टी बंगलो,
मनीनगर अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) मालती एपार्टमेंन्ट को० ओनर्स एशोसिएशन
श्री कुंज सोसायटी बच्चू भाई देव जी भाई पटल;
झुलाभाई पार्क,
गीतामन्दिर रोड़, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो माप में 534 वर्ग गज है और जिसका स० नं० 87/1 और 87/2 पैकी प्लोट नं० स० पी० एस० नं० 19 फा० प० नं० 188, सब प० नं० 2, पैकी 534 वर्ग गज है, यह ड्राइव-इन-रोड़, थलनेज, अहमदाबाद में स्थित है और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा, बिक्री दस्तावेज नं० 9333 और 9332/ एस० नं० 16/6/80 को रजिस्टर्ड की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1316 एक्यु-23-I/80-81—

अतः मुझे, मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिस की सं० नं० 257, टी० पी एस० नं० 4 का० प० नं० 54-55 है। तथा जो हिस्सा नं० 12, मनीनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शांतिलाल नरोतमदास शाह
3, रामबाग, मनीनगर
अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

(2) नारायनमनी एपार्टमेन्ट को० ओप० हा० सी०लि०
श्री वि० एस० पटल
मनीनगर चाररस्ता, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जो माप में 833 चोरस गज है जिसका स० नं० 257-अ राजपुर-हरिपुर है और टी० पी० एस० 4 का० प० नं० 54 & 55 हिस्सा नं० 12 में और जो मनीनगर अहमदाबाद में स्थित है। यह सब का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा ता० 7-6-1980 को बिक्री दस्तावेज नं० 9843 के अधीन रजिस्टर्ड की गई है ।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1317, एक्यु 23-I/80-81—अतः मुझे, मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिस की सं० केवडा वाडी स्ट्रीट नं. 14 है। तथा जो केवडा वाडी स्ट्रीट नं० 14 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री खोडाभाई रतनाभाई
"रत्नदीप"
स्वाध्याय सोसायटी मार्ग नं० 1
राजकोट

(अन्तरक)

(2) श्री सजाभाई आपाभाई
कुंभारवाडी, मेहन रोड़,
राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान और जमीन जो मापमें 250 चौरस गज है और जो केवडावाडी स्ट्रीट नं० 14, राजकोट में स्थित है यह विक्री बिक्री दस्तावेज नं० 1500 द्वारा ता० 17-6-1980 को रजिस्टर्ड की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 13181 एक्यु 23-I/80-81—अतः मुझे, मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिस की सं० स० नं० 88-1, प्लोट नं० 57 है। तथा जो गांव रैया राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री कुमार जी हरीशचन्द्र शाह
रावनवाला सारेब,
बिलेखा हाउस, राजकोट।
(अन्तरक)

(2) श्री हरगोविन्दकार हिरालाल केटक
पराबसार, राजकोट
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लोट जो माप में 577-7-0 चौरस गज है जिसका सं० नं० 88-1 और प्लोट नं० 57 है। जो गांव रैया राजकोट में स्थित है। यह मिलकत बिक्री रजिस्टर्ड नं० 3000/80 द्वारा जून 1980 को रजिस्टर्ट की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1319एक्यु नं० 23-I/80-81—

अतः मुझे, मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० स० नं० 88-1, प्लॉट नं० 52, है तथा जो रैया गांव राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री किशोरसिंहजी रावतवाला साहेब
किशोर विला सरोफ रोड़, राजकोट

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुशीलाबेन जयंतीलाल आहीआ
मारफत एच० एच० कोटक,
पराबाजार, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका माप 577.7.0 चौरस गज है और जो सं० न० 88-1 प्लोट नं० 52, से गांव रैया राजकोट में स्थित है । यह जमीन बिक्री दस्तावेज नं० 3002 द्वारा ता० जन 1980 को रजिस्टर्ड की गई है ।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1320 एक्यु-23-I/80-81—

अतः मुझे, मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिस की सं० स० नं० 88-1 प्लाट नं 47 है । तथा जो विलेज रैया राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती भानुकुमारीबा रावतावाला साहेब,
बिलखा हाउस,
राजकोट

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुशीलाबेन जयंतीलाल आहिया
पराबजार, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो माप में 377. 7. 0 चौरस गज है और जिसका स० नं० 88-1, प्लोट नं० 47 है और जो गांव रैया राजकोट में स्थित है । यह मिलकत बिक्री खत नं० 3005 ता० जून 80 को रजिस्टर्ड की गई है ।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1321 एक्यु 23-I/80-81—अतः मुझे, मांगीलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है); की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 88-1, प्लोट नं० 46 है । तथा जो रैया विलेज, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती बा श्री नन्दकुंवर बा रावतवाला साहेब,
बिलेखा हाउस,
राजकोट

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मृणीलाबेन जयंतीलाल आहूवा
पराबजार, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्राधिकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लॉट जो माप में 500.2 चौरस गज है और जिसकी स० नं० 88-1, प्लोट नं० 46 है जो गांव रैया राजकोट में है । यह मिलकत बिक्री खत नं० 3009 के द्वारा ता० 12-6-80 रजिस्टर्ड की गई है ।

मांगीलाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1322/एक्वी-23-I-/80-81—अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 88-1, प्लाट नं० 24-बी है तथा जो गांव राईया, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-6-80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, **अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्रीमती दादीबेन हिरालाल; गुणवानदरई एस०, वासन्तलाल हिरालाल, जयन्तीलाल हिरालाल, चनदुलाल हिरालाल, गणशाम हिरालाल, 12-जयराज प्लाट, राजकोट ।

(अन्तरक)

(2) श्री बाबुलाल जीनाभाई टानक, राथिया रोड, राजकोट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुला प्लाट जमीन जिसका माप 568-8-0 वर्ग गज में सर्वे नं० 88-1, प्लाट नं० 24-बी है गांव राइया राजकोट, में स्थित है । जो बिक्रिखत में संपूर्ण वर्णन में राजकोट रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 2-6-1980 रजिस्ट्रेशन नं० 3415 रजिस्ट्री की गयी है ।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11 फरवरी 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1064/एक्वी-23-II/80-81—अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० नोंध नं० 329 आर० एस० नं० 92-2 पैकी सीटी० एस० नं० 1944 है तथा जो आरोग्यनगर सोसायटी, अथवा लाईन्स, सूरत में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री ईश्वरलाल मणीशंकर भट्ट आरोग्यनगर, अथवा लाईन्स, सूरत।

(अन्तरक)

(2) श्री अुशाल भाई नगीनदास पटेल
8-ए, पेरेडाईश एपार्टमेन्टस, अथवा लाईन्स, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिल्कत जो सीटी सं० नं० 1944 से आरोग्यनगर अथवा लाईन्स में स्थित है, और 4-6-1980 को सूरत में रजिस्ट्री की गई है।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक 9/11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11 फरवरी 1981

निदेश सं० पी० आर० नं० 1065/एक्वी-23-II/80-81:—

अतः, मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 91, न्यू बोर्ड नं० 13, नोंध नं० 174 है तथा जो मजूरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री थाना भाई अब्दुल गनी लोखंडवाल
गोपीपुरा, वहोरावाड, सूरत ।
(अन्तरक)

(2) प्रमुखः श्री राजेशकुमार कांतिलाल शाह
जामनगर सोसायटी, घोड-दोड रोड, सूरत ।
सेक्रेटरी: श्री के० डी० कोठारी
जीवन दीप सोसायटी, लमलीयावाड, सूरत ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो एस० नं० 91, न्यू बोर्ड नं० 13, नोंध नं० 174 से मजुरा में स्थित है और 2-6-1980 को रजिस्ट्री की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 9-11-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11-2-1981

निदेश नं० पी० आर० नं० 1066/एक्वी०-23-II/80-81

अतः मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 2147 बी०, धोड-दोड रोड, है तथा जो सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अशोककुमार बलवंतराय पाटीदार
पाटीदार सदन, गुरुकृपा सोसायटी के पास, धोड-दोड रोड, अथवा, सूरत । (अन्तरक)

(2) ईश्वर भाई प्रभुभाई पटेल
गांव भमैया, तालुका : बारडोली,
जिला : सूरत । -

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सी० एस० नं० 2147/73, से गुरुकृपा सोसायटी के नजदीक पाटीदार सदन, धोड-दोड रोड, अथवा में स्थित है और 26-6-1980 को रजिस्ट्री की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक 9/11-2-1981
मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1067/एक्वी० 23-/II80-81—अतः मुझे मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी नोंध नं० 480, वार्ड नं०-6 है। तथा जो सूरत में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-6-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथा पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चंपकलाल मगनलाल धारिया
मंछरपुरा, खाराडी शेरी,
सूरत।
(अन्तरक)

(2) श्री फरसराम ठाकोरदास
के द्वारा—मेसर्स बालाजी रीबन ट्रेडिंग कम्पनी
मंछरपुरा, टेकरावाम, सूरत
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिल्कियत जो नोंध नं० 480, वार्ड नं० 6 में स्थित है, और सूरत में 9-6-1980 को रजिस्ट्री की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 9/11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1068/एक्वी० 23-II/80-81—

अतः मुझे मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन एस० नं० 40पैकी है। तथा जो कणबी-वास, भरूच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भरूच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रणजीत फरदनजी एन्ड सन्स के भागीदार—
श्री सरोश दीनशाजी जीनावाला
श्री दीनशाजी फेरदुनजी जीनावाला
श्री सरोश दीनशाजी जीनावाला
सिविल लाईन्स, भरूच

(अन्तरक)

(2) श्री मिनरवा कन्स्ट्रक्शन के भागीदार—
श्री गोविन्दभाई एफ० मिस्त्री
श्री दीपककुमार गोविन्दभाई मिस्त्री
श्री फलश्रुति को० ओप० हाउसिंग सोसायटी
भरूच

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो एस० नं० 40 पैकी प्लाट नं० 2, 3 से कणबीवास, भरूच में स्थित है और 26-6-80 और 27-6 1980 को भरूच में रजिस्ट्री की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 11-2-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1069/एक्वी० 23-II/80-81—

अतः मुझे मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 4, पैकी जमीन, अली में है। तथा जो भरूच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भरूच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री वाई० अमीना
इब्राहीम हाजी इस्माईल की विधवा
और सगीर हनीफ इब्राहीम मोटी डुंगरी, भरूच
श्री रशीद इब्राहीम हाजी इस्माईल भरोच
श्री मोसाद इब्राहीम हाजी इस्माईल भरूच
(अन्तरक)

(2) श्री भरत सी० शाह
प्रमुख : श्री महावीर को० ओप० हाउसिंग सोसायटी
श्रीमाली पोल, भरूच
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो एस० नं० 4 से अली, भरूच में स्थित है, और 3-6-1980 को रजिस्ट्री की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1070/एकवी-23-Ii/80-81—

अतः मुझे मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 140, जमीन है। तथा जो पालोज, कल्पना सोसाईटी नजदीक, पालेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भरोच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त उल्लिखित संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री जीबावा जीलुखा
श्री रहीसखा जीलुखा
श्री उमरखा भाईखा
बाई आईशा नमीखा, नमीखा भाईखा की दीकरी
बाई माल, भाईखा जीलुखा की विधवा
बाई आजू, भाईखा जीलुखा की दीकरी
पालेज

(अन्तरक)

(2) श्री दामी शेलार फ्लोर मिल के भागीदार—
(1) श्री मोहम्मदवली पटेल
कम्बोली गांव
(2) आयेशा मुहम्मद पटेल
कम्बोली गांव
(3) अली हाजी अहमद पटेल
कम्बोली गांव
(4) जुबेदा इस्माईल पटेल
कम्पारिया गांव
(5) ईद्रारीश हाजी ईसाभाई
कम्पारिया गांव
(6) अमीनाबाई सुलेमान
कम्पारिया गांव
(7) अलीभाई हाजी मुसा
कम्पारिया गांव
(8) मोहम्मद सादिक अली हाजी मुसा
कम्पारिया गांव
(9) हरून सईद अली हाजी मुसा
कम्पारिया गांव
(10) ईकबाल अली हाजी मुसा
कम्पारिया गांव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जो ब्लोक नं० 140, से पालेज में स्थित है, और 27-6-1980 को भरोच में रजिस्ट्री की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

तारीख : 9/11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11 फरवरी 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1071/एक्वी 23-II/80-81—अतः मुझे, मांगी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लाट नं० 304, सेक्टर नं०-22 है, तथा जो गांधीनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

तारीख : 12-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री सूर्यकान्त मणीलाल शाह
257/बी, जवाहरनगर,
गारेगांव ईस्ट, बम्बई-62।
(अन्तरक)

(2) श्री चंपकलाल कांतिलाल शाह
10, कृष्णकुंज (चौथा मंजिल)
212, बालकेश्वर रोड, बम्बई-6।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो प्लाट नं० 304 से सैक्टर नं०-22, गांधीनगर टाउनशिप में स्थित है, जो बिक्री खत नं० 1013 से सब-रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालय गांधीनगर में 12-6-1980 को रजिस्ट्री किया गया है और बिक्री खत में सम्पूर्णतः वर्णित किया गया है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 9-11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11 फरवरी 198

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1072/एक्वी० 23-II/80-81—

अतः मुझे, मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एफ० पी० नं० 596, टी० पी० एस० 2, गोधरा है। तथा जो गोधरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गोधरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धनजीभाई दीपचन्द शाह
उर्फे सुखाडिया
(अन्तरक)

(2) डा० कुलीन कुसुमारी पंड्या
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो एफ० पी० नं० 596 टी० पी० एस०-2, से गोधरा में स्थित है, ये मकान बिक्री खत नं० 1295 से रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालय गोधरा में 20-6-1980 को रजिस्ट्री किया गया है और बिक्री खत में सम्पूर्णतः वर्णित है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 9/11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11 फरवरी 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1073/एक्वी० 23-II/80-81—अतः मुझे, मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मुनी नं० 2/822/16, सीटी सर्वे नं० शीट नं० 26बी, सी० एस० नं० 11336 है तथा जो कालेज कम्पाउन्ड, शाक मार्केट के नजदीक, पालनपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मोरारजी भाई अमृतलाल जोशी
के द्वारा—राजेन्द्रकुमार, बाबूलाल सोमाणी
कोलेज कम्पाउन्ड, सब्जी मंडी, के नजदीक, पालनपुर।
(अन्तरक)

(2) श्री राजेन्द्रकुमार बाबूलाल सोमानी
कालेज कम्पाउन्ड, सब्जी मंडी के नजदीक,
पालनपुर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो सीटी सर्वे नं० 26बी०, सी० एस० नं० 11336, म्युनिसिपालीटी नं० 2/822/16 से पालनपुर में स्थित है, ये बिक्री खत नं० 1624 से रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालय पालनपुर में, माह जुलाई 1980 को रजिस्ट्री किया गया है और बिक्री खत में सम्पूर्णतः वर्णित किया गया है।

मांगी लाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 9/11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9/11 फरवरी 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1074/एक्वी० 23-II/80-81—अतः मुझे, मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सीटी सर्वे नं० 57 सी० मुनी नं० 1/551/के०/13/ए० है। तथा जो पेट्रोल पम्प के पीछे, बनास होटल के सामने, पालनपुर शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री परशोत्तम जेठालाल जादव
पथार सदाक भरपारनो थुम्बडो
पालमपुर शहर, पालनपुर।
(अन्तरक)

(2) श्री प्रजापति देवचन्दभाई गमनभाई
पोस्ट—चन्दीसर, तालुका—पालनपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो सीटी सर्वे सीट नं० 57 सी० एस० नं० 12117 (पैकी), मुनी नं० 1/1551/के०/13/ए०, से, बिक्री खत नं० 1388 से, रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालय पालनपुर में 13-6-1980 को रजिस्ट्री किया गया है, और बिक्री खत में सम्पूर्णतः वर्णित है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 9/11-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1075/एकवी-23-II/80-81—अतः मुझे मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 11, सापनराई कालोनी, है तथा जो शिवमहल एपार्टमेन्ट के पास, बेरोडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) जगा कुरूप,
11, सापनराई, कोलोनी,
बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) इन्द्रा जुगेन्द्रलाल दलाल,
(2) श्रीमती मधुरी निखील दलाल,
11, सापनराई, कोलोनी,
शिवमहल एपार्टमेन्ट के पास,
बेरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो प्लाट नं० 11, सापनराई कालोनी, शिवमहल एपार्टमेन्ट के पास बेरोडा में स्थित है। जो बिक्री खत नं० 3240 में बेरोडा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जून, 1980 में रजिस्ट्री की गयी है। जो सम्पूर्ण वर्णन है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 12-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1076/एकवी-23टII/80-81—

अतः मुझे मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 463, 482 है तथा जो मौजे वाडसार, बेरोडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 6-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चन्द्रकान्द माधवलाल दालवाडी,
कुमुदान भालीया, राजमहल रोड,
बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) अन्नापूर्णा को०-ओ०-हाउसिंग सोसाईटी,
के द्वारा अमपालाल पी० पटेल,
गोरव, बेरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला जमीन जो सर्वे नं० 463 और 482 (पैकी), में वाडसार गांव में स्थित है। जो बिक्री खत नम्बर 3193-3198, 3204, 3268, 3263, 3254, 3265 पर सम्पूर्ण वर्णन में बेरोडा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 6-6-1980 में रजिस्ट्री की गई है।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 12-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1077/एक्वी/23-II/80-81--

--अतः मुझे मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 109 (पैकी) और सर्वे नं० 110 (पैकी) है तथा जो मोजे दभेश्वर बेरोडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

9—496GI/80

(1) श्री महमद यूनस उमन गणी,
मोगुलवाडा, गेनदी गेट,
बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) अनु० को०ओ०हाउसिंग सोसाईटी,
के द्वारा मगन भाई दायाभाई पटेल,
गेनदी गेट, मोगुलवाडा, बेरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला जमीन जिसका सर्वे नं० 109 और 110 मोजे दभेश्वर बेरोडा में स्थित है। जो बिक्री खत नं० 3523, 3524, 3525, 3558, और 3562 पर सम्पूर्ण वर्णन में बेरोडा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्री की गई है।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 12-2-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1078/एकवी-23-II/80-81—अतः मुझे मांगीलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० नं० 101 है। तथा जो निसामपुरा, बेरोडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-6-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बाबूभाई बापाभाई पाटनवाडिया
और दूसरे,
निसामपुरा, बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) अमबिकानगर को०ओ०हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड,
निजमपुरा,
बुरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला जमीन जो सर्वे नं० 101 में निसमपुरा बेरोडा में स्थित है। जो बिक्रीखत नम्बर स० 3536, 3537, 3538 और 3539 पर पूर्ण वर्णन में बेरोडा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्री की गई है।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 12-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी, 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1079/एक्वी/23-II/80-81—
अतः मुझे, मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० पी० एस० 2, फैनल प्लाट नं० 536 है, तथा जो आनन्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आनन्द में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री ईश्वरभाई धुलाभाई चैडा और दूसरे,
आनन्द तालुका, आनन्द।

(अन्तरक)

(2) श्री रमेशचन्द्रा रामनभाई पटेल,
आनन्द तालुका, आनन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला जमीन आर० एस० नं० 11472, फैनल प्लाट नं० 536, टी० पी० एस० 2, आनन्द में स्थित है।

मांगी लाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

तारीख : 12-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी 1981

निर्देश सं० पी० आर० नं० 1080/एक्वी/23-II/80-81—

अतः मुझे, मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 114, प्लाट नं० 67, है, तथा जो गांव जेनलपुर, बेरोडा सिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री सुन्दरलाल छोटालाल वेलन और दूसरे,
मामानी पोल, बेरोडा।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री प्रदीप अनुकानद पटेल,
श्रीनिकेतन सोसाईटी,
न्यू इन्डिय मिल के सामने, बेरोडा
2 श्री हिमेशा नरेन्द्रा भाई पटेल,
रामभाई मनशन, सायाजीगंज,
बेरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका सर्वे नं० 114, प्लाट नं० 67, टी० पी० एस० 1, एफ० पी० नं० 446 में गांव जेनलपुर में स्थित है। जो बिक्री खत नं० 3475 में सम्पूर्ण वर्णन पर बेरोडा सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 19-6-1980 में रजिस्ट्री की गई है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 12-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी, 1981

निर्देश सं० नं० 1323/एकवी० 23-I/80-81—अतः मुझे मांगी लाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

(रजिसकी सं० नं० 82 और 83 पैकी प्लाट न० 182/159 तथा जो सोसाइटी प्लाट नं० 196-220 आजाद सोसायटी में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-6-80 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री मानसिंह हरिसिंह झाला
नवरंगपुरा
अहमदाबाद। (अन्तरक)

(2) श्री कुंजबिहार हिमतलाल दवे,
एलिस ब्रिज
अहमदाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यहगला जो माप में 564 चौरस गज है। जिसका नं० स० नं० 82-83 और प्लाट नं० 182/159 फा० प० नं० 116 है यह मिलकत दस्तरापुर आजाद सोसायटी में है। यह मिलकत रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री नं० 4942, तारीख 9-6-80 में रजिस्टर्ड किया गया है।

मांगी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख : 12-2-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी 1981

निर्देश सं० एस आर 1324/एक्वी० 23--80-81--अतः मुझे मांगी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 34 हिस्सा नं० 1 है। तथा जो विलेज रानीप अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री शिवाभाई जीजीभाई पटेल,
रानीप,
जिला अहमदाबाद
(अंतरक)

(2) काशीबा को०-ओप०-हा० सो० लि०
रानीप,
जि० अहमदाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो माप में 1694 चो० गज है और जिसका स० नं० 34 हिस्सा नं० 1 विलेज रानीप—अहमदाबाद में है। यह जिला रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अहमदाबाद द्वारा रजिस्ट्री डीड नं० 3920/9 जून 80 द्वारा रजिस्टर किया गया है।

मांगीलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 12-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 फरवरी 1981

निदेश सं० पी० आर० 1325/एक्वी० 23-I--अतः मुझे मांगीलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1294-1295 ऑफ घोघा सर्कल है तथा जो घोघा रोड, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री गुलवन्तराय मामचन्द मेहता
20/7, रफी किदवाई रोड,
बड़ाला,
बोम्बे।

(अन्तरक)

(2) सिंध हिन्दू को० ओप० हा० सो० लि०
चेयरमैन, लक्ष्मनदास विश्रामदास राधेश्वर
लोटी बाजार,
भावनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो माप में 2380 चौरस गज है। यह जमीन प्लोट नं० 1294-1295 में है और यह घोघा रोड, भावनगर में स्थित है। यह मिलकत रजिस्टर्ड डीड नं० 178 में तारीख 13-6-1980 कि मलकियत रजिस्टर्ड की गई है।

मांगीलाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 12-2-81
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना-411004

पूना411004, दिनांक 17 फरवरी 1981

निर्देश सं० सी० ए० 5/एस० आर० हवेली-II/जुल० 80/499/80-81—यतः मुझे, ए० सी० चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 321/1, 321/3, 320/2ए और 321/2 थेऊर, जि० पुणे है तथा जो थेऊर जि० पुणे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुय्यम निबंधक हवेली-II में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30 जुलाई 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुरेश महिम्बर
पो० येलहंका, बंगलोर,
(अन्तरक)

(2) मेसर्स सिरम इन्स्टीट्यूट
283 महात्मा गांधी रोड, पुणे-9
(अन्तरिती)

(3) मेसर्स सिरम इन्स्टीट्यूट
283 महात्मा गांधी रोड, पुणे-9
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेती की जमीन सं० नं० 321/1—5 गुंटाज, सं० नं० 321/3—5 एकर और 10 गुंटाज, सं० नं० 320/2ए—2 एकर और 28 गुंटाज और 321/2—5 एकर और 9 गुंटाज—जिसमें पेडाकस, तबेला, कम्पाउन्ड और स्ट्रकचर्सइ० स्थित है और जो थेऊर ग्राम पंचायत की कक्षा में आती है। [जो पूना म्यूनिसिपल कक्षा के बाहर है।]

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2721 दिनांक 30-7-1980 सब रजिस्ट्रार हवेली-2 के दफ्तर में लिखा है।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना।

तारीख : 17-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 फरवरी 1981

निर्देश सं० सी० ए० 5/एस० आर० हवेली-II/जुले-80/-498/80-81—यतः मुझे ए० सी० चंद्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 303, 304, 285, 286/2, 287, 286/1 और गट नं० 1579 थेऊर जि० पुणे है तथा जो थेऊर जि० पुणे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली-II में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30 जुलाई 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुरेश महिन्द्र
पो० येलहंका, बंगलौर
(अन्तरक)

(2) मेसर्स सिरम इन्स्टीट्यूट
283 महात्मा गांधी रोड,
पुणे-9
(अन्तरिती)

(3) मेसर्स सिरम इन्स्टीट्यूट
283 महात्मा गांधी रोड
पुणे-9
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेती की जमीन सं० नं० 303-17 एकर और 34 गुंठाज सं० नं० 304-19 एकर और 25 गुंठाज (5—एच और 78 आर बिगर खेती की जमीन), सं० नं० 285, 3 एकर, 2 गुंठाज, सं० नं० 286/2, 22 गुंठाज, सं० नं० 287-5 एकर, सं० नं० 286/1, 39 गुंठाज और गट नं० 1579, 3 एकर और 25 गुंठाज, जिसमें पेडॉकस्, तबेला, आफिस स्टाफ क्वार्टर्स बंगलो, अधुरे मकान इत्यादि स्थित हैं जो थेऊर ग्राम पंचायत की कक्षा में आती है।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2720 दिनांक 30-7-1980 को सब रजिस्ट्रार हवेली-II के दफ्तर में लिखा है।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना।

तारीख : 17-2-81
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 फरवरी 1981

निर्देश सं० आय ए० सी०/सी० ए० 5/एस० आर०-सांगली/-जुलै 80/501/80-81—यतः, मुझे ए० सी० चंद्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सी० सं० नं० 1590-अ० है तथा जो सांगली सिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० सांगली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-7-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री आनंदराव छोडजी डुबल,
रा० भूविकास बैंक कार्यालय,
सांगली।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री महादेव बलवन्त देशमुख उर्फ धारगे
रा० विखल, जिल्हा सातारा,
2. श्री कांतिलाल ज्ञानोबा कदम
रा० कानरखटाव, जि० सातारा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी :—सी० टी० सर्वे नं० 1590 अ० इसका क्षेत्रफल 423 चौरस मीटर्स है और उस पर इमला बांधा हुआ है। जो सांगली की म्युनिसिपल कक्षा में आती है।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1495 दिनांक 20-7-80 को सब रजिस्ट्रार सांगली के दफ्तर में लिखा है।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना।

तारीख : 19-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 फरवरी 1981

निर्देश सं० आय० ए० सी०/सी० ए० 5/एस० आर० सांगली/जुलै 80/500/80-81—यतः मुझे, ए० सी० चंद्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सी० स० नं० 1722/9 है तथा जो सांगली सिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० सांगली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बालू भिमा वाघमोडे
सांगली के सिव्हील हास्पिटल के नजदीक
सांगली ।

(अन्तरक)

(2) श्री आप्पासाहेब उर्फ तवनाथा श्रीमंधर बडोरे
रा० देसाई बदनीकाई-मार्केट यार्ड,
सांगली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण 1—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सी० टी० सर्वे नं० 1722/9 सांगली में 281.9 चौरस मीटर की जमीन और उस पर स्थित हुई बिल्डिंग है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1451 दिनांक 13-7-80 को सब रजिस्ट्रार सांगली के दफ्तर में लिखा है ।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 19-2-1981
मोहर :

फर्म आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 21 फरवरी 1981

निदेश सं० सी० 5/एम० आर० हवेली 1/जून 80/503/-80–81—यतः मुझे, ए० सी० चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 4 स० नं० 42/ए/1-ए/2-एच सी० स० नं० 179 है तथा जो गुरुंडवना पूना 4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक हवेली I में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-6-80 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं; उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) सौ० कुंदा सुरेश साने
(2) सौ० मंगला कुमार कुलकर्णी
केअर आफ श्री व्ही० के० साने
893/3 शिवाजी नगर, पूना 4।
(अन्तरक)

2. अखिल सहकारी हाउसिंग सोसायटी लि०
सी० स० नं० 179, एरंडवना पूना-4।
(अन्तरिती)

3. (1) सौ० कुन्दा एस० साने
(2) सौ० मंगला के० कुलकर्णी
केअर आफ श्री व्ही० के० साने
893/3 शिवाजी नगर पूना-4।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 4 जो स० नं० 42/ए/1-ए/2-एच सि० स० नं० 179 एरंडवना पूना 4, में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 2385 और 2384 जो 26-6-80 को दुय्यम निबंधक हवेली के दफ्तर में लिखा है।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 21-2-81
मोहर :

फ़ार्म आई. टी. एस. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 21 फरवरी 1981

निर्देश सं० सी० ए० 5/एस० आर० हवेली-I/जून 480/504/-80-81—यतः, मुझे, ए० सी० चंद्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 2 स० नं० 42/ए/1-ए/2-एच सी० टी० एस० नं० 179 है तथा जो एरंडवना, पूना-4, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबंधक, हवेली-I में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) कुमारी संध्या कृष्णाजी साने
   (2) श्री सुरेश कृष्णाजी साने
   (3) सौ० मनोरमा कृष्णाजी साने
   (4) कुमारी मिरा कृष्णाजी साने
   केअर आफ वी० के० साने, 893/3, शिवाजी नगर, पूना-4

   (अन्तरक)

2. अखिल सहकारी हाऊसिंग सोसायटी लि०
   सी० टी० एस० नं० 179, एरंडवना, पूना-4

   (अन्तरिती)

3. (1) श्री सुरेश के० साने
   (2) सौ० मनोरमा के० साने
   (3) कु० संध्या के० साने
   (4) कु० मिरा के० साने
   केअर आफ वी० के० साने,
   893/3, शिवाजी नगर, पूना-4
   (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2 जो स० नं० 42/ए/1-ए/2-एच, सी० टी० एस० नं० 179,-एरंडवना, पूना-4 में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 2245, 2248, 2249 और 2250 जो 13-6-80 को दुय्यम निबंधक, हवेली-I के दफ्तर में लिखा है।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 21-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 21 फरवरी 1981

निर्देश सं० सी० ए० 5/एस० आर० हवेली I/जन '80/-505/80-81—यतः, मुझे ए० सी० चंद्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 5 स० नं० 42/ए/1-ए/-एच०सी० टी० एस० नं० 179 है तथा जो एरंडवना, पूना-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबंधक, हवेली-I में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरकण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) सौ० आशा भास्कर वझे
(2) आरती वसन्त क्षीरसागर
केअर आफ श्री वी० के० साने,
893/3, शिवाजी नगर, पूना-4

(अन्तरक)

2. अखिल सहकारी हाऊसिंग सोसायटी लि०,
सी० टी० एस० नं० 179,
एरंडवना, पूना-4

(अन्तरिती)

3. (1) सौ० आशा बी० वझे
(2) सौ० आरती वी० क्षीरसागर
केअर आफ वी० के० साने,
893/3, शिवाजी नगर, पूना-4
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 5 जो स० नं० 42/ए/1-ए/2-एच सी० टी० एस० नं० 179, एरंडवना, पूना-4 में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 2383 और 2386 जो 26-6-80 को दुय्यम निबंधक, हवेली-I के दफ्तर में लिखा है।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 21 2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 21 फरवरी 1981

निदश सं० आय०/ए० सी० (सी० ए०/एस० आर० हवेली-1/502/80-81—यतः मुझे ए० सी० चंद्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 1, स० वी० नं० 42/अ/1अ/2ह/सी० टी० एस० नं० 179 है तथा जो एरंडवने पुने 4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली-1 में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-9-80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) सो० आरती वसंत क्षीरसागर
(2) सौ० कुंदा सुरेश साने
(3) सौ० आशा भास्कर वझे
(4) सौ० मंगला कुमार कुलकर्णी
सर्वे द्वारा श्री व्ही० के० साने 473/3 शिवाजीनगर पुणे-4

(अन्तरक)

(2) अखिल को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड
सी० टी० एस० नं० 179 एरंडवने, पुने-4

(अंतरिती)

(4) (1) सो० आरती व्ही० क्षीरसागर
(2) सौ० आशा बी० वझे
(3) सौ० मंगला के० कुलकर्णी
सौ० कुंदा एस० साने
सर्वे द्वारा व्ही० के० साने
873/3 शिवाजीनगर, पुने-4

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1, सर्वे नं० 42/अ/1-अ/2-ह० सी० टी० एस० नं० 179 एरंडवना पुने-4।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2243, 2244, 2249, 2247 जो 13-9-80 को दुय्यम निबंधक हवेली I के दफ्तर में लिखा हुआ है।)

ए० सी० चंद्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 29-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० करनाल/22/80-81.—अतः मुझे गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 283 आर माडल टाऊन करनाल है तथा जो करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री ब्रह्मा नन्द पुत्र श्री मुकन्द लाल शर्मा, 137 जी० माडल टाऊन, करनाल।

(अन्तरक)

(2) श्री परमजीत कुमार पुत्र श्री आत्मा सिंह मोगा 29 मेन मार्केट माडल टाऊन, करनाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 283 आर माडल टाऊन करनाल में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2085 दिनांक जून, 1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 4-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० बी० जी० आर०/21/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज रोहतक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० बंगला प्लाट नं० 5-डी/38 का हिस्सा फरीदाबाद है तथा जो फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बलबगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री करतार सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह कोठी नं० 450, सेक्टर 37-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी श्री मंगत राम निवासी 10 ए/26 शक्ति नगर देहली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 5ई/38 जो फरीदाबाद में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता बलबगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2860 दिनांक 9-6-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 4-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० पानीपत 10/ 80–81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अर्जन रेंज रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 338 एल, है तथा जो माडल टाऊन पानीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पानीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन, तारीख जून, 1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दलीप सिंह पुत्र श्री केसर सिंह मकान नं० 338 एल माडल टाऊन पानीपत ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दर्शन देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश श्री विजय कुमार मित्तल पुत्र श्री वेद प्रकाश मकान नं० 338 एल माडल टाऊन, पानीपत ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 338 एल जो माडल टाऊन पानीपत में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 1908 दिनांक 2-6-1980 में दिया गया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 6 जनवरी 1981

निदेश सं० टोहाना/2/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 80 कनाल है तथा जो इन्दोची गांव (टोहाना) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हिसार में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सन्त लाल पुत्र श्री किशन चन्द निवासी, सोनीपत।
(अन्तरक)

(2) श्री चन्दू राम पुत्र श्री पत राम श्री धरम पाल, बल्लू, बलवन्त पुत्रान श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री चन्दू राम निवासी इन्दोठी तहसील टोहाना, जिला हिसार।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 80 कनाल जो गांव इन्दोची में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता टोहाना के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 646 दिनांक 5-6-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० हिसार/12/80-81---अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 171-एन०, माडल टाउन, है तथा जो हिसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हिसार में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1808 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्रीमती शान्ती देवी सहगल पत्नी श्री कर्म चन्द कोठी नं० 1220 सेक्टर 18 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री शादी लाल पुत्र श्री महंगा राम श्रीमती फूल कुमारी पत्नी श्री शादी लाल श्री नंद किशोर पुत्र श्री शादी लाल मकान नं० 171 एन माडल टाऊन, हिसार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 171 एन जो माडल टाऊन हिसार में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता हिसार के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 1910 दिनांक 17-7-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० सिरसा/70/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 31 कनाल 9 मरला, है तथा जो गांव अहमदपुर (सिरसा) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिरसा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री छज्जू राम, निवासी सिरसा।
(अन्तरक)

(2) श्री रमन कुमार पुत्र श्री बलदेव गांव व डाकखाना अहमदपुर, जिला सिरसा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 31 कनाल 9 मरला जो गांव अहमदनगर (सिरसा) में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता सिरसा के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 3014 दिनांक 5-7-80 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 4-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एस.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० सिरसा/69/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, रोहतक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 31 कनाल 9 मरला है तथा जो गांव अहमदपुर (सिरसा) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिरसा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री छज्जू राम निवासी सिरसा। (अन्तरक)

(2) श्री रमन कुमार पुत्र श्री बलदेव गांव व डाकखाना अहमदपुर, जिला सिरसा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 31 कनाल 9 मरला जो गांव अहमदपुर (सिरसा) में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता सिरसा के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या नं० 2725, दिनांक 24-6-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 4-2-1981
मोहर :]

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

चण्डीगढ़, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० गुड़गांव/19/80-81:—अतः मुझे, गो० सि०गोपाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति नं० 813/16 का हिस्सा नजदीक बुटेश्वर है तथा जो मन्दिर बसाई रोड़, गुड़गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गांव में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री भरत पाल सिंह, (2) श्री सुरेश चन्द्र पुत्र सूबेदार राम चन्द्र मार्फत श्री भरत पाल सिंह निवासी, पलवल (अन्तरक)
2. (1) श्रीमती इन्दु अग्रवाल पत्नी श्री बी०एल० अग्रवाल (2) श्रीमती बकुन्ती देवी पत्नी श्री रामेश्वर दयाल मार्फत श्री बी अम्ल अग्रवाल न्यू बैंक आफ इन्डिया अम्बाला केन्ट । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० 83/16 का हिस्सा नजदीक बुटेश्वर मन्दिर बसाई रोड़ गुड़गांव में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता गुड़गांव के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2709 दिनांक 18-8-1980 में दिया गया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण,
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 4-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० गुड़गांव/18/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सम्पत्ति नं० 813/16 का हिस्सा नजदीक बुटेशवर है तथा जो मन्दिर बसाई रोड़, गुड़गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गांव में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भरत पाल सिंह, सुरेश चन्द्र पुत्रान सूबेदार राम चन्द्र, भारती देवी लड़की श्री राम चन्द्र मार्फत श्री भरत पाल निवासी पलवल ।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री रघुबीर प्रशाद, सुरेश चन्द्र पुत्रान श्री रामेश्वर दयाल मार्फत गुड़गांव ट्रेडिंग कम्पनी, बसाई रोड़, गुड़गांव ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० 813/16 का हिस्सा जिसमें तीन दुकान व प्लाट नजदीक बुटेशवर मन्दिर बसाई रोड़ गुड़गांव में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्री कर्ता गुड़गांव के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2768 दिनांक 18-8-1980 में दिया गया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ ।

तारीख : 4-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० रोहतक/9/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 357 वार्ड नं० 21 अब (162/28 है तथा जो दरयाव नगर रोहतक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रोहतक में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दलीप सिंह पुत्र श्री श्यो सिंह गांव व डाकखाना बलियाणा (रोहतक)।

(अन्तरक)

(2) श्री कली राम पुत्र श्री जागे राम श्रीमती भूरा देवी पत्नी श्री चन्दन सिंह गांव व डाकखाना खरावड़ (रोहतक)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि मकान नं० 357 वार्ड नं० 21 जो दरयाव नगर रोहतक में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता रोहतक के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2027 दिनांक 18-7-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० ए० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 13 फरवरी 1981

निदेश सं० कैथल/12/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० भूमि 10 कनाल है तथा जो कैथल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैथल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर या के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों का जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री धन सिंह पुत्र श्री गालु राम पुत्र श्री गंगा राम निवासी अमरगढ़ गावरी कैथल ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती सलोचना देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द शर्मा,
(2) श्री लीला सिंह पुत्र श्री बगर
(3) श्री परथा पुत्र श्री तम्बू
(4) श्री प्रेम पुत्र श्री अर्जुन सिंह
(5) श्री राम कुमार पुत्र श्री सरता
(6) बल्ली सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह
(7) श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री नानू राम
(8) श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री नानू
(9) श्री अजमेर सिंह पुत्र श्री अमे राम
(10) श्री भाने राम पुत्र श्री राज करन
(11) प्रितपाल पुत्र श्री देवी सिंह
सब निवासी कैथल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि 10 कनाल जो कैथल में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्री कर्ता कैथल के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 1375 दिनांक 17-6-1980 में दिया गया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 13-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 13 फरवरी 1981

निदेश सं० करनाल/21/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 11 बीघा 18 बिसवा है तथा जो करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राम लाल पुत्र श्री हीरा नन्द शक्ति कालौनी, करनाल।

(अन्तरक)

(2) मैसर्ज हनुमान राईस एण्ड जनरल मिल करनाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 11 बीघा 18 बिसवा जो करनाल में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2072 दिनांक 28-6-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 13-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० बी० जी० आर०/19/80-81:—अतः मुझे, गो० सी० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ङ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 120 डी एल एफ० इन्डस्ट्रियल इस्टेट है तथा जो मथुरा रोड़, फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लबगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) मैसर्ज कन्सट्रक्शन मेटिरल ऐजेन्सी 116 उदय पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री शीतल प्रशाद जैन पुत्र श्री भोदू मल जैन श्री सत लाल जैन पुत्र श्री भान्डा मल जैन, 4, प्राईवेट जवाहर नगर श्री नगर (जम्मू कशमीर अब मकान नं० 104, ब्लाक सी, श्री गंगा नगर (राजस्थान)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 120, 1310 वर्ग गज जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट मथुरा रोड़, फरीदाबाद में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता बल्लबगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2805 दिनांक 9-6-1980 में दिया गया है।

गो० सी० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 4-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 13 फरवरी 1981

निदेश सं० जगाधरी/9/80–81:—अतः मुझे, गो० सी० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 4 कनाल 3 मरला है तथा जो जगाधरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगाधरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुमन देवी लड़की श्री राम गोपाल, श्रीमती गुनवती पत्नी श्री राम गोपाल मार्फत श्री मदन लाल हरगोपाल पुत्र श्री दुर्गा प्रशाद मार्फत श्री रविन्द्र कुमार जगाधरी ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स द्वारका इन्टरप्राईज जगाधरी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि 4 कनाल 3 मरला जो जगाधरी में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता जगाधरी के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 1842 दिनांक 12-6-1980 में दिया गया है ।

गो० सी० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक ।

तारीख : 13–2–1981.
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० बी० जी० आर०/127/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज रोहतक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 47, 1288.88 वर्ग गज सेक्टर 24 इन्डस्ट्रियल ऐरिया है तथा जो फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लबगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री जी० डी० बिलोत्रा पुत्र श्री सावन मल निवासी साऊथ ऐक्सटेंशन पार्क नं० 2, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री भजन लाल पुत्र श्री गोविन्द राम निवासी 1-बी० 3 नई टाऊनशिप फरीदाबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति प्लाट नं० 47, 1288.88 वर्ग गज जो सेक्टर 24 फरीदाबाद में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता बल्लभगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 8367 दिनांक 12-11-1980 में दिया गया है ।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक ।

तारीख : 4-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 13 फरवरी 1980

निदेश सं० डबवाली/17/80/81—अतः मुझे, गो०सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि 10 मरला है तथा जो डबवाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय डबवाली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री हरबंस सिंह पुत्र श्री गज्जन सिंह निवासी डबवाली अब डूमवाली तहसील भटिण्डा (पंजाब)।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री पूनम सिंह पुत्र श्री भगत सिंह पुत्र श्री नेता सिंह डबवाली, (2) श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री तेज किशन पुत्र श्री सागर मल जिला कैथल, (3) श्री हेम राज पुत्र श्री बिशना मल पुत्र श्री सुखदास निवासी, डबवाली।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 10 मरला जो डबवाली में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता डबवाली के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 2609 दिनांक 17-12-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल,
(सक्षम प्राधिकारी)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 13-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 13 फरवरी 1981

निदेश सं० एन० के० आर०/9/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 16, सुभाष मण्डी तरावड़ी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नरेणगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण के हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1981 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री अजपाल पुत्र श्री वीर भान मार्फत श्री जगन राम निवासी करमा डोडवा तहसील करनाल।

(अन्तरक)

(2) श्री जय पाल पुत्र श्री लिज्जा राम निवासी तरावड़ी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति दुकान नं० 16 जो सुभाष मण्डी तरावड़ी में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 491 दिनांक 10-6-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 13-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 फरवरी 1981

निदेश सं० भिवानी/3/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट 1544½ वर्ग गज लोहारु रोड, है तथा जो भिवानी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भिवानी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का 16) के अधीन, तारीख 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री बिहारी लाल पुत्र श्री करम चन्द पुत्र श्री रामा मल निवासी भिवानी ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती धनवन्ती देवी पत्नी श्री पी० डी० अग्रवाल मार्फत ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ट्रांसपोर्ट हाऊस, पी०-4, न्यू सी० आई० टी० रोड, कलकत्ता-700075.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 1544½ वर्ग गज जो लोहारु रोड भिवानी में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता भिवानी के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 1357 दिनांक 8-8-1980 में दिया गया है ।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक ।

तारीख : 19-2-1981.
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 फरवरी 1981

विदेश सं० भिवानी/4/80-81—अस: मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट भूमि 1544½ वर्ग गज लोहारू रोड है तथा जो भिवानी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भिवानी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ङ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बिहारी लाल पुत्र श्री करम चन्द पुत्र श्री रामा मल निवासी भिवानी ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती धनपती पत्नी श्री पी० डी० अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ट्रांसपोर्ट हाउस, पी०—4न्यू सी० आई०टी० रोड, कलकत्ता-700075।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 1544½ वर्ग गज जो लोहारू रोड भिवानी में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता भिवानी के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 1358 दिनांक 8-8-1980 में दिया गया है ।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक ।

तारीख : 19-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 फरवरी 1981

निदेश सं० जगाधरी/7/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० एक दुकान व मकान नं० 187 जगाधरी रोड, है तथा जो यमुनानगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगाधरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री करम चन्द गोरा पुत्र श्री मोलू राम गोरा, जगाधरी रोड, यमुनानगर।

(अन्तरक)

(2) श्री हीरा लाल पुत्र श्री सन्तु, श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री लाल चन्द श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री लाल चन्द, मकान नं० 24 विश्वकर्मा मोहल्ला, यमुनानगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति एक दुकान व एक रहने का मकान नं० 187 जो जगाधरी रोड यमुनानगर में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता यमुनानगर के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 1716 दिनांक 17-6-1980 में दिया गया है।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 19-2-1981.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० 10828—अतः मुझे, राधा बाल कृष्णनं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 10/104, वेस्ट तिरुवेनकटस्वामी रोड है तथा जो कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम-बतूर (डाकुमेंट सं० 2992/80) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक . . . . को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० बरतन और अदरस।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० जय बारती।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमी और निर्माण–10/104, वेस्ट तिरुवेनकटस्वामी रोड, कोयमबतूर (डाकुमेंट सं० 2992/80)।

राधा बालकृष्णं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–II, मद्रास।

तारीख : 4–2–1981.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० 10828—अतः, मुझे, राधा बालकृष्नं,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 10/104, वेस्ट तिरुवेनकटस्वामी रोड है, जो कोयमबतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबतूर (डाकुमेंट सं० 2993/80) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री वी० रामानुजम और अदरस।

(अन्तरक)

(2) श्री रंगस्वामी चेट्टीयार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण–10/104, वेस्ट तिरुवेनकटस्वामी रोड, कोयमबतूर (डाकुमेंट सं० 2993/80)।

राधा बालकृष्नं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–II, मद्रास।

तारीख : 4–2–1981.
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज— , मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 फरवरी 1981

निदेश सं० 10831—अतः, मुझे, राधा बालकृष्नं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 67ए० है, जो सुल्लिवन स्ट्रीट, कोयमबतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबतूर (डाकुमेंट सं० 3426/80) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(i) श्री रंगराजन ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती/कुमारी सुमती ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमी और निर्माण—67 ए०, सुल्लिवन स्ट्रीट, कोयमबतूर (डाकुमेंट सं० 3426/80) ।

राधा बालकृष्नं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज—II, मद्रास ।

तारीख : 3—2—1981.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 फरवरी 1981

निदेश सं० 10824—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० टी० रास सं० 7/3614, पार्ट है तथा जो सुब्रह्मनियम रोड, कोयम्बटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर में (डाकुमेंट सं० 345/80) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून 80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती राजलक्ष्मी

(अन्तरक)

(2) जगदीसन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण-टी० रास 7/3614 पार्ट, सुब्रह्मनियम रोड, कोयम्बटूर
(डाकुमेंट सं० 345/80) ।

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,-II, मद्रास

दिनांक : 2 फरवरी, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 फरवरी 1981

निदेश सं० 10824—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

जिसकी सं० टी० एस० सं० 7/3614 है तथा जो सुब्रमनियम रोड, कोयम्बटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर में (डाकूमैंट/स०3216/80) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16 जून, 80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती राजलक्ष्मी

(अन्तरक)

(2) श्रीमति अम्बुजम, जगदीसन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण-टी० एस० सं० 7/3614, सुब्रमनियम रोड, कोयम्बटूर ।

(डाकूमैंट सं० 3216/80)

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक: 2 फरवरी, 1981

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 फरवरी, 1981

निदेश सं० 41/जून/80—यतः, मुझे, टी० ई० एस० आर० लक्ष्मीनरसिंमहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1/116, सुन्दरर स्ट्रीट, है तथा जो तिरुनगर, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार, तिरुप्परकुन्रम (डाकूमेंट सं० 532/80) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4 जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्तअधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(2) श्री के० नारायणसामी और एस० रामसामी नायुडु (अन्तरक)

(2) श्री टी० मानिक्कराचगम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और घर 1/116, सुन्दरर स्ट्रीट, तिरुनगर, मदुरै, (डाकूमेंट सं० 532/80) ।

टी० ई० एस० आर० लक्ष्मीनरसिंमहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक: 24-2-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन०एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कन्नामाई बिल्डिंग दूसरी मंजिल 621, मांउट रोड

मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 24 फरवरी 1981

निदेश सं० 42/जून/80--यतः, मुझे, टी० ई० एस० आर० लक्ष्मी नरसिंहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2/49, है, जो सुन्दरर स्ट्रीट, तिरुनगर, मदुरै में सब रजिस्ट्रार तिरुपरंकुडूम, मदुरै (डाकूमेंट सं० 533/80) स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4 जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री आर० सेतुरामन और जी० कन्नन
(अन्तरक)

(2) श्री टी० मानिक्यवाचगम
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और घर 2/49, सुन्दरर स्ट्रीट, तिरुनगर, मदुरै। [डाकूमेंट सं० 533/80]

टी० ई० एस० आर० लक्ष्मीनरसिंहन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक: 24-2-81
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं पीटीए०/34/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जायदाद 1-61-88 हैक्टेयर है तथा जो अमाम नगर, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित के व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरजिन्दर सिंह, रणजीत सिंह, मलविन्दर सिंह सुपुत्र श्रीमती करनैल कौर पत्नी श्री दविन्दर सिंह निवासी अमाम नगर (पटि- याला) डाकखाना कसाली।

(अन्तरक)

(2) श्री नन्द सिंह सपुत्र श्री जेठा सिंह, निशान सिंह करतार सिंह, गुरदियाल सिंह सुपुत्र श्री नन्द सिंह निवासी मोहल्ला खटीकां वाला, खन्ना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद 1-61-88 हैक्टेयर अमाम नगर, पटियाला में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी पटियाला के विलेख सं० नं० 2439, जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० पीटीए०/32/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जायदाद 1-61-88 हैक्टेयर है तथा जो अमाम नगर पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुरिन्दर सिंह, मलविन्द्र सिंह, रणजीत सिंह सुपुत्र श्रीमती करनैल कौर पत्नी श्री दविन्द्र सिंह निवासी अमाम नगर, पटियाला।
(अन्तरक)

(2) श्री निशान सिंह, करतार सिंह, गुरदियाल सिंह सुपुत्र श्री नन्द सिंह और श्री नन्द सिंह सुपुत्र श्री जेठा सिंह निवासी मोहल्ला खटीकांवाला खन्ना, जिला लुधियाना।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद रकबा 1-61-88 मोहल्ला, अमाम नगर, पटियाला में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय के विलेख सं० नं० 2346, जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी 1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० पीटीए/33/80-81—यतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जायदाद 1-21-41 हैक्टेयर है तथा जो अमाम नगर पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1980

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री अग्गा सिंह निवासी अमाम नगर, पटियाला।

(अन्तरक)

(2) श्री निशान सिंह, करतार सिंह, गुरदियाल सिंह सुपुत्र श्री नन्द सिंह और श्री नन्द सिंह सुपुत्र श्री जेठा सिंह, मोहल्ला खटीका वाला खन्ना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(जायदाद 1-21-41 हैक्टेयर अमाम नगर पटियाला में स्थित है।)

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय के विलेख सं० न० 2347, जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० पीटीए/38/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जायदाद रकबा 0-76-38 है तथा जो अमाम नगर, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 16) के अधीन, दिनांक जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राजबीर सिंह, सुपुत्र श्री रणजीत सिंह निवासी अमाम नगर, पटियाला।

(अन्तरक)

(2) श्री नन्द सिंह सुपुत्र श्री जेठा सिंह, निशान सिंह करतार सिंह, गुरदियाल सिंह सुपुत्र श्री नन्द सिंह निवासी मोहल्ला खटीकां वलां, खन्ना, जिला लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद 0-76-38 हैक्टेयर अमाम नगर पटियाला में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय, के विलेख सं० नं० 2611 जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी 1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० पी० टी० ए०/37/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जायदाद 1-61-88 हैक्टेयर है तथा जो अमाम नगर, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री दविन्द्र सिंह सपुत्र श्री बग्गा सिंह निवासी अमाम नगर, पटियाला।

(अन्तरक)

(2) श्री नन्द सिंह सुपुत्र श्री जेठा सिंह, निशान सिंह, करतार सिंह, गुरदियाल सिंह सुपुत्र श्री नन्द सिंह निवासी मोहल्ला खटीकां वाला, खन्ना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद 1-61-88 हैक्टेयर अमाम नगर, पटियाला में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय के विलेख सं० नं० 2610 जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० पी०टी०ए०/35/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं० जायदाद 1-79-47 हैक्टेयर है तथा जो अमाम नगर, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री दविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री बग्गा सिंह निवासी अमाम नगर पटियाला डाकखाना कसौली।

(अन्तरक)

(2) श्री नन्द सिंह सुपुत्र श्री जेठा सिंह श्री निशान सिंह, करतार सिंह, गुरदियाल सिंह सुपुत्र श्री नन्द सिंह निवासी मोहल्ला खटीकावाला, खन्ना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद रकबा 1-79-47 हेक्टेयर मोहल्ला अमाम नगर पटियाला में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय के विलेख सं० नं० 2440, जून 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी, 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० एल०डी०एच०/65/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान व प्लाट नं० बी०-VI-282 है तथा जो बेट गन्ज, माधो पुरी, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण लिए तय पाया गया ऐसे प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुरिन्द्र पाल भसीन सुपुत्र श्री मुकन्द लाल मार्फत श्री बलदेव सिंह सुपुत्र श्री बलवन्त सिंह निवासी 711, सैक्टर 11-बी०, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विनोद कुमारी पत्नी श्री अमरजीत निवासी बी०-I-1225, छावनी, मोहल्ला, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

दुकान व प्लाट बी०-VI 282, रकबा 80 वर्ग गज बेट गन्ज माधोपुरी लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1331, जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी, 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० एल०डी०एच०/83/80-81—अतः मुझे, सुख-देव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या म०नं० 898/9-बी-23, हिस्सा 186-2/3 वर्ग गज है तथा जो शिवाजी नगर लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक, जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती कैलाशवती पत्नी श्री लोकनाथ निवासी मकान नं० 898/9-B-23 शिवाजी नगर, लुधियाना मार्फत श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री हरबन्स सिंह निवासी शिवाजी नगर लुधियाना।
(अंतरक)

(2) श्रीमती फूलां देवी पत्नी श्री कमल देव निवासी म०नं० 898/9-बी-23, शिवाजी नगर, लुधियाना।
(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

म०नं० 898/9-बी-23 रकबा 186 2/3 वर्ग गज, शिवाजी नगर, लुधियाना में स्थित है।

(जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख स०नं० 1711 जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर, आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० एल० डी० एच०/82—80–81 अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० B-15-564/1 रकबा 63/1/3 वर्ग गज है तथा जो गिल रोड, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सुरजीत कौर पत्नी श्री सौदागर सिंह भक्ति बी० टी० आएरन स्टोर, गिल रोड, लुधियाना । (अंतरक)

(2) श्री त्रिलोचन सिंह सुपुत्र श्री सरदार सिंह, बी-13 1700 जेल रोड, लुधियाना भक्ति बी० टी० आएरन स्टोर गिल रोड, लुधियाना । (अंतरिती)

(3) बी० टी० आयरन स्टोर, गिल रोड लुधियाना। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(7) एम० पी० गोयल एण्ड कं० चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स निवासी बी०-15-564/1, गिल रोड, लुधियाना (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दुकान जिसका नं० बी०-15-564/1 रकबा 63.1/3 वर्ग गज और जो गिल रोड में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1686, जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० एल०डी०एच०/68/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० बी०-IV-S-21/2050 है तथा जो चौड़ा बाजार, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री जवन्डा मल ऊर्फ जवन्डा राम सुपुत्र श्री किरपा राम निवासी 8875, वार्ड नं० 5, नया बाँस बाजार अम्बाला शहर मार्फत श्री चमन लाल निवासी 8875, वार्ड नं० 5, नया बाँस बाजार अम्बाला शहर।

(अन्तरक)

(2) श्री यशपाल सुपुत्र श्री हन्स राज और प्रीति अग्रवाल पत्नी श्री सुनील कुमार, 698, विश्वा मित्र गली, सिविल लाईन, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० बी०-IV-S-21/2050 चौड़ा बाजार, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1397, जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

दिनांक: 20 फरवरी, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० एल० डी०एच०/67/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० म० नं० बी-IV-1055 है तथा जो मोहल्ला थापरा लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती इन्द्रा देवी उर्फ इन्द्रावती विधवा श्री शम्भू नाथ निवासी बी०- -1055 मोहल्ला थापरा लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ब्रिज बाला पत्नि श्री भीम सेन निवासी बी-IV-1541, मोहल्ला बन्दियां, लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० बी-IV-1055 रकबा 162 वर्ग गज मोहल्ला थापरा लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1394 जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, 20 फरवरी, 1981

निदेश सं० के एन एस०/21/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० म० नं० 225, वार्ड नं० 14 है तथा जो मोहल्ला, माता रानी, खन्ना कलां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) (रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खन्ना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) अमर सिंह सुपुत्र श्री सालिग राम निवासी इकोलाहा खुर्द और मुख्तयारे आम श्री जतिन्द्र नाथ सुपुत्र श्री नसीब चन्द निवासी 4/12 एलैक्जेण्डर पैलेस, न्यू दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री गम्दूर सिंह सुपुत्र श्री चानण सिंह निवासी मकान नं० 225, वार्ड नं० 14, मोहल्ला माता रानी, खन्ना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 225, वार्ड नं० 14, मोहल्ला माता रानी, खन्ना ।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय के विलेख नं० 848 जून, 1980 में दर्ज है) ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, 20 फरवरी 1981

निदेश सं० सी एच डी०/87/80-881—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एम० सी० ओ० नं० 108 है तथा जो सेक्टर 35-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती सतपाल कौर और श्रीमती बलजीत कौर पत्नी श्री जगदेव सिंह म० नं० 116, सेक्टर-9 बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

2) 1 श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी स्वर्गीय महिन्द्र सिंह चहल।

2 श्री हरप्रीत सिंह चहल।

3 श्री अमरप्रीत सिंह चहल सुपुत्र स्वर्गीय श्री महिन्द्र सिंह चहल सभी निवासी महिन्द्रा हाउस, जन्डियाला गुरू जिला अमृतसर

(अन्तरिती)

(3) सुपर बाजार चन्डीगढ़ मार्फत एस० सी० ओ० नं० 108, सैक्टर 35-सी चण्डीगढ़

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ० सी० ओ० नं० 108, सैक्टर 35 सी चण्डीगढ़ में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख नं० 539 जून, 1980 में दर्ज है।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 20 फरवरी, 1981
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० के एन एस/23/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 8 1/2 मरले जगह के साथ है तथा जो खन्ना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खन्ना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (11) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रह्लाद सिंह, सुपुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी वार्ड नं० 5, ममराला रोड, खन्ना कलां ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती चरनजीत कौर पुत्री श्री करतार सिंह निवासी खड़की, तहसील पटियाला ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जायदाद 8 1/2 मरले के साथ खन्ना में स्थित है ।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खन्ना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 906, जून, 1980 में दर्ज है ।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना
लुधियाना, 20 फरवरी 1981

निदेश सं० लुधियाना/52/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं० कोठी नं० 53-17 है तथा जो सराभा नगर, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

16—496GI80/

(1) श्री सुरिन्द्र सिंह संधु, सुपुत्र श्री करतार सिंह निवासी गांव गुजरपुर कलां तहसील नवां शहर जिला जालंधर मार्फत श्री महिन्द्र सिंह, संधु सुपुत्र श्री करतार सिंह निवासी गुजरपुर कलां, तहसील नवां शहर, जिला जालंधर।
(अंतरक)

(2) श्री शिंगारा सिंह, जोधका सुपुत्र श्री किशन सिंह,
2 श्री सर्वजीत सिंह जोधका
3 श्री दविन्द्र सिंह जोधका
4 श्री कुलतार सिंह जोधका
5 श्री इन्द्रपाल सिंह जोधका, सुपुत्र श्री शिंगारा सिंह जोधका सभी निवासी 53-डी०, सराभा नगर, लुधियाना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नं० 53-डी० सराभा नगर, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 120 जून 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, 20 फरवरी 1981

निदेश सं० लुधियाना/55/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फैक्ट्री बिल्डिंग रकबा 1173 1/2 वर्ग गज है तथा जो शेरपुर खुर्द तहसील लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री यशपाल कुमार, सुपुत्र श्री ब्रिजलाल निवासी 586 माडल टाऊन, लुधियाना । (अन्तरक)

(2) श्री राकेश कुमार जैन, सुपुत्र श्री दौलत राम जैन निवासी 952, फला आर्दा, राय बहादुर रोड, लुधियाना । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(फैक्ट्री रकबा 1173 1/2 वर्ग गज, शेरपुर खुर्द तहसील लुधियाना में स्थित है)।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1223 जून, 1980 में दर्ज है) ।

सुखदेव चन्द
समक्ष प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० लुधियाना/81/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी-VII-389 रकबा 115 वर्ग गज है तथा जो कूचा सती सूदां, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री किशोर चन्द, सुपुत्र श्री जीवन दास निवासी बी-VII-389, मोहल्ला सती सूदां, लुधियाना । (अन्तरक)

(2) श्रीमती वीना रानी पत्नी श्री सुशील कुमार और श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री शम्भू दयाल निवासी बी-IV-1321, कूचा सूदां, लुधियाना अब म० नं० बी-VII-389, मोहल्ला सती सूदां, लुधियाना । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० बी-VII-389, रकबा, 115 वर्ग गज, सती सूदां के मोहल्ला, लुधियाना में स्थित है ।)

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० 1662, जून 1980 में दर्ज है ।)

सुखदेव चन्द
(सक्षम प्राधिकारी),
सहाय आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० लुधियाना/80/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० म० नं० बी-14-139, है तथा जो इस्माल गंज, लुधियाना में स्थित है) (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

(1) श्री रामचन्द सुपुत्र श्री जमना दास निवासी इस्माल गंज, लुधियाना मार्फत म० नं० बी-14-1391.

(अन्तरक)

(2) श्री सिरीराम सुपुत्र श्री गुरदित्ता मल निवासी मकान नं० बी-XIV-1391/1, इस्माल गंज, लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी-IV-1391/1रकबा 100 वर्ग गज इस्माल गंज, लुधियाना में स्थित है ।)

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय विलेख सं० 1657 जून, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द,
(सक्षम प्राधिकारी)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/101/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सी० एफ० नं० 13 सेक्टर 23-डी, चण्डीगढ़ है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमती प्रसन्नी देवी वगैरह-बगैरह मार्फत कैलाश अग्रवाल सुपुत्र बलवंत राय अग्रवाल, 55—सेठ सोहन लाल लेन, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सरोज कुमारी ठुकराल पत्नी श्री दविन्द्र कुमार ठुकराल मार्फत म० नं० 3165, सेक्टर 23-डी, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

(3) आजाद बूट हाऊस, एस० सी० एफ० 13, सैक्टर 23-डी, चण्डीगढ़ ।

वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा एन० सं० एफ० नं० 13, सेक्टर 23-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय विलेख सं० नं० 587 जून, 1980 में दर्ज है ।)

सुखदेव चन्द

(सक्षम प्राधिकारी)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981

,मोहर

प्रक्षेप आई० टी० एक्ट० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/102/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसक सं० 1/2 हिस्सा एस० ओ० एफ० नं० 13 सेक्टर 23-डी, है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत इस अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री राजेन्द्र कुमार वगैरह-वगैरह मार्फत श्री कैलाश चन्द अग्रवाल 55-सेठ सोहन लाल लेन, लुधियाना ।

(अन्तरक)

(2) गुरदेव सिंह श्री शीतल सिंह निवासी म० नं० 3165, सेक्टर 23 डी, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

(3) मै० आजाद बूट हाऊस एस० सी० एफ० 13, सेक्टर 23-डी, चण्डीगढ़ ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मुझे हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

1/2 हिस्सा एम० सी० एफ० नं० 13, सेक्टर 23-डी, में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय विलेख सं० 588 जून, 1980 में दर्ज है ।)

सुखदेव चन्द,
(सक्षम प्राधिकारी)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981

मोहर:

प्रकृप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना
लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/109/80-81:—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सी० एफ० नं० 7, सेक्टर 9-डी, है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित , है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राजकुमार सुपुत्र श्री जगन्नाथ मार्फत मै० रामचन्द एण्ड संस खानापुर, बोधी, यू० पी० ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती शशी कांता गांधी पत्नी श्री राजिन्द्र कुमार मार्फत मै० विजय कन्फैक्शनर, बूथ नं० 24, सेक्टर 8-बी, चण्डीगढ़ ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एस० सी० एफ० 7, सेक्टर 9-डी, में स्थित है ।
(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय विलेख सं० नं० 621 जून 1980 में दर्ज है ।)

सुखदेव चन्द
(सक्षम प्राधिकारी)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निदेश सं० सीएचडी०/105/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० म० नं० 145 सैक्टर 21-ए० है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री राम सिंह सपुत्र श्री नाजर सिंह निवासी 6 जालौ, 10-ए०, सालेजांग, वारू केवज मलेशिया मार्फत मुख्तयारे आम श्री करतार सिंह सपुत्र श्री गंगा सिंह निवासी नवां पिन्ड खिलचाल जिला जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री पिशोरी लाल सेठी सपुत्र श्री बोधराज सेठी, और श्रीमती लीला वन्ती सेठी पत्नी श्री पिशोरी लाल सेठी, निवासी मकान नं० 145 सैक्टर 21-ए० चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में किसी भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

म० नं० 145 सैक्टर 21-ए० चण्डीगढ़ में स्थित है। (जायदाद जमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख सं० नं० 614 जून, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 20 फरवरी 1981

निर्देश सं०सीएचडी०/93/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एस० ई० आर० नं० 23 सैक्टर 10-डी है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख 6/80 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लाल सिंह सपुत्र श्री सुन्दर सिंह निवासी म० नं० 288 सैक्टर 10 ए० चण्डीगढ़

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सर्वन कौर पत्नी श्री के० एस० थिन्ड, और मास्टर खुशजिन्द्र सिंह (नाबालिग) सपुत्र श्री के० एस० थिन्ड निवासी म० नं० 21, सैक्टर 11-ए० चण्डीगढ़

(अन्तरिती)

(3) (1) श्री सिकन्दरलाल रावल आफ मै० रावल प्रोविजन स्टोर

(2) श्री विजय कुमार—ट्रांसपोर्ट हरियाणा गवर्नमैन्ट

(3) श्री रामेश दत्त—लाटरी डिपार्टमैन्ट ऑफ हरियाणा गवर्नमैन्ट

(4) श्री चमनलाल—कन्ट्रोलर आफ स्टोरज पंजाब गवर्नमैन्ट

(5) श्री राम लाल—पेन्टर यू० टी० पी० डब्ल्यू० डी०

सभी निवासी एस० सी० एल०, 23 सैक्टर 10-डी० चण्डीगढ़

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एस० सी० एल० नं० 23 सैक्टर 10-डी० चण्डीगढ़ में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख सं० नं० 562 जून 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना ।

तारीख : 20-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 16 जनवरी 1981

निर्देश सं० ए० सी०/रेंज-II/कल/1981—यतः मुझे के सिंहा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 37, डी० एच० रोड, पी० एस०—अलीपुर है तथा जो कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और, पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० अलीपुर 24 परगना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-6-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सुधीर कुमार राय

(अन्तरक)

(2) श्री संकर चन्द्र पाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37 डी० ह्या० रोड पी० एस० अलीपुर, कलकत्ता।

के० सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-16।

तारीख : 16-1-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 16 जनवरी 1981

निर्देश सं० ए० सी०/रेंज-II/कल/1981-यतः मुझे, के० सिंहा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है।

और जिसकी सं० 37, डी० एच० रोड, पी० एस० अलीपुर है तथा जो कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० अलीपुर, 24 परगना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुधीर कुमार राय

(अन्तरक)

(2) श्री तपन कुमार पाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37 डी० एच० रोड, पी० एस० अलीपुर, कलकत्ता।

के० सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-16।

तारीख : 16-1-1981
मोहर :

रूप आई० टी० एक्ट एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 16 फरवरी 1981

निदेश सं० 886/ए० क्यू० आर-III/80-81——यतः मुझे, आई० बी० एस जुनेजा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3/एच/6 है तथा जो झाउतला लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

(1) श्रीमती सालमा खातून

(अन्तरक)

(2) श्रीमती नूर आहान बेगम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कूणेका ठिकाना
3/एच/6, झाउतला लेन, कलकत्ता।

आई० बी० एस० जुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, 54, रफीअहमद किदवई रोड, कलकत्ता-16।

तारीख : 16-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 16 फरवरी 1981

निर्देश सं० 885/ए०क्यू० आर-III/80-81—यतः मुझे, आई० वी० एस० जुनेजा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 6-ए, 33 है तथा जो डा० राजेन्द्र रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और, पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री अनामिका बिल्डर्स प्राईवेट लि० :
(अन्तरक)

(2) कुमारी राजाम नादेसान
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट सं० 6-ए०, 33, डा० राजेन्द्र रोड, कलकत्ता ।

आई० वी० एस० जुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, 54, रफीअहमद
किदवई रोड, कलकत्ता-16 ।

तारीख : 16-2-1981
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 6 फरवरी 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/872—अतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 15 है तथा जो जोधपुर में स्थित है' (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29 अक्तूबर, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० के० जैन पुत्र श्री जे० पी० जैन, निवासी जोधपुर वर्तमान निवासी जयपुर

(अन्तरक)

(2) श्री उम्मेद कंवर पत्नी श्री गंगासिंह चौहान, जनरल हास्पिटल, जालौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।]

अनुसूची

प्लाट नं० 15, जालिम विलास, पावटा, जोधपुर पर स्थित मकान सम्पत्ति जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 674 दिनांक 29-10-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर ।

तारीख : 6-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/871—अतः मुझे एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो सादुलगंज (बीकानेर) में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बीकानेर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) किसी ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती सुशीला देवी पत्नी महेन्द्रपाल सिंह जाट, चौतीनावेल, बीकानेर

(अन्तरक)

(2) श्री त्रिभुवन सिंह, एस० एच० ओ० थाना नं० 2, इदगाहबाड़ी के अन्दर, बीकानेर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान सम्पत्ति, प्लाट नं० 63, सेक्टर ए, सादुलगंज, बीकानेर जो उप पंजीयक, बीकानेर द्वारा क्रम संख्या 787 माह जून, 1980 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख: 4-2-81
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 24 फरवरी 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/875—अतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 10 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची से और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स एम० सी० दासोत एण्ड कम्पनी पंजीकृत फर्म द्वारा भागीदारान मोतीलालचन्द दासोत, प्रमोद दासोत श्रीमती पवन दासोत पत्नी सुभाषचन्द दासोत एवं मीना दासोत पत्नी पदम चन्द दासोत जैन, चर्च के पास, एम० आई० रोड, जयपुर

(अन्तरक)

(2) श्री चन्द्र भान पुत्र श्री ओम प्रकाश जी जाट नि० बख्तावरपुरा तहसील चिडावा जिला झुंझनू

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 10 का आधा भाग, पार्क हाउस, पं० मोतीलाल अटल रोड, जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम सं० 1351 पर दिनांक 10-6-80 को पंजिय विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 24-2-81
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 24 फरवरी 1981

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/877—अतः मुझे एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान सम्पत्ति है तथा जो झालरापाटन में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय झालरापाटन में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री महादेवमल सिंधी, झालरापाटन।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रमोद कुमार एवं प्रवीन कुमार पुत्रान धीरज-कुमार, झालरापाटन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वार्ड नं० 11, मानमंडी रोड, झालरापाटन में स्थित मकान सम्पत्ति का आधा भाग जो उप पंजीयक, झालरापाटन द्वारा क्रम संख्या 286 दिनांक 3-6-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख : 24-2-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर
जयपुर, दिनांक 24 फरवरी 1981

आदेश सं० राज०/महा० आ० अर्जन/876—अतः मैं एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो झालरापाटन में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय झालरापाटन में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री लक्ष्मणदास पुत्र श्री महादेव मल सिंघी, झालरापाटन।

(अन्तरक)

(2) श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र निर्मल कुमार एवं विजय कुमार पुत्र निर्मल कुमार सखलेचा, झालरापाटन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वार्ड नं० 11, धान मंडी रोड, झालरापाटन में स्थित मकान सम्पत्ति का आधा भाग जो उप पंजीयक, झालरापाटन द्वारा क्रम संख्या 287 दिनांक 3-6-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 24-2-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरनाकुलम

एरनाकुलम, दिनांक 5 फरवरी 1981

निदश सं० एल० सी० 469/80-81—यतः मुझे वी० मोहनलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसका सं० अनुसूची के अनुसार है, जो चेम्बुक्काम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय त्रिच्चूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-6-80

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री माधव, किट्टा और श्रीमती नारायणी
(अन्तरक)

(2) श्रीमती लूसी इट्टियाक्यन
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Doc. No. 3573/80 .9 Costs of land with a building in Sy. No. 418/6 of Trichur Village.

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम।

तारीख : 5-2-1981
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम
एरणाकुलम, दिनांक 16 फरवरी 1981

निदेश सं० एल० सी० 473/80-81 यतः मुझे वी० मोहनलाल।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो तिरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-6-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सी० प्रभाकर, सी० अशोक, सी० गोकुल, और सी० मोहन।
(अन्तरक)

(2) श्री कुआलन हाजी, और ओ० मम्मूट्टी हाजी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

19 Cents of land as per schedule attached to Doc. No. 1461/80 dt. 12-6-80

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 16-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

एरणाकुलम, दिनांक 16 फरवरी 1981

निदेश सं० एल० सी० 474/80-81—यतः मुझे, वी० मोहनलाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो तिरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

(1) श्री सी० प्रभाकर सी० अशोक, सी० गोकुल और सी० मोहन।

(अन्तरक)

(2) श्री कुआलन हाजी और ओ० मम्मूट्टी हाजी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

24.25 Cents of land as per schedule attached to Doc. No. 1437/80 dt. 9-6-80.

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 16-2-1981
मोहर :

प्रारूप आई., टी., एस., एस. ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

एरणाकुलम, दिनांक 16 फरवरी 1981

निदेश सं० एल० सी० 475/80-81—यतः मुझे, वी० मोहनलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो तिरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 6-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सी० प्रभाकर, सी० अशोक, सी० गोकुल और मोहन

(अन्तरक)

(2) श्री कुआलन हाजी और ओ० मम्मूट्टी हाजी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

22.25 Cents of land as per schedule attached to Doc. No. 1412/80 dt. 6-6-1980.

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 16-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एल० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

एरणाकुलम, दिनांक 16 फरवरी, 1981

निर्देश सं० एल० सी० 476/80-81—यतः मुझे, वी० मोहनलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो तिरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-6-1980

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया दृश्यमान प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सी० प्रभाकर, सी० अशोक, सी० गोकुल और सी० मोहन

(अन्तरक)

(2) श्री कुआलन हाजी और ओलियन मम्मूट्टी हाजी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

21¼ Cents of land as per schedule attached to Doc. No. 1472/80 dt. 16-6-80.

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 16-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 24 जनवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 1103/काकीनाडा स्क्वाड—

यतः मुझे गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

जिसकी सं० ब्लाक नं० 8 है, जो टी० एम० नं० 71 सी० बी० एन० कामपौंड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विसाखापट्टणम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम तारीख जून 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री करिर सूर्यनारायना पुत्र स्वर्गीय० श्री आप्पाला नम्मकावारी पालेम के पास विसाखापट्टणम।
(अन्तरक)
2. श्री को मि ने नी वीरा नागेश्वारा राव पुत्र श्री कोटरया, तुरकापाडु, चिलाकालूरिपेता तालूक गुनटूर जिला।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इस सम्पत्ति 3343/80 नं० दस्तावेज में जून 1980 महीने में विशाखापट्टनम एस० आर० वो० के पास पंजीकृत किया गया है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 24-1-1981
मोहर:

प्रारूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 24 जनवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी०/1104/काकीनाडा स्कवाड—

यतः मुझे एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 8 है, जो टी० एस० नं० 71 सी० बी० एन० कामपौड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विशाखापट्टनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री करिर सूर्यनारायना पुत्र स्वर्गीय श्री आप्पान्ना नक्कावानी पालेम के पास विशाखापट्टणम।

(अन्तरक)

2. श्री चिन्ना रामा कोटय्या पुत्र श्री कृष्णय्या तुरलापाडु, चिलाकालूरी पेटा तालूक गुनटूर जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इस सम्पत्ति नं० 3344/80 दस्तावेज में जून 1980 महीने में विशाखापट्टनम एस० आर० बी० के पास पंजीकृत किया गया है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 24-1-81
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 24 जनवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 1105/वाकिनाडा स्क्वाड

—यतः मुझे एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 8 है, जो टी० एस० सं० सी० वी० एम कम्पौंड विशाखापट्टणम में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विशाखापट्टणम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री करि सूर्यनारायण पुत्र की० गो० अप्पन्न, नक्कवानिपालेम् विशाखापट्टणम।

(अन्तरक)

2. श्रीमति चिलकूरी चंद्रम्म पत्नी की०गे० ब्रम्हय्या, तुलपाडु चिलकलूरीपेट ताल्लुक गंटूर जिला आंध्र प्रदेश।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन बो लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इस सम्पत्ति 3345/80 नं० दस्तावेज में जून 1980 महीने में विशाखापट्टणम एस० आर० वो० के पास पंजीकृत किया गया है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 24-1-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 24 जनवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 1106/काकीनाड़ा स्क्वाड

—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 8, टी० एस० सं० 71, तथा जो सी० बी० एम० कम्पाउंड विशाखापट्टणम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विशाखापट्टणम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री कर्रि सूर्यनारायण पुत्र स्वर्गीय अप्पन्ना, नक्कवारीपालेम विशाखापट्टणम।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मुख्वा कोंडम्मा पत्नी स्वर्गीय कोटेश्वर राव, तुर्लपाडु चिलकलूरीपेट ताल्लुक, गंटूर जिला आन्ध्र प्रदेश।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इस संपत्ति 3346/80 नं० दस्तावेज में जून 1980 महीने में विशाखापट्टणम एस० आर० बो० के पास पंजीकृत किया गया है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 24-1-198
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 24 जनवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी०नं० 1107/काकीनाडा एक्वाड़—

यतः मुझे गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी०एस० सं० 30 है, जो चिन बाजार मार्ग श्रीकाकुलम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीकाकुलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तकरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री अंबटीपूडी वेंकटाचलम पुत्र कामेश्वर राव, कोडमबाकम युनैटेड इंडिया कालोनी, II मार्ग मद्रास। (अन्तरक)

2. (1) श्री डा० प्रयाग बाल सुब्रह्मण्य शर्मा
(2) श्रीमती सत्यवती पत्नी बाल सुब्रह्मण्य शर्मा मेडीकल अधिकारी, सरकारी दवाखाना कोतपेट, अमालापुरम तालूक, ईस्ट गोदावरी जिला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इस सम्पत्ति 2522/80 दस्तावेज में जून 1980 महीने में श्रीकाकुलम एस०आर०ओ० के पास पंजीकृत किया गया है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 24-1-1981
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एल. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 29 जनवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 404/80-81—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3-4-759/3/3 है, जो बरकतपुरा हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री वी० वी० सुरेश पुत्र श्री राघवेंद्रराव 5-8-52 नामपल्ली स्टेशन रोड़, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती के विजयलक्ष्मी पत्नी के० कामेश्वरराव प्लाट नं० 12 चित्रकूट काचिगुडा हैदराबाद-500027।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3-4-759/3/3 बरकतपुरा हैदराबाद में विस्तीर्ण 110 वर्ग गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6027/80 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 29-1-1981
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 29 जनवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० 405/80-81—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3-4-759/3/6 है, तथा जो बरकतपुरा हैदराबाद, में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बी० वी० सुरेश पुत्र श्री राघवेंद्र राव 5-8-52 नामपल्ली स्टेशन रोड़, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री चन्ना बसप्पा देसाई पुत्र बनडप्पा देसाई 3-4-759/3/6 बरकतपुरा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3-4-759/3/6 बरकतपुरा हैदराबाद में जैसे कि विस्तीर्ण 138 वर्ग गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6067/80 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (ननिरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 29-1-81
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 2 फरवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 406/80-81—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 76 है, जो विनयनगर कोलोनी सैदाबाद, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आजमपुरा हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री कोक्कीराला कृष्णमूर्ति पुत्र के० सत्यमारायना नं० 11/125 ए० रामामाथापुर, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री पालूरू मधुसूदनाराव पुत्र पी० सूब्बारायूडू 5-1-237/1 सुन्दर भवन जामबाग, हैदराबाद-500001।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 76 जैसे कि सर्वे नं० 209, 217, और 218 विस्तीन 1015 वर्ग गज विनयनगर कालोनी सैदाबाद हैदराबाद में जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1400/80 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी आजमपुरा, हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 2-2-1981
महोर:

प्ररूप आई० टी० इन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० 407/80-81—यतः मुझे एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 10-2-289/17/1 है, जो शांतिनगर हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती बी० सरोजनी देवी पत्नी बी० रवीन्द्रनाथ।

(2) श्री बी० रविन्दर नाथ पुत्र वेंकटेश्वर राव 29-9-30 गोविन्दराजू नायुडा स्ट्रीट विजयवाड़ा -2।

(अन्तरक)

2. श्री महमद अबदुल रजाक पुत्र स्वर्गीय महमद सुबान 12-2-37/ए/1 मूरादनगर, हैदराबाद-500028।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिल घर नं० 10-2-289/17/1 शांतिनगर हैदराबाद विस्तीर्ण 281 वर्ग गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6022/80 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 408/80-81—यतः, मुझे एस० गोविन्द राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 10-2-289/17/2 है, जो शांतिनगर हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

20—496 GI/80

1. (1) श्रीमती बी० सरोजनी देवी पत्नी बी० रविन्दर नाथ।

(2) श्री रविन्दर नाथ पुत्र वेंकटेश्वरा राव 29-9-30 गोविन्दाराजू नायुडा स्ट्रीट विजयवाड़ा-2।

(अन्तरक)

2. श्रीमती महमूदा बेगम पत्नी एम० ए० गानी 11-1-313 आगापुरा हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोशन घर में नं० 10-2-289/17/2 शांतिनगर हैदराबाद जैसे कि विस्तीर्ण 159 वर्ग गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6024/80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. एस.------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, 4 फरवरी 1981

निदेश सं० 409/80-81—अतः मुझे, एस० गोविन्द राजन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० फ्लैट नं० 403 है, जो 6-2-974, कैरताबाद हैदराबाद में स्थित में (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), जो रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या प्रकट किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) मैसर्स शहाजहान अपार्टमेंट्स रिप्रेजैन्टर अहमद हजी ईब्राहिम, 6-2-974 कैरताबाद हैदराबाद। (अन्तरक)

(2) मुहम्मद अरीफुद्दीन (मैनर) पिता अहमद कमरुद्दीन 66/2 आर० टी० प्रकाश नगर, बेगमपेट हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 403 शहाजहान अपार्टमेंट्स घर नं० 6-2-974 कैरताबाद राजभवन रोड, हैदराबाद जैसा कि विस्तीर्ण 1057 वर्ग फिट जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6223/80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, 4 फरवरी, 1981

निदेश सं० आर० ए० सी० 410/80-81—अतः मुझे, एस० गोविन्द राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 10-2-289/120/19 है, जो मल्लेपल्ली, हैदराबाद में स्थित है (और इसकी उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1098 का 16) के अधीन, जून, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एन० सुब्बारेड्डी पुत्र एन० पी. एस० रेड्डी 10-2-289/120/19 पी० एस० नागर मल्लेपल्ली हैदराबाद। (अन्तरक)

2. (1) श्री एम० ए० रऊफ पुत्र एन० एस० काधर 10-1-13/3 ए० सी० गारडस हैदराबाद।
(2) श्रीमती फौजिया रऊफ पुत्री एम० ए० रऊफ 10-1-13/3 एस० सी० गार्डस हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 10-2-289/120/19 पी० एस० नागर मल्लेपल्ली हैदराबाद ब्लाक 64 एम० 2 जैसे कि विस्तीर्ण 704/10 वर्ग गज जैसेकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1087/80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कैरताबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० आर० ए० सी० 411/80-81—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है
और जिसकी सं० फ्लैट नं० 402 है, जो 6-2-974 कैरताबाद हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1980
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने का उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) का उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स शहाजहान अपार्टमेंटस मेनेजिंग पार्टनर अहमद हजी इब्राहिम 6-2-974 राज भवन रोड़ कैरताबाद हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री अब्दुल हकीम घर नं० 162 "ए" क्लास नई मलकपेट, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 402 शहाजहान अपार्टमेन्टस घर नं० 6-2-974 कैरताबाद हैदराबाद विस्तीर्ण 1106 वर्ग गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9075/80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० आर० ए० सी० 412/80-81—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 404 है, जो कलामेनसन एस० डी० रोड़ सिकन्द्राबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्द्राबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. (1) मैसर्स ऊमाकरन और तेजकरन बै० तेजकरन पुत्र स्वर्० राजा धरम करन।

(2) श्री राजा रामकरन पुत्र राजा धरम करन 8-2-547 धरम मानसनस बंजारा हिल्स हैदराबाद। (अन्तरक)

2. श्री तातिनेनी रामचन्द्रारांव पुत्र सूब्बाराव एम०-4 काकतिया नगर हबसिगूडा हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 404 (3 मंजिल) पेंटमिसेस नं० 101 कलामानसन सरोजनी देवी रोड़ सिकन्द्राबाद जैसे कि विस्तीर्न 83.33 वर्ग गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 1488/80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सिकन्द्राबाद में है।

एस० गोबिन्द राजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 4-2-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 413/80-81—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3-6-546 है, जो हिमयतनगर, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) महमद फयाजूद्दीन पुत्र महमद फसीयूद्दीन 19-3-729 गाजिबनडा हैदराबाद।

(2) महमद अरीयुद्दीन पुत्र महमद फसियूद्दीन ए- 108 मलकपेट हैदराबाद (3) महमद कादर मलियूद्दीन पिता लेट महमद फसियूद्दीन 5-7-521 नामपल्ली हैदराबाद (4) अफजफन्नीसा बिगम पति गैस महमद कान 19-3-702 /703/1 गाजिबनडा हैदराबाद (5) अजम्तून्नीसा बिगम 20-6-329 शा आलीबंडा हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जी लक्ष्मी बाई पत्नि जी० लिम्बा रेड्डी 3-6-546 हिमयातनगर हैदराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3-6-546 रोड नं० 7 हिमयातनगर हैदराबाद विस्तीर्ण 566 चतुर गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6124/80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-81
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निर्देश सं० आ० ए० सी० नं० 414/80-81—यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, जो आदर्श नगर हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) (1) ये विटाकिस्टय्या पिता राम गैड 5-8-327 ए नामपल्ली पि० जि० रोड हैदराबाद,
(2) ये सत्यानारायन पिता ये० विटकिस्टय्या
(3) आनंद कुमार पिता ये विटकिस्टय्या
(4) ये प्रताप पिता ये विटकिस्टय्या

(अन्तरक)

(1) जे० के० मनसालानी पिता जे० केमचंद 5-9-24/72 बशीरबाग हैदराबाद ।
(2) शकुतला पटोडिया पति पि० डी० पटोडिया 3-4-564/4 लिंगमपल्ली हैदराबाद-27
(3) मिना मलिहकर पति पुरुशोत्तम महेंद्रकर कैरताबाद हैदराबाद-27:
(4) किरन कौबिद राम पति गोविंदराम बोफकि मा० जनता बजार नांमपली स्टेशन रोड हैदराबाद ।
(5) ऊशा लालवानी पति नारायनदास लालवानी मा० बालचंद मा० अबिद रोड हैदराबाद
(6) पि० लेय रामचंदानी पिता एच० एफ० रामचंदानी मा० मिस रानी आरट संटूडियो का पिगाई स्टेशन रोड, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट आफ लैंड नं० 46 विस्तीर्ण 412 चतुरगज आदर्श-नगर हैदराबाद में जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6331/80 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी हैदराबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निदेश सं० आर०ये०सी० नं० 415/80-81—यतः मुझे, ए० गोबिन्द राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 204 है, जो यस० डि० रोड सिकिन्द्राबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकिन्द्राबाद मोरटपल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री ऊमाकरन तेजकरन बै तोजकरन पिता राजा करम करन 8-2-547 बंजारा हुल्स हैद्राबाद।

(2) राजा रामकरन पिता राजा धरम करन धरम मानशन बंजारा हिल्स।

(अन्तरिक)

(2) श्रीमती मिरा राघव पंति कफलनल जि० आर० टाव 5बी रेस कोरस यएर फोरस अफिस बिलडिंग आफिसरस क्वाटरस सडफोरड सिकिद्राबाद-500003

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 204 (1st Floor) कालामानशन सरेजनी देवी रोड सिकिद्राबाद विस्तर्न 83.33 चतुर गज जैसेकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1574/80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मारेडपल्ली सिकिन्द्राबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैद्राबाद

तारीख : 4-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1981

निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 416/80-81

यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन,

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 6-3-1109/6 है, जो सोमाजीगूडा हैद्राबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

21—496 GI/80

(1) श्री केशव भूपाल पिता किशनराम भूपाल जि० पी० ये० श्रीमती भूपाल पति किशनराम भूपाल 6-3-1100/बी सोमाजीगूडा हैद्राबाद-500482।
(अन्तरक)

(2) श्री वै० राजा राजिस्वरी पति वे सेशगीरीराव 6-3-1106/11 राज भवन रोड बिगमपेट हैद्राबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर 6-3-1109/6 सोमाजिगूडा हैद्राबाद वस्तीर्ण 533.50 चतुर मीटर जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1147/80 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी कैरताबाद में है।

एस० गोविन्द राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 4-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 1108/काकिनाडा--

यत: मुझे, एस० गोविन्द राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० म० सं० 16/321, 321,1, 16/317 16/318 और 16/319 है जो मचिलीपटणम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, मचिलीपटणम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्रीमती बोल्लेद्दु रत्नम्म, पति वेंकट रत्नम, पाचवरम् मचिलीपट्टणम

(अन्तरक)

(2) श्री बोल्लेद्दु धर्मराजु (2) बोल्लेद्दु वेंकटराजु M/G पिता बी० रत्ना फ्रान्सेस मधु गर्डेन्स, मोगलराजपुरम, विजयवाडा-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इस संपत्ती 1340/80 नं० दस्तावेज म जून 1980 महीने में, मचिली पटट्णम यस० आर० ओ० के पास पंजीकृत किया गया है।

एम० गोविन्द राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

सं० आर० ये० सी० नं० 1109—यतः मुझे, एस० गोविन्दर राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एन० टी० एस० नं० 12 है, जो विजयवाडा स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-6-1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा के (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती (1) यिवटूरी सरोजिनी देवी पति श्री कुद्बाराव, विजयवाडा । (2) कुमारी गिरिजा कुमारी पिता श्री कुदबाराव, विजयवाडा ।

(अन्तरक)

(2) श्री दामोदरलाल गिल्डी पिता श्री सीताराम गिल्डा विजयवाडा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-6-1980 पंजीकृत दस्तावेज नं० 3358/80 में नियमित अनुसूची संपत्ति ।

एस० गोविंदराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख 10-2-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एम. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

सं० आर० ये० सी० नं० 1110—यतः मुझे, एस० गोविंद राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० डी० नं० 53-3-9 है, जो काकिनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती (1) कोव्वूरि बुल्लेम्मा पति श्री पोतुराजु, काकिनाडा

(2) कार सुब्बारेड्डि पिता वेंकटरेड्डि, काकिनाडा।

(अन्तरक)

(2) श्री केतन शिप्पिंग एजन्सीस बोंबेइ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-6-80 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4534/80 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एस० गोविंदराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-81
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

निर्देश सं० आर०ये० सी० नं० 1111—अतः मुझ एस० गोविंदराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर नं० 45-1-29 काकिनाडा है, जो काकिनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री गोडे अप्पाल नरसम्मा पति श्री कामेस्वार राव भीमुनिपटनम

(अन्तरक)

(2) श्री नागवरपु लीला भवानी पति श्री चेन्नसेखरु काकिनाडा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पक्षिक अंत 30-6-1980 पंजीकृत दस्तावेज नं० 4769/80 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एस० गोविंदराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 10-2-80
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

आर० ए० सी० नं० 1112—यतः मुझे, एस० गोविंद राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 1612 है, जो काकिनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय काकिनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-6-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री (1) येंबुलूरि वेमनारायण
(2) येंबुलूरि वेंकटरमण
(3) येंबुलूरि केशव राव
राजाजी स्ट्रीट, काकिनाडा

(अन्तरक)

(2) श्री नमानि भूषय्या पिता वेंकट रायुडु समतिकोटा
(2) चिलुकरि दोरय्या चौधरी पिता श्री नरसिंहम
तामरापल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पक्षक अंत 15-6-80 पंजीकृत दस्तावेज नं० 4302/80 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एस० गोविंदराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

आर० ये० सी० नं० 1113—बतः मुझे एस० गोविंदराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० घर नं० 44-14-38 है, जो काकिनाडा में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गोडे अप्पाल नरसम्मा पति श्री कामेस्वर राव भीमुनिपटनम

(अन्तरक)

(2) श्री नागवरपु मंग तायारम्मा पति श्री दयाकर राव काकिनाडा-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाड रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-6-1980 पंजीकृत दस्तावेज नं० ए० 4770/80 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एस० गोविंदराजन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

आर० ये० सी० नं० 1114—यतः मुझे एस० गोविंदराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है जिसकी सं० घर नं० 7-12-7ए है, जो नसीपुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नसीपुरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) अल्लरि वेंकट नरसिंह राजु पिता नरसिंह राजू, नसीपुरम ।
   (2) अल्लरि राम कृष्णम राजु पिता श्री वेंकट नरसिंह राजु, नसीपुरम ।
   (3) अल्लरि वेंकट सत्यानारायण राजु पिता श्री वेंकट नरसिंह राजू नरसीपुरम

   (अन्तरक)

2. नडिपल्ली कमल कुमारी पति श्री राधाकृष्णन राजु गुडिमूला ।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

नसीपूर रिजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 15-6-80 पंजीकृत दस्तावेज नं० 1430/80, 1431/80 और, 1432/80 में निगमित अनुसूची संपत्ती ।

एस० गोविंदराजन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-81

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

आर० ए० सी० नं० 1115—यतः मुझे, एस० गोविंदराजन, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है**
और जिसकी सं० घर का नं० 22-बी० 3-24 येलूरू है, जो येलूरू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, येलूरु में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-6-80
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आकेल्ला वेंकट कालेस्वार सुब्रह्मन्यम पिता वेंकट सूर्यराव भद्रावति, शिमोगा जिल्ला, कर्नाटक स्टेट ।

(अन्तरक)

(2) श्री मंडव पूर्नचेन्द्र राव कोत्तापाटिवारी स्ट्रीट, येलूरु ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

येलूरु रिजिस्ट्री अधिकारी से पक्षिक अंत 30-6-80 पंजीकृत दस्तावेज नं० 2736/80 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एस० गोविंदराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-81
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1981

निदेश आर० ये० सी० नं० 1116—यतः मुझे एस० गोविंदराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन है, जो वोंगोल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वोंगोल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-6-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री दामाचेली अय्याश्रा पिता श्री अंकाश्रा टि० नायुडु पालेम।

(अन्तरक)

(2) श्री दामाचेली वेंकट कृष्णाराव पिता श्री अन्जानेयुलु टि० नायुडु पालेम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वोगोल रिजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 30-6-1980 पंजीकृत दस्तावेज नं० 1862/80 में निगमित अनसूची संपत्ती।

एस० गोविंदराजन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-81

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1980

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 1117—यतः मुझे एस० गोविंदराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 43/2144 है, जो विशाखापटनम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय विशाखापटनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-6-80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (11) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री बोडाडा कोदंड रामा प्रभाकर राव पिता श्री कोंडलाराव, विशाखापटनम ।

(2) बोप्पुडि शेषगिरि राव पिता श्री सीतारामय्या, विशाखापटनम ।

(अन्तरक)

2. (1) विशाखापटनम नं० जि० जि० वोस को-आपरेटिव हौस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड विशाखापटनम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विशाखापटनम रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-6-1980 पंजीकृत दस्तावेज नं० 3997/80 में निगमित अनुसूची संपत्ती ।

एस० गोविन्दराजन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 10-2-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा, 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 3 फरवरी 1981

निर्देश सं० -462-(अर्जन) /80-81—अतः, मुझे, हृदय नारायण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लोट सं० 782 (अंश-783 अंश-784-अंश) होल्डिंग सं० नवीन 397(ए) और पुराना 312 एवं 102, वार्ड सं० 2 सर्किल सं०-6, पटना नगर निगम, एक्जीबिसन रोड पटना है तथा जो एक्जीबिसन रोड पटना,

में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-6-80

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. (1) डा० सुधांशु कुमार सेन वल्द स्व० नरेन्द्र नाथ सेन और इन्दुवाला सेन ट्रस्ट के ट्रस्टी, निवास स्थान—फेजर रोड़, थाना-कोतवाली, शहर और जिला-पटना।

(2) श्री शंकर आशुतोष सेन वल्द स्व० आशुतोष सेन और इन्दुबाला सेन के ट्रस्टी, निवास स्थान बीज-निगम कार्यालय के ऊपर बैंक रोड, थाना-कोतवाली, शहर और जिला-पटना

(3) श्रीमती तारा सेन विधवा स्व० उमापति आशुतोष सेन और इन्दुवाला सेन ट्रस्ट के ट्रस्टी, निवास स्थान— "तारा" राइडींग रोड़, थाना-फुलवारी शरीफ, शहर और जिला-पटना।

(4) कुमारी अनुभा सेन पुत्री स्व० आशुतोष सेन तथा इन्दुबाला सेन ट्रस्ट के माफीदार निवास स्थान बीज निगम कार्यालय के ऊपर बैंक रोड़, थाना कोतवाली, शहर और जिला-पटना।

(5) सत्यपति आशुतोष सेन वल्द स्व० आशुतोष सेन और इन्दुवाला सेन ट्रस्ट के माफीदार निवास स्थान बीज निगम कार्यालय के ऊपर, बैंक रोड़, थाना-कोतवाली, शहर और जिला-पटना। (अन्तरक)

2. श्री सत्येन्द्र कुमार वल्द श्री अवधेश प्रसाद, वसिका में वर्णित निवासी एक्जीबिसन रोड़, पटना लेकिन सही में निवास स्था० जगत नारायण रोड़, पाटलीपुत्रा हाई स्कूल के समीप, कदम कुंआं, पटना। (अन्तरिती)

3. श्री एसोसियेटेड सिमेंट कम्पनी लि०

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. (1) श्री राजेश्वर प्रसाद शाही, वोरिंग कैनाल रोड़, पटना

(2) आशीयाना सहकारी गृह निर्माण समिति मर्यादित फ्रेजर रोड़, पटना।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उत्तर की ओर स्थित 700 वर्ग फीट वाली वह समस्त भूमि जिस पर इन्दुवाला सेन ट्रस्ट भवन नामक चार मंजिलों वाली इमारत का उत्तरी हिस्सा स्थित है, जिसका प्लाट नं०-782 (अंश-783 अंश-784-अंश) होल्डिंग नं० नवीन 397 (अ) और पुरना 312 तथा 102 वार्ड नं० 2 तथा पटना नगर निगम का सर्किल नं० 6 है तथा जो उत्तर से दक्षिण की ओर 12-1/2 फीट पूर्व से पश्चिम की ओर 56 फीट लम्बी है। और

उसी ऊपर वर्णित चौमंजिली इमारती की दूसरी मंजिल का दक्षिणी आधा भाग और उसमें अवस्थित सभी फिटिंग्स एवं फिक्सचर्स, जो एक्जीबिसन रोड़, थाना-कोतवाली, जिला-पटना में स्थित है। सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा 17-6-80 को वसिका नं० 5-4541 में है।

हृदय नारायण,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पटना।

तारीख : 3-2-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 3 फरवरी 1981

निर्देश सं०III-463/अर्जन/80-81—अतः मुझे हृदय नारायण आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें, इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं०-782 (अंश-783 अंश-84-अंश) होल्डिंग सं०-नवीन-397 ए० और पुराना 312 एवं 102 वार्ड सं०-2, सर्किल सं०-6, पटना नगर निगम एग्जीबिसन रोड, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय पटना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16 जून, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० सुधांशु कुमार सेन वल्द स्व० नरेन्द्र नाथ सेन और इन्दुबाला सेन ट्रस्ट के ट्रस्टी, निवास स्थान—फ्रेजर रोड, थाना-कोतवाली, शहर और जिला—पटना ।

(2) श्री शंकर आशुतोष सेन वल्द स्व० आशुतोष सेन और इन्दुबाला सेन के ट्रस्टी, निवास स्थान-बीज निगम कार्यालय के उपर बैंक रोड़, थाना-कोतवाली, शहर और जिला—पटना ।

(3) श्रीमती ताप्ती सेन विधवा स्व० उमापति आशुतोष सेन और इन्दुबाला सेन ट्रस्ट के ट्रस्टी, निवास स्थान— "तारा" राइडींग रोड, थाना-फुलवारी शरीफ, शहर और जिला—पटना ।

(4) कुमारी अनुभा सेन पुत्री स्व० आशुतोष सेन तथा इन्दुबाला सेन ट्रस्ट को माफीदार निवास स्थान बीज निगम कार्यालय के उपर बैंक रोड, थाना कोतवाली, शहर और जिला—पटना ।

(5) सत्यपति आशुतोष सेन वल्द स्व० आशुतोष सेन और इन्दुबाला सेन ट्रस्ट के माफीदार निवास स्थान बीज निगम कार्यालय के ऊपर, बैंक रोड, थाना-कोतवाली, शहर और जिला-पटना ।

1. संलग्न अनुसूची 'अ' के अनुसार (अन्तरक)
2. अजेश कुमार वल्द श्री अवधेश प्रसाद, वणिका में वर्णित निवासी एग्जीबिसन रोड, पटना लेकिन सही में निवास स्थान जगत नारायण रोड, पाटलीपुत्र हाई स्कूल के समीप, कदम कुंआ पटना । (अन्तरिती)
3. एसोसियेटेड सिमेंट कम्पनी लि०

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. 1 श्री राजेश्वर प्रसाद साही, वोरिंग केनाल रोड, पटना ।
(2) आशीयाना सहकारी ग्रह निर्माण समिति मर्यादित फ्रेजर रोड, पटना ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

उत्तर की ओर स्थित 700 वर्ग फीट वाली वह समस्त भूमि जिस पर इंदुबाला सेन ट्रस्ट भवन नामक चार मंजिलों वाली इमारत का उत्तरी हिस्सा स्थित है, जिसका प्लाट न०-782 (अंश-783 अंश 784-अंश) होल्डिंग नं० नवीन 397 (अ) और पुराना 312 तथा 102 वार्ड नं०-2 तथा पटना नगर निगम का सर्किल नं०-6 है तथा जो उत्तर से दक्षिण की ओर 12 1/2 फीट पूर्व से पश्चिम की ओर 56 फीट लम्बी है । और

उसी पर वर्णित चौ मंजिली इमारत की दूसरी मंजिल का उत्तरी आधा भाग और उसमें अवस्थित सभी फिटिंग्स एवं फिक्चर्स जो एग्जीबिसन रोड, थाना-कोतवाली, जिला पटना में स्थित है । सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा 16-6-80 की वणिका नं०-4478 में है ।

हृदय नारायण,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बिहार, पटना ।

दिनांक : 3-2-1981

मोहर :

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 8th February 1981

No. F. 6/81-SCA. (I):—The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Shri R. S. Suri, officiating Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice of India (Permanent Assistant Registrar) as officiating Deputy Registrar in the Registry of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of February 18, 1981 to March 19, 1981 (AN) in the leave vacancy of Shri Mahesh Prasad, Deputy Registrar (Admn. J.) until further orders.

R. SUBBA RAO,
Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 31st January 1981

No. A. 31014/1/80-Admn. I:—The President is pleased to appoint Shri R. L. Thakur a temporary Sr. P. A. (Grade B of CSSS) and officiating as Private Secretary (Grade A of CSSS) on ad-hoc basis in the cadre of Union Public Service Commission substantively in the Grade of Sr. Personal Assistant (Grade B of CSSS) in the Union Public Service Commission, New Delhi, w.e.f. the forenoon of 6th January, 1981.

No. A. 31014/1/81-Admn. I:—The President is pleased to appoint Shri M. C. Khorana, Private Secretary (Grade A of CSSS, Cadre of UPSC) substantively in Gd. A of the Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) Cadre of the Union Public Service Commission w.e.f. 6-1-1981 (FN).

The 19th February 1981

No. A. 38013/2/80-Admn. III:—The President is pleased to permit Shri P. L. Matta, a permanent Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, at his own request, with effect from the forenoon of the 19th February, 1981, in terms of Rule 48 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.

S. BALACHANDRAN,
Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-11001, the 18th February 1981

No. 14029/12/80-NE. II:—In continuation of this Ministry's notification No. 14029/12/80-NE. II, dated the 18th July, 1980 the President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of Shri H. Guha, as Advisor (Animal Husbandry) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, upto 30-6-1981 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

M. P. LHOSLA,
Director

DEPARTMENT OF PERTONNEL & A. R.

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 17th February 1981

No. A. 20014/387/79-Ad. I:—Shri V. P. Dave, an officer of Gujarat State Police on deputation to the Central Bureau of Invetigation has been relieved of his duties in the C.B.I., Ahmedabad Branch on the afternoon of 31-1-81 on repatriation to his parent department.

The 18th February 1981

No. A. 20014/366/79-Ad. I:—Shri B. S. Sethi, an officer of Gujarat State Police on deputation to the Central Bureau of Investigation has been relieved of his duties in the C.B.I., Ahmedabad Branch on the afternoon of 4-2-81 on repatriation to his parent department.

Q. L. GROVER,
Administrative Officer (E)/C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL : CRP FORCE

New Delhi-110022, the 19th February 1981

No. O. II-1526/81-Estt.:—The President is pleased to appoint Dr. Rahul Sanyal as General Duty Officer Grade-II (Dy. SP/Coy Comdr) in the C.R.P. Force in a temporary capacity with effect from the forenoon of 7-2-1981 subject to his being medically fit.

A. K. SURI,
Assistant Director (Estt.)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-19, the February 1981

No. E-38013(3)/12/80-PERS:—On transfer from Baroda, Shri K. K. Kaul assumed the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, GOF Neemuch with effect from the afternoon of 26th January, 1981 *vice* Shri Raghunath Singh, Assistant Commandant who on transfer to Ranchi relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/12/80-PERS:—On transfer Shri A. N. Dwibedi relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, B.S.L. Bokaro with effect from the afternoon of 31st December, 1980 and assumed the charge of the said post at CISF Unit, R.S.P., Rourkela with effect from the forenoon of 9th January, 1981.

The 12th February 1981

No. E-38013(3)/9/80-PERS:—On transfer to Kalpakkam Shri S. K. Mukherjee relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, Farakka Barrage Project, Farakka with effect from the afternoon of 2nd January, 1981 and assumed the charge of the said post at CISF Unit, MAPP, Kalpakkam with effect from the forenoon of 15th January, 1981

The 19th February 1981

No. E-29020/66/80-GA.I:—The President is pleased to appoint Shri B. Dalai, substantively as Assistant Commandant in the Central Industrial Security Force with effect from 29-4-1980

No. E-38013(3)/9/80-PERS:—On transfer to Durgapur Shri S. N. Das relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, FCI Sindri with effect from the afternoon of 14th January, 1981.

No. E-38013(3)/9/80-PERS:—On transfer from Sindri, Shri S. N. Das assumed the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, BOGL, Durgapur with effect from 25th January, 1981 *vice* Shri P. K. Lahiri, Asstt. Commandant who on transfer to Jharia relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/12/80-PERS:—On transfer to Neemuch, Shri K. K. Kaul relinquished the charge of the post of Asstt : Commandant, CISF Unit, IPCL Baroda, with effect from the afternoon of 15th January, 1981.

No. E-38013(2)/1/80-PERS:—On transfer from Barauni, Shri M. D. Singh, IPS (Kar : 68), assumed the charge of the post of Commandant, CISF Unit, HEC Ltd., Ranchi with effect from the forenoon of the 7th January, 1981.

No. E-38013(3)/9/80-PERS.:—On transfer to Haldia, Shri C. D. Rai relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, A.S.P. Durgapur with effect from the afternoon of 16th January, 1981.

No. E-38013(3)/12/80-PERS.:—On transfer from Deoli, Shri B. B. Pooviah assumed the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, HEC Ranchi, with effect from the forenoon of 1st January, 1981.

The 20th February 1981

No. E-16013(2)/1/80-PERS.:—On transfer on deputation, Shri P. M. Khanna IPS (Raj : 67) assumed the charge of the post

of Asstt. Inspector-General (Induction & Planning) CISF HQrs, New Delhi with effect from the forenoon of the 16th February, 1981.

SURENDRA NATH,
Director-General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 7th February 1981

No. P/P(35)/Ad. I:—In continuation of this office notification of even number dated the 8th August, 1980 the President is pleased to extend the *ad-hoc* appointment of Shri K. N. Pant, Hindi Translator in the Secretariat at Election Commission of India, as Hindi Officer in the Office of the Registrar General, India, New Delhi, by transfer on deputation upto the 31st March, 1981 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier, under the existing terms and conditions.

2. The headquarters of Shri Pant will be at New Delhi.

The 23rd February 1981

No. 11/37/80-Ad. I:—The President is pleased to appoint Shri K. R. Narayana, Investigator in the office of the Registrar General, India, New Delhi, as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Karnataka, Bangalore, on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of one year, with effect from the forenoon of the 9th October, 1980, *or* till the post is filled in, on regular basis, whichever is earlier.

2. The headquarters of Shri Narayana will be at Bangalore.

3. The above-mentioned *ad-hoc* appointment will not bestow upon Shri Narayana any claim to regular appointment to the grade of Assistant Director of Census Operations (Technical). The services rendered by him on *ad-hoc* basis shall not be counted for the purpose of seniority in the grade *nor* for eligibility for promotion to the next higher grade. The above-mentioned *ad-hoc* appointment may be reversed at any time at the discretion of the competent authority without assigning any reason there for.

P. PADMANABHA,
Registrar General

DIRECTORATE OF PRINTING

New Delhi, the 20th February 1981

No. B(19)/AII:—Shri D. N. Biswas, Assistant Manager (Admn.), Government of India Forms Store, Calcutta, has retired on superannuation on the afternoon of 31st January, 1981.

H. C. SHARMA,
Deputy Director (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR

LABOUR BUREAU

Simla, the 14th March 1981

No. 23/3/81-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1960 = 100 increased by three points to reach 411 (four hundred and eleven) during the month of January, 1981. Converted to base : 1949 = 100 the index for the month of January, 1981 works out to 500 (five hundred).

J. N. SHARMA
Joint Director

MINISTRY OF FINANCE

DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS

BANK NOTE PRESS

Dewas, the 18th February 1981

No. BNP/C/5/81:—Shri S. K. Shukla who was appointed to officiate on ad-hoc basis as Technical Officer (Printing & Platemaking) with effect from 31-8-80 vide Notification number BNP/C/5/80 dated 7-9-80 is reverted to the post of Junior Supervisor with effect from 10-2-81 (FN).

M. V. CHAR,
Deputy General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 20th February 1981

No. 441/CA.I/81-80:—Additional Deputy Comptroller and Auditor General (Commercial) has been pleased to promote the following Section Officers (Commercial) and appoint them to officiate as Audit Officers (Commercial) and post them as such in the offices noted against each name in column 4 below with effect from the dates mentioned in column 5 below until further orders:—

Sl. No.	Name of SO(C)	Office where working before promotion	Office where posted on promotion	Date of posting as Audit Officer (Commercial)
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	S. Gopalan-II	AG-II, Tamil Nadu, Madras.	AG., Orissa, Bhubaneshwar.	30-7-1980
2.	Jagdish Chander Duggal	AG., Punjab, Chandigarh.	AG., J & K, Srinagar.	29-7-1980

M. A. SOMESWARA RAO,
Deputy Director (Commercial)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 20th February 1981

No. Admn.-I/8-132/80-81/436:—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Sri R. Ramachandran a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840-40-1000-E.B.-40-1200 with effect from 13-2-81 (AN) until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors and is also subject to the result of the Writ Petitions Pending in the A.P. High Court/Supreme Court.

No. Admn.I/8-132/80-81/436:—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Sri T. L. Narasimha Rao a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 13-2-81 (FN) until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors and is also subject to the result of the Writ Petitions pending in the A.P. High Court/Supreme Court.

R. HARIHARAN,
Senior Deputy Accountant General (Adm.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (AIR FORCE)

Dehra Dun, the 1st January 1981

No. AN-I/8766-CON.—Shri Bachan Singh Bhatrajya, Pt. Auditor (A/C No. 8308670) S/o Shri Uday Singh Bhatrajya resident of Village & P. O. Hanuman Chatti, Badrinath, Distt. Chamoli (U. P.) and serving in the office of the Dy. C.D.A. (A.F.) New Delhi had been absent without leave with effect from 1-11-78. After following disciplinary proceedings under departmental rules, he has been awarded the penalty of removal from service w.e.f. 24-11-80 by the Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun. As the order of removal from service which was sent to him at his available addresses by registered post, has been received back undelivered, it is hereby notified that the said Shri Bachan Singh Bhatrajya, stands removed from service with effect from the said date.

H. R. ARORA,
Accounts Officer (Admin.)

MINISTRY OF DEFENCE

DG OF HQRS CIVIL SERVICE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-700069, the 20th February 1981

No. 4/81/A/E-1(NG).—The Director General, Ordnance Factories is pleased to appoint Shri Debdatta Mukherjee, Assistant (Quasi permanent) of Enforcement Directorate, Special Unit, 225/C, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta as Assistant Staff Officer (Group 'B' Gazetted) with effect from 2-2-81 (FN) and posted at O. F. Board, Calcutta.

D. P. CHAKRAVARTI,
ADG OF/Admin.
for Director General, Ordnance Factories

Calcutta-16, the 13th February 1981

No. 6/81/G.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri S. K. Sengupta, Offg. DADGOF (Subst. & Permt. S. A./Foreman), retired from service with effect from 31-1-81 (AN).

V. K. MEHTA,
Asstt. Director General,
Ordnance Factories

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

Bombay-400022, the 13th February 1981

No. 17/8/77-Estt:—Consequent on his voluntary retirement Shri N. V. Ramaswamy, Administrative Officer, Central Labour Institute, Bombay relinquinshed charge of his post with effect from 31st January, 1981 (AN).

A. K. CHAKRABARTY,
Director General

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

ESTABLISHMENT

New Delhi, the 31st January 1981

No. 6/1341/80-Admn.(G)/776.—The President is pleased to appoint Shri R. Sivasailam, IAS (West Bengal Cadre) as Joint Chief Controller of Imports anu Exports, Madras with effect from the forenoon of the 17th December, 1980, on his services being placed at the disposal of the Government of India.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports.

DEPARTMENT OF TEXTILES

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 19th February 1981

No. EST. I-2(707)/527:—Shri T. A. Kuruvilla, Assistant Director, Grade II in the Regional Office of the Textile Commissioner, Coimbatore, has retired from service from the afternoon of the 31st January, 1981, on attaining the age of superannuation.

ANJANEYA,
Deputy Director (Administration)

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS & FATS

New Delhi-110019, the 16th February 1981

No. A-12022/8/80-Estt.—Shri Kishan Ram Arya, ad-hoc Chemist in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats has been appointed as Development Officer (Oils) in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on temporary regular basis in the same Directorate with effect from the forenoon of 12th February, 1981 until further orders.

The 18th February 1981

No. A-11013/1/79-Estt.—In continuation of this Directorate's Notification of even number dated the 20th August, 1980, the *ad-hoc* appointment of Shri P. S. Rawat, officiating Senior Hindi Translator in the Ministry of Civil Supplies, as Hindi Officer, has been continued in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 of purely temporary and *ad hoc* basis with effect from 1st March, 1981 to 31st August 1981 or till the regular incumbent is appointed, whichever is earlier.

A. K. AGARWAL,
Chief Director

MINISTRY OF STEEL & MINES

DEPARTMENT OF STEEL

IRON & STEEL CONTROL

Calcutta-20, the 21st February 1981

No. EI-13(160)/76.—Consequent on his promotion to the post of Assistant Iron & Steel Controller, Shri E. P. Narayanan, has relinquised charge of the post of Senior P. A. with effect from 13-2-81 (F. N.).

The 21st February 1981

No. EI-2(9)/79.—Iron & Steel Controller hereby appoints the following persons on promotion to officiate in the vacant posts of Assistant Iron & Steel Controller in this office with effect from 13-2-81 (F.N.).

(1) Shri Sydney H. McGinn

(2) Shri E. P. Narayanan.

S. N. BISWAS,
Joint Iron & Steel Controller

Calcutta-20, the 21st February 1981

No. EI-12(23)/81(.).—Iron & Steel Controller, on the recommendation of the U.P.S.C., hereby appoints Shri Harbans Singh

to officiate in the vacant post of Asstt. Iron & Steel Controller in this office w.e.f. 27-1-81 (F.N.).

S. K. BASU,
Dy. Iron & Steel Controller.

(KHAN VIBHAG)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 16th February 1981

No. 713D/A-19012(3-STI)/80-19B—Shri S. T. Ingle is appointed as Asstt. Chemist in the Geological Survey of India in the minimum of the pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 6-12-1980 until further orders.

No. 782B/A-32013/1-Dir/81-19A—The president has been pleased to grant proforma promotion under the "Next Below Rules" to S. Banerjee, Geologist (Sr.), (Geological Survey of India, who was on deputation outsideGeological Survey of India, to the post of Director (Geol), in the Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 1500-60-1800-100-2000/- with effect from 10-9-79.

No. 795B/A-19012(3-CRMR)/80-19B—Dr. C. R. M. Rao is appointed as Assistant Chemist in the Geological Survey of India in the minimum of the pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-12-1980 until further orders.

The 18th February 1981

No. 893B/A-19012/(7-JY)/72-19A—Shri Jacob Yuhanna is declared Quasi-Permanent in the post of Asstt. Administrative Officer (since merged and redesignated as Administrative Officer) in the Geological Survey of India, with effect from 9-2-1976.

V. S. KRISHNASWAMY,
Director General
Geological Survey of India

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 16th February 1981

No. 4-175/81/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri B. Ramachandra Reddy to a post of Assistant Keeper in this Survey at Andaman & Nicobar Region, Port Blair, on a temporary basis, with effect from the forenoon of 5th February, 1981, until further orders.

N. R. AICH,
Administrative Officer.

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 18th February 1981

No. C-5692/579-A—Shri Kanti Prakash who was appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post) is confirmed in his appointment with effect from 6th December, 1980.

No. C-5693/724-SOS A—The undermentioned Stores Assistants (Sel. Gde). who were appointed to officiate as Assistant stores Officer (GCS Group 'B' post) on *ad-hoc* basis, vide Notification Nos. as stated against each, are now appointed to officiate as such on regular basis w.e.f. 6th December, 1980:—

Sl. No.	Name	Date of adhoc appointment	Notification No. & Date	Present posting
1.	Shri D. Dhanasekharan	12-5-80	No. C-5630/724-SOS(A) dt. 19/20 June, 1980.	Southern Circle, Bangalore.
2.	Shri Bishwambar Singh	30-5-80 (FN)	No. C-5639/724-SOS(A) dt. 25 July, 1980.	R. & D. Dte., Hyderabad.

No. C-5694/718-A—Shri H. P. Doval, Superintendent, Surveyor General's Office is appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post) in South Eastern Circle Office, Survey of India, Bhubaneswar in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 30th December 1980 (F.N.) *vice* Shri M. Raju, Establishment and Accounts Officer transferred.

No. C-5695/7185A—Shri A. B. Sarkar, Officiating Superintendent, Surveyor General's Office (now on deputation as Map Curator) is appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group'B'post), on *adhoc* basis, in Eastern Circle Office, Survey of India, Calcutta in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 15th October, 1980 (AN) *vice* Shri Ram Lal, Establishment and Accounts Officer, proceeded on leave.

No. C-5696/718-A—Shri M. Raju, Officiating Superintendent, Surveyor General's Office who was appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post,) on *adhoc* basis, w.e.f 26th May, 1980 (F.N.) vide Notification No. C-5647/718-A dated the 5th August, 1980, is now appointed to officiate as such on regular basis w.e.f. 6th December, 1980.

No. C-5697/718-A—Shri S. N. Subba Rao, Office Superintendent (Sr. Scale) Centre for Survey Training and Map Production, is appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post), on *ad-hoc* basis, in C.S.T. & M.P. in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 21st November, 1980 (AN).

K. L. KHOSLA
Major General
Surveyor General of India
(Appointing authority)

DIRECTORATE GENARAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 23rd February 1981

No. 10/8/80-S III—The Director General, All India Radio, appoints Shri B. R. Siddiqui, Senior Engineering Assistant, All India Radio, Lucknow as Assistant Engineer in an officiating capacity at All India Radio, Gorakhpur w.e.f. the forenoon of 31-1-1981 until further orders.

No. 10/36/80-S III—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Surjit Roy as Assistant Engineer at Power Transmitter, All India Radio, Chinsurah in a temporary capacity w.e.f. 4-2-1981 (FN) until further orders.

H. N. BISWAS
Deputy Director of Administration
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

PUBLICATIONS DIVISION

New Delhi, the 5th January 1981

No. A.12025/6/80-Admn. I (Part)—Director, Publications Division is pleased to appoint Shri D. N. Trehan, officiating Business Executive to officiate as Asstt. Business Manager on purely temporary and ad-hoc basis vice Shri G. B. Gupta promoted as Business Manager from 1-12-80 (F.N.) and until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri Trehan any claim for regular appointment in the grade of Asstt. Business Manager. This Service will also not count for the purpose of seniority in that grade.

M. M. B. S. JAIN,
Deputy Director (Admn.)

Directorate of Advertising & Visual Publicity

New Delhi, the 12th February 1981

No. A. 12026/14/80-Est.:—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri A. K. Ray, a temporary Field Exhibition Officer to officiate as Assistant Production Manager (Outdoor Publicity) in a temporary capacity on *ad hoc* basis from the forenoon of 4th Feb., 1981, until further orders.

J. R. LIKHI,
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising and Visual Publicity

Directorate General of Health Services

New Delhi, the 23rd February 1981

No. A. 12026/24/79 (HQ) Admn. I.:—The President is pleased to appoint Shri P. K. Guha, Assistant Depot Manager, Govt. Medical Stores Depot, Madras to the post of Assistant Secretary (Indian Pharmacopoeia Committee), Directorate General of Health Services, New Delhi with effect from the forenoon of 4th February, 1981 on an *ad-hoc* basis until further orders.

S. L. KUTHIALA,
Deputy Director (Admn.),
(O & M)

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

Directorate of Marketing & Inspection

Faridabad, the 7th February 1981

No. A. 12026/2/78-A-III:—The deputation of Shri S. K. Sood, as Accounts Officer in this Directorate at Faridabad which was initially for a period of 2 years with effect from 19-11-78 has been extended for a further period from 19-11-80 to 30-4-81 on existing terms and conditions of deputation.

The 20th February, 1981

No. A. 19025/40/80-A. III:— On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group B) Shri Harpada Kundu who is working as Assistant Marketing Officer (Gr. I) on adhoc basis, has been promoted to officiate as Assistant Marketing Officer (Group I) on regular basis with effect from 3-2-81 at New Delhi until further orders.

B. L. MANIHAR,
Director of Administration
for Agricultural Marketing Adviser.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Personnel Division

Bombay-400085, the 27th January 1981

No. PA/73(11)/80-R-IV:— Director, BARC and Secretary to the Govt. of India appoints Dr. Joshi Deepak Parabhakar as Resident Medical Officer in Medical Division of BARC in a temporary capacity with effect from the forenoon of January 17, 1981 until further orders.

A. SANTHAKUMARA MENON,
Deputy Establishment Officer

Bombay-400085, the 31st January 1981

No. PA/68(6)/77-R-V:—The Director, Bhabha Atomic Research Centre extends the appointment of Shri Upadhyay Radhe Shyam as Scientific Officer/Engineer Grade SB in Beryllium Pilot Plant Project of this Research Centre in a temporary capacity with effect from the afternoon of 28th February, 1981 on fixed term for a period upto the afternoon of June 30, 1981.

T. D. GHADGE,
Dy. Establishment Officer.

Bombay-400085, the 11th February 1981

No. 7(7)/77-Confirmation/813:—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints Shri S. D. Mehta, a permanent Assistant, Department of Atomic Energy and officiating Assistant Personnel Officer in the Bhabha Atomic Research Centre in a substantive capacity in the grade of Assistant Administrative Officer with effect from August 1 1977.

S. RANGANATHAN,
Dy. Establishment Officer.

Bombay-85, the 19th February 1981

No. V/415/Med/Estt. I/853:—The Controller, BARC appoints Smt. R. B. Mistry, a permanent Sister-in-Charge and officiating Asstt. Matron in the BARC, to officiate as Matron in this Research Centre on an ad-hoc basis with effect from 10-11-1980 to 12-12-1980 vice Smt. T. R. Valsangkar, Matron granted leave.

(Kum.) H. B. VIJAYAKAR,
Dy. Establishment Officer

Department of Atomic Energy

Directorate of Purchase and Stores

Bombay-400001, the 16th February 1981

No. DPS/23/8/77-Est./3407:—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri J. G. Sathe, Accountant (Ad-hoc) to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 on an adhoc basis in the same Directorate with effect from 24-5-1980 to 18-8-1980.

C. V. GOPALAKRISHNAN,
Assistant Personnel Officer,

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500762, the 25th January 1981

ORDER

Ref. NFC/PA.V/2606/0581/264:—Whereas Shri M. V. Srihari, Tradesman 'A', CFFP, NFC has been remaining absent from duty from 26-3-80 onwards without prior permission/ sanction of leave;

AND WHEREAS the said Shri Srihari sent a written intimation dated 30-3-80 subsequently for a period of absence for 11 days from 26-3-80 to 5-4-80 ;

AND WHEREAS the said Shri Srihari failed to report for duty from 6-4-80 onwards ;

AND WHEREAS the said Shri Srihari was directed to report for duty immediately vide Admn. letter No. NFC/PA.IV/S-32/ FF/919 dated 16-4-80 ;

AND WHEREAS the letter dated 16-4-80 was received by the said Shri Srihari ;

AND WHEREAS the said Shri Srihari continued to remain absent from duty disregarding the instructions issued to him vide letter dated 16-4-80 ;

AND WHEREAS the said Shri Srihari was informed of the charge and action proposed to be taken against him vide memorandum No. NFC/PA.V/2606/0581/3410 dated 11-12-80 ;

AND WHEREAS the memorandum dated 11-12-80 sent by registered post A.D. to the said Shri Srihari's only available address viz. H. No. 6-7, Malkajgiri, Secunderabad was returned undelivered by Postal Authorities with remarks "Addressee continue 7 days N/A at my D/time" ;

AND WHEREAS the said Shri Srihari continued to remain absent from duty unauthorisedly and without keeping NFC informed of his whereabouts ;

AND WHEREAS the said Shri Srihari had been guilty of voluntarily abondoning his service ;

AND WHEREAS because of his abondoning service without keeping NFC informed of his present whereabouts, the undersigned is satisfied that it is not reasonably practicable to hold

an inquiry as provided in para 41 of NFC Standing Orders and/or Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965 ;

NOW, THEREFORE, the undersigned in exercise of the powers conferred under Para 43 of NFC Standing Orders read with DAE Order No. 22(i)/68-Adm. II dated 7-7-79, as amended by Order No. 22(1)/68-Adm. II dated 2-12-80, hereby removes the said Shri M. V. Srihari, Tradesman 'A', CFFP, NFC from service with immediate effect.

R. RAJENDRAN,
Senior Manager (U).

MADRAS ATOMIC POWER PROJCT

Kalpakkam-603102, the 29th October 1980

No. MAPP/18(112)/80-Rectt.:—The Chief Project Engineer Madras Atomic Power Project is pleased to appoint the following officials of this Project to the grades mentioned against each, in the same Project, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of August 1, 1980 until further orders :—

S. No.	Name	Present Grade	Grade to which appointed-
1.	Shri C. Govindan . .	Scientific Assistant 'C'	Scientific Officer/ Engineer 'SB'
2.	Shri N. Vairamuthu . .	Do.	Do.
3.	Shri Mohinder Singh .	Do.	Do.
4.	Shri T.V. Shanmugasundaram	Do.	Do.
5.	Shri V. P. Balakrishnan .	Do.	Do.
6.	Shri P. Venkatesan . .	Do.	Do.
7.	Shri V. R. Satheesan .	Do.	Do.
8.	Shri L. U. Bhaskara Varma	Do.	Do.
9.	Shri A.A. Sivaprasada Rao	Do.	Do.
10.	Shri S. Arumugam . .	Do.	Do.

R. P. HARAN,
Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

ISRO SATELLITE CENTRE

Bangalore-560058, the 10th February 1981

No. 020/3(061)/A/81:—Director ISRO SATELLITE CENTRE is pleased to appoint the undermentioned persons to posts and with effect from the forenoon of the dates indicated against each in the ISRO SATELLITE CENTRE, Bangalore of the Department of Space on a purely temporary and provisional basis and until further orders :

Sl. No.	Name	Designation	Date
	S/Shri		
1.	S. Mohan Kumar . .	Scientist/ Engineer SB	24-11-1980
2.	Kum. A.R. Shamala . .	Scientist/ Engineer SB	16-1-1981
3.	Deepak Kumar Mishra .	Scientist/ Engineer SB	27-1-1981

S. SUBRAMANYAM,
Administrative Officer-II.

SHAR CENTRE

Sriharikota, the 1981

No. SCF : P&GA : Estt. 1-72:—The Director, SHAR Centre is pleased to appoint on Promotion Shri S. Suryaprakasa Rao to the post of Asst. Canteen Manager in the SHAR Centre, Sriharikota in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5th February, 1981.

The 5th February 1981

No. SCF ; P&GA : Estt. 1-72:—The Director SHAR Centre is pleased to appoint the following personnel to the post of Sci/Engineer-SB in the SHAR Centre, Sriharikota in an officiating capacity with effect from the dates noted against each :

Sl. No.	Name	Date of Appointment.
1.	Shri E. Suryanarayana . .	20-1-1981
2.	Shri A. Jayarami Reddy . .	27-1-1981
3.	Shri G. Ramalingam . . .	30-1-1981

R. GOPALARATNAM,
Head, Personnel & Genl. Admn. Division.
for Director.

OFFICE OF THE DIRECTOR GERNAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th January 1981

No. A.33023/1/76-EI:—The President is pleased to accept the resignation fromf Government service of Shri N. Ranganathan Scientific Officer with effect from 24-9-79.

No. A. 32013/7/79-E I:—The President has been pleased to the continuance of the ad-hoc appointments of the under mentioned officers in the grade of Scientific Officer for the perlods mentioned against their names :—

S/Shri

1. B. K. Gandhi . Beyond 22-5-80 and upto 31-12-80.
2. J. S. Chauhan . Beyond 22-5-80 and upto 31-12-80
3. Kuldip Rai . Beyond 22-5-80 and upto 27-6-80
4. B. R. Sharma . Beyond 22-5-80 and upto 27-6-80

The 12th February 1981

No. A. 32013/8/80-EA:—The President is pleased to appoint the following officers to the grade of Dy. Director/Controller of Aerodromes on a regular basis with effect from the date mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	Station of posting	Date of pro-motion.
1.	Shri L.B. Timmins .	Dy. Director Bombay, Airport.	26-11-80
2.	Shri S.S. Bevli .	Dy. Dir. ARA(O) Hqd.	17-11-80
3.	Shri G.C. Lohar .	Dy. Dir. Calcutta Airport	26-11-80
4.	Shri Prem Nath .	Dy. Dir. ARA(P) Hqd.	17-11-80
5.	Shri S.H. Santakke .	Dy. Dir. Gauhati Airport.	26-11-80
6.	Shri G. Lakra .	Dy. Dir. Bombay Airport.	26-11-80
7.	Shri J. N. Manon .	Dy. Director ARA(P) Hqd.	24-1-80
8.	Shri B.P. Jaiswal .	Dy. Dir. Delhi Airport, Palam.	24-11-80
9.	Shri R.G. Srivastava	Reg. of A. Delhi Region.	24-11-80
10.	Shri R. I. Singh .	Dy. Dir. Varanasi, Airport.	25-11-80
11.	Shri J. Prince .	Dy. Dir. Madras Airport.	15-12-80
12.	Shri M. Sinha .	Dy. Dir. Calcutta Airport.	24-11-80
13.	Shri B.N. Nagpal .	Dy. Dir. Delhi Airport.	24-11-80
14.	Shri K. G. Iyer .	Dy. Dir. Madras Airport.	23-12-80
15.	Shri V. G. Karnad .	Dy. Dir. Bombay Airport.	26-11-80
16.	Shri T.S. N. Rao. .	Dy. Dir. Delhi Airport.	24-11-80
17.	Shri B. M. Roy .	Dy. Dir. Calcutta Airport.	22-1-81

The 13th February 1981

No. A. 32013/12/78-EA:—Shri P. P. G. Nair, Aerodrome Officer, Civil Aerodrome, Vishakapatnam, retired from Government Service on the 30-11-80 AN on attaining the age of Superannuation.

No. A. 32013/12/78-EA:—Shri D. Santhanam, Aerodrome Officer, Madras Airport, retired from Government Service on

the 31st January, 1981 AN on attaining the age of Superannuation.

S. GUPTA,
Dy. Director of Admin.

New Delhi, the 4th February, 1981

No. A. 32014/1/77-EW:—The Director General of Civil Aviation is pleased to accord approval to the *ad hoc* promotion of Shri Vishram Singh Senior Fire Foreman to the grade of Assistant Fire Officer :—

(i) with effect from 5-5-1978 to 12-4-1979.

(ii) from 12-4-1980 to 28-2-1981 or till regular appointmen to the grade of Assistant Fire Officer is made whicheve is earlier.

2. Shri Vishram Singh is posted at Fire Service Training Centre, Calcutta.

3. The aforesaid appointment will not bestow on him a claim for regular appointment, and the service so rendered, will not count for purposes of seniority in the grade and eligibility for promotion to the next higher grade.

E. L. TRESSLOR'
Assistant Director of Administration'

New Delhi, the 12th February, 1981

No. A. 32014/2/80-ES(i):—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri S. C. Mallick, Superintendent as Administrative Officer (Group 'B' post) on ad-hoc basis, in the office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport, Madras, for a period of 6 months with effect from the orenoon of the 27th January, 1981.

No. A. 32014/2/80-ES(il):—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri K. T. Seen, Superintendent, as Administrative Officer (Group 'B' post) on ad-hoc basis, in the office of the Principal, Civil Aviation Training Centre, Bamrauli, Allahabad, for a period of 6 months with effect from the forenoon of the 17th January, 1981.

No. A. 38013/3/80-ES:—Shri M. J. Gaur, Administrative Officer (Group 'B' post) in the office of the Regional Director, Delhi Region, Safdarjung Airport, New Delhi, relinquished charge of his duties in the afternoon of the 30th November, 1980 on attaining the age of superannuation.

V. JAYACHANDRAN,
Asstt. Director of Administration.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 13th February, 1981

No. 42016/1/80-Adm. IV/Estt. I.—In continuation of CWC Notification No. 42016/80-Adm. IV dated 8-9-80, Chairman, CWC extends the ad-hoc appointments of the following officers to the post of E.A.D. (Hydromet) in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, for a further period upto 31-8-81 or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier :—

1. Shri D. S. Madan
2. Shri A. P. Khanna
3. Shri Vinod Kaul
4. S. Venkataraman
5. Shri Ravinder Saxena
6. Shri L. P. Bhuyan.

The appointments of the above officers in the grade of E.A.D. is in the nature of purely local arrangement and will not confer upon them any right for claiming seniority or regular promotion in the Central Water Commission.

K. L. BHANDULA,
Central Water Commission.

MINIETRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

"In the matter of Companies Act, 1956 and of Northern India Mercantile Agencies Private Limited"

Kanpur, the 24th February, 1981

No. 3844/990-LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the Northern India Mercantile Agencies (Pvt.) Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

"In the Matter of the Companies Act, 1956 and of Raj and Raj Limited

Kanpur, the 24th February, 1981

No. 3847/4184-LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Raj and Raj Limited unless cause is known to the contrary, will be struck off the Registrar and the said company will be dissolved.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of Hindustan Cold Storage and Industries Co. (Pvt.) Limited

Kanpur, the 24th February, 1981

No. 3848/1197-L.C.:—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Hindustan Cold Storage and Industries Co. Pvt. Limited unless cause is known to the contrary, will be struck off the Registrar and the said company will be dissolved.

V. P. KAPOOR,
Registrar of Companies, U.P.,
Kanpur.

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-400020, the 13th February, 1981

No. F. 48-Ad (AT)/80—On attaining the age of Superannuation, Shri L. R. Aggarwal, permanent Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 1981.

The 17th February 1981

No. F. 48-(AT)/81.—Shri Ram Dularay, Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Chandigarh Bench, Chandigarh has, on his own request, been reverted to his parent department, Karyalaya Maha Nideshak Sashastra Sena Chikitsa Sewa, Raksha Mantralaya, DHQ, PO New Delhi-11.

He relinquished charge of the office of the Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Chandigarh Bench, Chandigarh in the afternoon of 7th February, 1981.

T. D. SUGLA,
President.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 17th February, 1981

Ref. No. III-464/Acq./80-81.—Whereas, I, H. NARAIN being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Tauji No. 143, Ward No. 2, Circle No. 6, M. S. Plot No. 85 Sheet No. 80, Holding No. 177/3 & 190 situated at Frazer Road, Patna

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 19-6-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Awadh Nandan Singh S/o Late Mulchand Singh at Bahadurpur, P. O. Rajendra Nagar, P. S. Sultanganj, District, Patna.

(Transferor)

(2) Shri Mithilesh Kumar Singh S/o Late Ram Ratan Singh, resident of Gotpa P. S. Vikramganj, District Rohtas, in the capacity of Managing Director, Hotel Chanakya Private Limited, Budh Building, Budh Marg, Patna-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Katha of land with house at Frazer Road, Patna, more-fully described in dead No. 4617 dated 19-6-80 registered with the District Sub-Registrar, Patna.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 17-2-1981

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHUBANESWAR

B'hubaneshwar, the 6th February, 1981

Ref. No. 2/80-81/IAC(A/R)/BBSR.—Whereas, I, B. MISRA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 2880 situated at Balukhanda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Puri on 23-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to beween the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hemaprabha Ganguli,
W/o Raibahadur Sachindranath Ganguli of Circular Road, Town Ranchi through Power Attorney Vaskar Ganguli S/o H. N. Ganguli, Dinaturini Circular Road, Lalpur, P. S. Lalpur, Distt. Ranchi, Bihar.
(Transferor)

(2) Shri Bipin Bihari Pati, S/o Sibaram Pati of Harachandi Sahi, Puri, District Puri.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The land with building located at Mouza Balukhanda, Block II, Plot No. 457, Holding No. 671, Ward No. 10, Present Ward No. 14 under the jurisdiction of Sub-Registrar, Puri and registered by sale document No. 2880, dt. 23-6-80.

B. MISRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhubaneswar.

Date : 6-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 13th February, 1981

Ref. No. AR-II/A3005-16/June 80.—Whereas, I, SANTOSH DATTA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. S. No. 21, H. No. 1 (Pt.) situated at Village Erangal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908(in the Office of the Registering Officer at Bombay on 5-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeshaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Dr. Kishorechand Dunichand
2. Tekchand Dunichand
3. Mrs. Shantidevi Dunichand,
partners of M/s. Beach Hill Real Estate.
(Transferors)

(2) 1. Shri Burjor Framroze Poonawala
2. Mrs. Arnavaz Burjor Poonawala
(Transfeeres)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S-2886/79 and registered with the Sub-registrar, Bombay, on 5-6-1980.

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 13-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 23rd October, 1980

No. C.R. No. 62/27371/80-81/ACQ/B.—Whereas, I, R. THOTHATHRI

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
3, situated at Vanivilas Road, Basavanagudi, Bangalore-4
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Basavanagudi, Bangalore, Doc. No. 917/80-81 on 9-6-1980
for an apparent consideration which in less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

1. (1) Shrimati P. K. Rukmini Bai, No. 60, Palace Road, Bangalore-52.
(2) Managing Committee of Maharashtra Mahila Vidyalaya, No. 3, Vanivilas Road, Basavanagudi, Bangalore-4.
(Transferors)

2. M/s. Karnataka Arya Vysya Mahasabha Mahakalyana Nidhi, Trust Vasavi Dharmashala Buildings, National High School Road, Vishweshwara puram, Bangalore-560004.
(Transferee)

(3) Managing Committee of Maharashtra Mahila Vidyalaya
[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 917/80-81 dated 9-6-1980)
Premises bearing No. 3, situated at Vanivilas Road, Basavanagudi, Bangalore-4, measuring on East 126'-6" West—149'-3", North 177'-3"+67'-3" and South—243'-6".
Bounded on East by Vasavi Dharmashala Building
South by Vanivilas Road.
West By Maharashtra Mahila Vidyalaya Road
North by Private property.

R. THOTHATHRI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Dated : 23-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 10th November, 1980

Notice No. 296/80-81.—Whereas, I, R. THOTHATHRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
C.T.S. No. 1927 situated at Kadolkargalli, Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Belgaum under document number 1082 on 13-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ghanashyam Sripadarao Sardeshpande, No. 353, Nehru Road, Tilakawadi, Belgaum. (Transferor)

(2) Chairman, The Belgaum Taluka Agricultural Produce Co-operative Marketing Society Ltd., Kadolkargalli, Belgaum. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1082 dated 13-6-1980)
Land and building bearing CTS. No. 1927 situated at Kadolkargalli, Belgaum.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 10-11-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 1st December, 1980

C.R. No. 62/27027/80-81/Acq/B.—Whereas, I, R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 18 situated at 13th Main Road, Malleswaram, West, Bangalore-55

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajajinagar—Document No. 569/80-81 on 17-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of the income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri G. Murulidharan,
S/o K. R. Gopalakrishna Rao,
1/53-B, Srirampuram Colony,
St. Thomas Mount,
Madras-16.
(Transferor)

(2) Shri C. S. Ramachandran,
S/o Late C. R. Srinivasa Iyer,
No. 18, 13th Main Road,
Malleswaram West,
Bangalore-55.
(Transferee)

(3) Transferee
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 569/80-81 Dated 17-6-80)
All that house property bearing No. 18 situated at 13th Main Road, Malleswaram West, Bangalore-55 bounded by :

On North — Private property
On South — Private property
On East — Private property
On West — 13th Main Road

R. THOTHATHRI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 1-12-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore, the 1st December, 1980

C.R. No. 62/27086/80-81/Acq. B.– Whereas, I, R. THOTHATHRI

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Old No. 74, 78 and New No. 13, situated at III Cross Road Nehrunagar, Seshadripuram, Bangalore-20

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer

at Gandhinagar, Document No. 680/80-81, on 5-6-1980

for an apparent consideration which in less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri 1. A. Mallikarjuna
2. M. Rajeshwari,
No. 13, III Cross, Nehrunagar, Seshadripuram, Bangalore.
(Transferors)

(2) S/Shri 1. Pammandas P. Axrani,
2. Dhanavanthri
3. Kumar P. Asrani &
4. Manohar P. Asrani
Door No. 6-2, Crescent Road, Bangalore-1.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 680/80-81 dated 5-6-1980)
All that house property, bearing old No. 74, 78 and new No. 13 situated at III Cross, Nehrunagar, Seshadripuram, Bangalore-20 bounded by :

On North — Sri Shamanna's house
On South — Sri Krishnaswamy's house
On East — III Cross Road
On West — Manjunathaprabhu's house.

R. THOTHATHRI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 1-12-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE
Bangalore-560001, the 1st December 1980

C.R. No. 62/27114/80-81/Acq./B.—Whereas, I. R. THOTHATHRI

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C.I.T.B. No. 50 (Vacant site) situated at Industrial Estate, Rajajinagar, Corporation No. 2, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Rajajinagar Document No. 879/80-81 on 27-6-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranafer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. C. Venkatesh,
No. 1, Neelakantapuram,
Palace Cross Road, Bangalore.
(Transferor)

(2) 1. Smt. S. Ahalya Bai
2. Sri S. Arun
No. 589, 5th Block, Rajajinagar,
Bangalore-10.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 879/80-81, dated 27th June, 1980)
Vacant site C.I.T.B. No. 50, situated at Industrial Estate, Rajajinagar, Corporation No. 2, Bangalore.
Bounded by
on North. Site No. 51
on South. Site No. 49
on East. Site No. 10/A
On West. Road.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 1-12-80
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 1st December 1980

C.R. No. 62/27884/80-81/Acq./B.—Whereas I, R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Rukimini Building, Corporation No. 207, 208 and 209 Chickpet Main Road, and Nos. 12 to 26, Marvadi Temple Street, situated at Chickpet, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

at Gandhinagar, Doc. No. 2088/80-81 on dated 1-9-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shrimati P. K. Rukmini Bai,
W/o S. N. Gundu Rao
No. 60, Palace Road, Bangalore.

(Transferor)

(2) Shri Rohit and Rahul Trust, Represented by its Managing Trustee Sri S. M. Ganesh Rao, S/o S. L. Mannaji Rao No. 62, Palace Road, Bangalore-560052.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 2088/80-81, dated 1-9-1980)

All that Property known as "Rukmini Buildings" bearing Corporation Nos. 207, 208 and 209 on Chickpet Main Road and Corporation Nos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, & 26 on Marvadi Temple Street, Chickpet, Bangalore. Consisting of Ground floor, First floor and Second floor.

Bounded by

On North : Chickpet Main Road.
On South : Private property
On East : Marvadi Temple Street.
On West : Private property.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 1-12-80

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 21st November 1980

Notice No. 301/80-81.—Whereas, I, R. THOTHATHRI being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. C.T.S. No. 67, situated at Ward No. 2, Kaladagigalli, Hubli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hubli under Document No. 699 on 26-6-1980

for an apparent consideration

which is less than the fair market value

of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kutchi Dasha Oswal Jain Mahajan Trust By its President Sri Bharat B. Khimiji and Secretary Sri Chimanlal N. Kanji, Kanchagargalli, Hubli.
(Transferor)

(2) M/s. Koppison & Co., Kaladagigalli, Hubli by its partners :
1. Shri Nagappa S/o Ramappa Burade
2. Shri Ramadas S/o Nagappa Burade
3. Smt. Vinata W/o Madhukar Haldipur
4. Shri Goutam S/o Madhukar Haldipur
5. Shri Gourang S/o Madhukar Haldipur
6. Shri Gourish S/o Madhukar Haldipur
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 699, dated 26-6-1980)
Land and building bearing C.T.S. No. 67 situated in Ward No. 2, Kaladagigalli, Hubli.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 21-11-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 5th December 1980

Notice No. 303/80-81.—Whereas, I, R. THOTHATHRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S. No. 1082, 1087 & 53 (Plot No. D-13) situated at Gaspar Dias, Panaji

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ilhas, Panaji under document number 131/80 on 17-6-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Confrarias Reunidas Da Igreja De, Panaji.

(Transferor)

(2) 1. Shri Jacinto Gerson Roberto Filomeno Rodrigues.
2. Maria Angelica Esmeralda de Piedade Noronha Rodrigues,
Represented by their Attorney Shri Joaquim Francisco Sarto de Piedade Noronha,
Neura, Ilhas, Goa.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 131/80 dated 17-6-1980) Open plot measuring 718 sqm. (Plot No. D-13) bearing S. No. 1082, 1087 & 53 situated Gaspar Dias Panaji.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 5-12-1980

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 24th January 1981

C. R. No. 62/26958/80-81/Acq./B.— Whereas, I, R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

32 situated at 4th Main Road, S. K. Garden, Bangalore

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Shivajinagar, Bangalore, Document No. 468/80-88 on 21-6-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and

I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri C. Ramaiah,
residing at Kaval Byrasandra, Kasaba Hubli,
Bangalore, North Taluk.
(Transferor)

(2) K. Mahaboob Basha, No. 4, Lal Maszid 'C' Street, Bangalore-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 468/80-81, dated 21-6-1980)

Premises bearing Municipal No. 32, situated at 4th Main Road, Syed Khader Garden, Divn. No. 48, Bangalore

Measuring :

East to West : 30'
North to South : 47'

Bounded on :

East by premises No. 48
West by premises No. 46
North by premises No. 33
South by 30' road.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 24-1-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 8th January 1981

No. C. R. 62/27625/80-81/Acq.B.—Whereas, I. R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 170 (old No. 7) situated at Kota Subbaiah Setty Lane, Huriyopet, Bangalore City

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Gandhinagar, Document No. 1469/80-81 on 14-7-1980

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section(1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

25—496GI/80

(1) M/s. Matrubai Ramarao Sons,
No. 5, Beegumudra Lane,
Mallikarjuna Temple Street,
Bangalore-2. (repd. by pr. Sri. M. R. Shankarrao.
(Tansferor)

(2) M/s. Kalpana Builders, No. 202, Chickpet Ist Floor, Bangalore-53.
(represented by partner Sri Manoharmal Thanmal Bhandari).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1469/80-81, dated 14-7-1980)
All that property bearing No. 170 (old No. 7) situated at Kota Subbaiah Shetty Lane, Huriyopet, Bangalore City. (Corpn. Divn. No. 16).

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Dated : 8-1-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 5th January, 1981

C.R. No. 62/27693/80-81/Acq./B.— Whereas, I, R. THOTHATHRI, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 771, 772, 773 and 774 situated at Old Taluk Cutchary Road, Chikkapet, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar Document No. 1678/80-81 on 25-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sajjan Investments (P) Ltd.,
"Laxmi Nivas", Fort,
Sri Krishna Rajendra Road,
Bangalore City.
Represented by its Director Sri S. N. Ramakrishna Rao
(Transferor)

(2) M/s. Vinayaka Investments,
No. 302, 1st Floor,
Avenue Road,
Bangalore-53.

The firm consists of four partners.

1. Sri H. Chunnilal, residing at Marathalli, Bangalore.
2. Sri D. P. Sharma, Proprietor of M/s. Sharma Transport residing at No. 328, Albert Victor Road, Bangalore.
3. Sri Nemichand residing at No. 302, Avenue Road, Bangalore.
4. Sri M. Ajithraj residing at No. 45/5, Castle Street, Bangalore.

(Transferee)

(3) 1. M/s. Uday
2. M/s. Kapoor Chand Bros. (Bangalore) P. Ltd.
3. M/s. Bipin Chandra Shashikant & Co.,
(Kismath Stores)
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1678 dated 25-7-1980
Premises bearing New Nos. 771, 772, 773 and 774 situated Old Taluk Cutchary Road, Chikkapet, Bangalore-53.

Bounded by :

On East	A. M. Lane
On Western North	Premises of Devatha Krishnaiah Betty and Devatha Sri Ramaiah Shetty
On South	O.T.C. Road
On West	Properties of Devatha Krishnaiah Shetty and D. Sreeramaiah Shetty

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 5-1-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 5th January, 1981

C. R. No. 62/28080/80-81/Acq./B.—Whereas, I, R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

vacant land premises bearing Muncipal No. 33 (Old No. 18/1) situated at Ranga Rao Road, Shankarapuram, Bangalore-4,

(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Basavangudi, Document No. 2043/80-81 on 21-8-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Vidya Rao, W/o Sri G. L. K. Rao, No. 47, Richmond Road, Civil Station, Bangalore-25.

(Transferor)

(2) 1. The Joint family of Sri T. V. Umash Gupta, consisting of him self and other co-parcener of the Joint family represented by its Manager T. V. Umesh Gupta S/o N. Vajram shetty, No. 99/3, Bull Temple Road, Basavangudi, Bangalore-4.
2. T. V. Umesh Gupta,
3. Smt. U. Lakshmi,
No. 2 & 3 address same as No. 1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immoveble property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 2043/80-81, dated 21-8-1980

The Eastern portion of vacant land in the premises bearing Municipal No. 33 (Old No. 18/1) situated at Ranga Rao Road, Shankarapuram, Bangalore-4.
Bounded by :

On North: Property of the purchaser
On South: Private property
On East: Conservancy Lane
On West: Property belonging to A. N. Srinivasa Iyer.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 5-1-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 5th January 1981

No. C. R. 62/28081/80-81/Acq./B.—Whereas, I, R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. South Western portion of premises bearing municipal No. 32 (Old No. 18) situated at Rangarao Road, Shankarpuram, Bangalore-4

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bansavanagudi, Document No. 2042/80-81 on 21-8-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri
1. A. N. Srinivasa Iyer, S/o Late Sri Rangarao Nageswar Iyer No. 33, Rangarao Road, Shankarpuram, Bangalore—represented by his attorney Sri C. R. Raghunatharao,
2. Mrs. Jayalakshmi Sheshadri W/o Late Sri A. N. Sheshadri, No. 32, Rangarao Road, Shankarpuram, Bangalore-4.
3. S. Giridhar, S/o Late A. N. Sheshadri, No. 5-9-323, Gun-Foundry Opp. to State Bank of Hyderabad, Hyderabad-11 (A. P.),
4. S. Nagaraj, S/o Late A. N. Sheshadri, No. 32, Rangarao Road, Shankarpuram, Bangalore-4,
5. Mrs. Vidya Rao, W/o G. L. K. Rao, No. 47, Richmond Road, Civil Station., Bangalore-25,
6. G. Dushyanth, Minor son of S. Giridhar represented by Sri S. Nagaraj, and
7. Manav Nagaraj, Minor represented by father Sri S. Nagaraj.

(Transferor)

(2) S/Shri
1. The Joint family of N. Jagannath consisting of himself and other co-perceners of the joint family represented by its Mnager, Sri N. Jagannath, No. 35, "Hariniyas" South End Road, Bangalore.-4.
2. Sri N. Jagannath,
3. Smt. J. Radhalakshmi
(The address of No. 2 and 3 are same as in No. 1 above).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 2042/80-81, dated 21-8-1980)

The South Western corner of the premises and property bearing municipal No. 32 (old No. 18) situated at Rangarao Road, Shankarpuram, Bangalore-4.

Bounded by,

On South : Property of Vendor
On North : Property of T. V. Nagendra Gupta
On East : Property of T. V. Umesh Gupta
On West : Rangarao Road.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 5-1-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 29th January, 1981

C. R. No. 62/27362/80-81/Acq/B.—Whereas, I, R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 22 (Old No. 7) situated at New Cross, H. Siddiah Road, III Gross, Annipura, Bangalore-27

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Basavanagudi, Bangalore, Doc. No. 1081/80-81 on 21-6-1980,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri H. Amjankhan S/o Mohamed Hussain Saheb, No. 115, Circular Street, Shanthinagar, Bangalore-27. (Transferor)

(2) Shri Mr. Mahaboob Khan S/o Khader Khan Basha, No. 1, Potters Colony, Behind New Bamboobazar, Bangalore-2. (Transferee)

(3) 1. Sri Abdul Bashir
2. Sri Nayeem Ahmed
3. Sri M. B. Baksh
4. Sri Syed Khalender Saheb
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1081/80-81 dated 21-6-1980)

Property bearing No. 22 (Old No. 7) situated at 3rd Cross, H. Siddiah Road, Annipura, Bangalore-27. Corporation Division No. 38, with a land area of 117·12 Sq. Meters and building thereon.

Bounded on :

North by private property
South by property of Nasarulla Shariff
East by Road
West by private property.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 29-1-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 22nd January 1981

C. R. No. 62/27696/80-81/Acq./B.—Whereas, I, R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 339/36 situated at I Block, Tankbund Road, II Stage, Main Road, Rajajinagar, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Rajajinagar, Doc. No. 1908/80-81 on 22-7-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason, to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Y. C. Rajanna, S/o P. C. Muniyappa, No. 339/36, Ist Block, Tankbund Road II Stage Main Road, Rajajinagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) R. Sharmila, represented by her mother Mrs. R. Shoba, residing at No. 136, Rajamahal Vilas Exten. Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1908/80-81, dated 22-7-1980)
All that property bearing No. 339/36, Ist Block, Tankbund Road, II Stage, Main Road, Rajajinagar, Bangalore (Corporation Division No. 3).

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 22-1-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 2nd February, 1981

C. R. No. 62/27483/80-81/Acq./B.—Whereas, I R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 17 (509) situated at 8th Main Road, Malleswaram, Bangalore-3.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Rajajinagar, Document No. 1503/80-81 on 8-7-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. B. Kamalamma, W/o Late Dr. Y. S. Yethiraj, No. 88, Victoria Layout, Bangalore-560047.
(Transferor)

(2) Shri K. N. Narayana Iyengar, Director "Turnkey Construction (P) Ltd., Residing at No. 21, 11th Main Road, Malleswaram, Bangalore-3.
(Transferee)

(3) Vender
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1503/80-81, dated 8-7-80)

All that property bearing No. 17 (509) situated at 8th Main Road, Malleswaram, Bangalore.

Bounded by :

On North : Private Road.
On South : 9th Cross Road.
On East : 8th Main
On West : Private Property.

R. THOTHATHRI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 2-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 5th February 1981

C.R. No. 62/27434/80-81/Acq./B.—Whereas, I. R. THOTHATHRI,

being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 193/1. A. 2 in No. 80 and Door No. 1-153-A situated at Badagabetta Village, Udupi (Tq.), S. K.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Udupi Document No. 437/80-81 on 17-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P. Ramananda Nayak,
Clerk, Syndicate Bank,
Parka Branch,
residing at Shiribeedu,
Udupi Town, Udupi.

(Transferor)

(2) Shri K. Krishna Sherigar,
Clerk, Syndicate Bank,
Head Office, Manipal
Residing at Kunjibettu,
Udupi Town, (S. K.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Office Gazette.

EXPLANATION :—The etrms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 437/80-81, dated 17-6-1980)

All that house site in No. 80 bearing S. No. 193/1 A 2 situated at Badagabettu Village, Udupi (Tq.), S. K. togetherwith R. C. C. building Door No. 1-153A.

R. THOTHATHRI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 5-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 21st October 1980

Ref. No. P. R. No. 1206/Acq/23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 131 to 137/11 paiki T. P. S. 20 F. P. 364 situated at Gulbaj's Tekra, Kocharab, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

26—496GI/80

(1) Smt. Premkumari Govindram Santram; Kurukshetra, Haryana. (Transferor)

(2) Shri Shyam Sunder Govindram; "Santkutir", Ashram Road, Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 649 sq. mts. bearing S. No. 131 to 137/1 paiki—situated at Kocharab, Gulbaj's Tekra, Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad, vide sale deed No. 9373/17-6-80 i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date. 21-10-1980
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 31st October 1980

Ref. No. P. R. No. 1214/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Lekh No. 91 at Jagnath Plot, situated at Jagnath Street No. 23, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 5-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri D. B. Rathod;
Shri R. B. Rathod;
Opp. All India Radio Station,
Rajkot. (Transferor)

(2) M/s. Patel Construction Co.
Prahlad Plot, Main Road,
Rajkot. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 135-6-0 sq. yds. bearing Lekh No. 91 at Jagnath Plot situated at Jagnath Sheri No. 23, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 1123, dated 5-6-1980.

MANGI LAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 31-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 31st October 1980

Ref. No. P. R. No. 1215/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing [illegible] No. Lekh No. 91, at Jagnath Plot, situated at Jagnath Street No. 23, Rajkot

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 10-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dolatsinh B. Rathod;
Shri Ratansinh B. Rathod;
Behind All India Radio Station,
Sitaram Pandit Bungalow,
Rajkot.

(Transferor)

(2) M/s. Patel Construction Co.
Prahlad Plot; Main Road,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 84-3-0 sq. yds. bearing Lekh No. 91, at Jagnath Plot, situated at Jagnath Street No. 23, Rajkot and as fully described in the registered deed vide Regn. No. 1124, dated 10-6-1980.

MANGI LAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 31-10-1980
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 31st October 1980

Ref. No. P. R. No. 1216/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Lekh No. 91 at Jagnath Plot situated at Jagnath Street No. 23, Rajkot

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 10-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dolatsinh B. Rathod;
Ratansinh B. Rathod;
Behind All India Radio Station;
Sitaram Pandit Bungalow,
Rajkot.

(Transferor)

(2) M/s. Patel Construction Co.
Prahlad Plot, Main Road,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 140 sq. yds. bearing Lekh No. 91 at Jagnath Plot situated at Jagnath Street, No. 23, Rajkot and as fully described in the sale deed registered vide Regn. No. 1134 dated 10-6-1980.

MANGI LAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 31-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (63 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 31st October 1980

Ref. No. P. R. No. 1217/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Lekh No. 91, of Jagnath Plot situated at Jagnath Street No. 23, Rajkot

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 5-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dolatsinh B. Rathod;
2. Shri Ratansinh B. Rathod;
Behind All India Radio Station;
Rajkot.

(Transferor)

(2) M/s. Pandit Construction Co.
Prahlad Plot, Main Road,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have in the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 140 sq. yds. bearing Lekh No. 91, at Jagnath Plot situated at Jagnath Sheri No. 23, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 1149 dated 5-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 31-12-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 3rd November 1980

Ref. No. P. R. No. 1221/Acq./23-1/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. S. No. 429 situated at Gondal

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Gondal on 18-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Patel Thakershi Kuraji;
Satyam, Kashivishwanath Road, Vikram Vihar, Station Plot, Gondal.

2. Shri Jasmatbhai Lakhmanbhai Reyani;
Patel Marketing Yard, Shop No. 52, Gondal.

3. Shri Harjibhai Bhurabhai Patel;
Mahadev Wadi, Gondal

(Transferor)

(2) Smt. Vinaben Chhotalal Ajmera;
"Sonal", Station Plot, Marg No. 19, Gondal.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 10164 sq. yds. (Acre 2 Guntha 1/2) bearing S. No. 429 situated at Gondal and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 1846 dated 18-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, Ahmedabad

Date : 3-11-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. PI R. No. 1310/Acq./23/I/80-81.— Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
F.P. No. 192 part, T. P. S. 6 situated at Paldi, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 30-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Harshvadan Hathising Shah, Karta & Manager of H.U.F.
2. Shri Naren Hathising Shah, Karta & Manager of H.U.F.
3. Shri Niranjan Hathising Shah, Karta & Manager of H.U.F.
4. Vijay Hathising Shah, Karta & Manager of H.U.F., all of Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Chit Co-op. Hsg. Society Ltd., C/o Shri Ashok Chandulal Shah, Shah Colony, Shahpur, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 700 sq. mts. bearing F. P. No. 192 part, T.P.S 6 situated at Paldi, Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 9814/30-6-1980 i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1311/Acq./23-I/80-81.— Whereas, I MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 71 (1/6th share) situated at Ghatlodiya, District Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at Ahmedabad on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforsaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any inome arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shakraji Vasaji Thakore;
Chandlodiya, District Ahmedabad,
(Transferor)

(2) Shri Hasmukhji Kasturbhai Shah & others,
41, Shamakvasi Jain Coop. Housing Society Ltd.,
near Naranpura Railway Crossing, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of land bearing S. No. 71, situated at Ghatlodiya, District Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 3833/June, 1980 (37-G form recd. in June, 1980) i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1312/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 71 (1/6th 1/4 1/6th share) situated at Ghatlodiya, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manaji Visaji,
Village Chandlodiya, District Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Hasmukhji Kasturbhai Shah & others;
41, Sthanakvasi Jain Coop. Housing Society Ltd., near Naranpura Railway Crossing, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from hte service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EPXLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th + 1/6th share of land bearing S. No. 71 situated at Ghatlodiya, Distt. Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 3874 & 3835/June, 1980 (37-G form recd. in June, 1980) i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1313/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 71 (1/6th share) situated at Ghatlodiya, District Ahmedabad
(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ahmedabad on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Khodaji Ambaram & others,
Village Vavol, District Gandhinagar.
(Transferor)

(2) Shri Hasmukh Kasturbhai Shah & others,
41, Sthanakvasi Jain Coop. Housing Society Ltd., near Narangura Railway Crossing, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of land bearing S. No. 71, situated at Ghatlodiya, District Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 3836/June, 1980 (37-G Form recd. in June, 1980) i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1314/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. F.P. No. 347, S. P. No. 5, Plot No. 5-C, T. P. S. 3 situated at Mithakhali, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 or 1908), in the Office of the Registering Officer

at Ahmedabad on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramesh Utsavlal Shah;
Opp. Sital Baug Flat, Sardar Patel Road,
Navrangpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Radhakrishna Apartments Owners Association;
through : Chairman Shrimati Varsha Ramesh Shah,
6-Gita Baug Society, Paldi, Ahmedabad-7.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Structure standing on land 336 sq. yds. bearing T. P. S. 2—F. P. No. 347, S. P. No. 5, Plot No. 5-C, situated at Mithakhali, Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 7173/80 received in the Batch of June, 1980 i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1691 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1315/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No S. No. 37/1& 87/2 paiki T. P.S. 19—F. P. No. 188 sub-plot No. 2 paiki situated at 267+267 sq. yds. land, situated at Drive-in-Road, Thaltej, Ahmedabad and more fully described in the Schedule annexed hereto) nas been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 16-6-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) 1. Maltiben Narandas;
2. Narendra Narandas;
3. Surendra Narandas;
4. Mahendra Narandas;
All at 'Honesty Bungalow", 'Maninagar, Ahmedabad

(Transferor)

(2) Malti Apartment Owners Association (Proposed), Main Organisers; Shri Bachubhai Devjibhai Patel; Srikunj Society, Bhulabhai Park, Gita Mandir Road, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 534 sq. yds. land bearing S. No. 87/1 & 87/2 paiki T. P. S. No. 19—P. F. No. 188—sub-plot No. 2 paiki 534 sq. yds. land, situated at Drive-in-Road, Thaltej, Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad, vide sale-deed No. 9333 & 9332/16-6-80 i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL
Competent Athority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, I, Ahmedabad

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1316/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No. 257-A, T. P. S. No. 4, F. P. No. 54+55, Hissa No. 12, situated at Maninagar, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 7-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market vauel of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shantilal Narottamdas Shah;
3, Ram Baug, Maninagar, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Narayanmani Apartment Coop. Housing Society Ltd.,
Through Shri V. S. Patel,
Maninagar, Char Rasta, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 833 sq. yds. with structure thereon bearing S. No. 257-A, Rajpur-Hirpur, T. P. S. 4, F. P. No. 54+55, Hissa No. 12, situated at Maninagar, Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 7843/7-6-80 i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 1-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 11th February, 1981

Ref. No. P. R. No. 1317/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Kawadawadi Street, No. 14, situated at Kavadawadi Street No. 14, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 17-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Khodabhai Ratanabhai;
"Ratna-Deep",
Swasrya Society Marg No. 1,
Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Sajabhai Apabhai;
Kumbharwada Main Road,
Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land admeasuring 250 sq. yds. situated in Kewadawadi, Street No. 14, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 1500 dated 17-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February, 1981

Ref. No. P. R. No. 1318/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. S. No. 88-1, Plot No. 57, situated at Village Raiya, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kumarshri Harish h andrasingh Ravatwala Saheb-Bilkha House, Rajkot. (Transferor

(2) Shri Hargovinabhai Hiralalbhai Kotak; Parabazar, Rajkot. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 577-7-0 sq. yds. bearing S. No. 88-1, Plot No. 57, situated at village Raiya, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 3000/80 dated June, 1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1319/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 88-1, Plot No. 52, situated at Raiya village, Rajkot

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor as more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kishorsinghji Ruvatwala Saheb;
Kishor Villa, Shroff Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Smt. Sushilaben Jayantilal Aahiya;
C/o H. H. Kotak,
Para Bazar, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 577·7·0 sq. yds. bearing S. No. 88-1, Plot No. 52, situated at village Raiya and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 3002 dated June, 1980.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1320/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 88-1, Plot No. 47, situated at Village Raiya, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

28—496GI/80

(1) Bashri Bhanukumariba Ravatavala Saheb; Bilkha House, Rajkot.
(Transferor)

(2) Smt. Sushilaben Jayantilal Ahhiya; Parabazar, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 377·7·0 sq. yds. bearing S. No. 88-1, Plot No. 47, situated at village Raiya, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 3005, dated June, 1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1321/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 88-1, Plot No. 46, situated at Raiya Village, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Rajkot on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ba Shri Nandkunvarba Ravatwala Saheb; Bilakha House, Rajkot.
(Transferor)

(2) Smt. Sushilaben Jayantilal Ahhva; Parabazar, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 500·2 sq. yds. bearing S. No. 88-1, Plot No. 46, situated at village Raiya Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 3009 dated 12-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February, 1981

Ref. No. P. R. No. 1322/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No. 88-1, Plot No. 24-B, situated at Village Raiya, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Rajkot on 2-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dadhiben Hiralal;
Gunvantrai S.
Vasantlal Hiralal;
Jayantilal Hiralal;
Chandulal Hiralal;
Ghansyam Hiralal;
12-Jayraj Plot, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Babulal Jinabhai Tank,
Raiya Road, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 568-8-0 sq. yds. bearing S. No. 88-1; Plot No. 24-B situated at Raiya Village, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No 3415 dated 2-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February, 1981

Ref. No. P. R. No. 1064/Acq./23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 329 R. S. No. 92-2 paiki City S. No. 1944 situated at Arogyanagar Society, Athwa, Lines, Surat
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 4-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objects of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ishvarlal Manishankar Bhatt;
Arogyanagar, Athwa Lines, Surat.
(Transferor)

(2) Shri Khushalbhai Nagindas Patel;
8-A, Paradise Apartments, Athwa Lines, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at Arogyanagar, Athwa Lines, City S. No. 1944, duly registered at Surat on 4-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1065/Acq./23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 91, New Wd. No. 13, Nondh No. 174 situated at Majura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 2-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Yahyabhai Abdulquem Lokhandwala;
Gopipura, Vohrvad, Surat.
(Transferor)

(2) President, Rajeshkumar Kantilal Shah;
Jamnagar Society, Shod-dod Road, Surat.
Secretary, Shri K. D. Kothari,
Jivan Deep Society, Timaliavad, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Majura—S. No. 91, New Wd. No. 13, Nondh No. 174 duly registered on 2-6-80.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1066/Acq./23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

C. S. No. 2147-B, Ghod-dod Road, situated at Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Surat on 26-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ashokkumar Balvantrai Patidar; Patidar Sadan, Near Guru Krupa Society, Ghod-dod Road, Athwa, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Ishvarbhai Parbhubhai Patel; Village : Bhamaiya; Tal. Bardoli, District. Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The land at C. S. No. 2147/73, near Gurukripa Society, Patidar Sadan, Ghod-dod Road, Athwa, duly registered on 26-6-1980.

MANGI LAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-330009, the 11th February, 1981

Ref. No. P. N. No. 1067/Acq./23-II/80-81.— Whereas, I MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe tha the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Nondh No. 480, Wd. No. 6 situated at Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 9-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Champaklal Maganlal Dharia; Manchharpura, Kharadi Sheri, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Farasram Thakordas; C/o M/s. Balajee Ribbon Trading Co., Manchharpura, Tekravas, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at Nondh No. 480, Wd. No. 6, Surat duly registered on 9-6-1980.

MANGI LAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1068/Acq./23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Land at S. No. 40 paiki situated at Kanbivasa, Broach

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Broach on 27-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to beween the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Partner of Ratanji Furdunji & Sons;
Shri Shri Sarosh Dinshaji Jinwala;
Shri Dinshaji Ferdunji Jinwala;
Shri Sarosh Dinshaji Jinwala;
Civil Lines, Broach.

(Transferor)

(2) Partner of Minerva Construction;
1. Shri Govindbhai F. Mistry;
2. Shri Dipakkumar Govindbhai Mistry;
Shri Fulshruti Coop. Housing Society;
Broach.

(Transferee)

Objections, if any, to be acquisitions of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Kanbivasa, Broach S. No. 40 paiki Plot No. 2, 3 duly registered at Broach on 26-6-80 and 27-6-80.

MANGI LAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February, 1981

Ref. No. P. R. No. 1069/Acq, 23-II/80-81.- Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 4, Paiki Land at Ali situated at Broach

(and more fully described

in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Broach on 3-6-1980

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the aid Act, to the following persons, namely :—

29—496GI/80

(1) Bai Amina Wd/of Ibrahim Haji Ismail;
and minor Hanif Ibrahim—Moti Dungari, Broach;
Shri Rasid Ibrahim Haji Ismail—Moti Dungari, Broach
Shri Mosid Ibrahim Haji Ismail—Moti Dungari, Broach
(Transfreor)

(2) Shri Bharat C. Shah;
President;
Shri Mahavir Coop. Housing Society,
Shrimali Pole, Broach.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at S. No. 4 paiki, Ali Broach, duly registered on 3-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11th February, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1070/Acq, 23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Block No. 140 land situated at Palej, Near Kalpana Society, Palej,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Broach on 27-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jibava Jilukha;
Shri Rahimkha Jilukha;
Shri Umarkha Bhaikha;
Bai Aisha Namikha daughter of Nanjkha Bhaikha;
Bai Mai Wd/of Bhaikha Jilukha;
Bai Aju daughter of Bhaikha Jilukha;
Palej.
(Transferors)

(2) Partners of Dami Roller Flour Mill;
1. Shri Mohmadvali Patel—Kamboli village.
2. Ayasha Mohmad Patel—Kamboli village.
3. Ali Haji Ahmed Patel—Kamboli village.
4. Zubedu Ismail Patel—Village Kantharia;
5. Idrarish Haji Ishubhai—Village Kantharia;
6. Aminabai Suleman—Village Kantharia;
7. Alibhai Haji Musa—Village Kantharia;
8. Mohmad Sidiq Ali Haji Musa—Village Kantharia;
9. Harun Rasid Ali Haji Musa—Village Kantharia;
10. Iqbal Ali Haji Musa—Village Kantharia.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Block No. 140, Palej, duly registered on 27-6-1980 at Broach.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1071/Acq., 23-II/80-81.— Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 304, Sector No. 22, situated at Gandhinagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar on 12-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Suryakant Manilal Shah;
257/b, Jawaharnagar,
Goregaon East, Bombay-62.
(Transferor)

(2) Champaklal Kantilal Shah;
10, Krishnakunj (4th Floor),
212, Walkeshwar Road,
Bombay-6.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Plot No. 304 in Sector No. 22, of Gandhinagar Township and as fully described as per sale deed No. 1013 registered in the office of Sub-Registrar, Gandhinagar on 12-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1072/Acq.-23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. F. P. No. 596, T. P. S. 2, Godhra, situated at Godhra

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Godhra on 20-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideartion and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dhanjibhai Dipchand Shah alias Sukhadia (Transferor)

(2) Dr. Kulin Kusumrai Pandya, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing F. P. No. 596 of T. P. S. 2, Godhra and fully described as per sale deed No. 1295 registered in the office of Sub-Registrar, Godhra, on 20-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad the 11th February, 1981

Ref. No. P. R. No. 1073/Acq, 23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Muni. No. 2/822/16, City Survey Sheet No. 26B, C. S. No. 11336 situated at College Compound, Near Vegetable Market, Palanpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Palanpur in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Morarjibhai Amrutlal Joshi;
C/o Rajendrakumar Babulal Somani;
College Compound, Near Vegetable Market,
Palanpur. (Transferor)

(2) Shri Rajendrakumar Babulal Somani;
College Compound, Near Vegetable Market,
Palanpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing City Survey Sheet No. 26B C. S. No. 11336, Municipality No. 2/822/16 and fully described as per sale deed bearing registration No. 1624, registered in the office of Sub-Registrar, Palanpur, in the month of July, 1980.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11th February, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 11th February, 1981

Ref. No. P. R. No. 1074/Acq, 23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and beaning No.

City Survey Sheet No. 57C, Muni. No. 1/1551/K/13/A situated at Behind Petrol Pump, on the Opp. side of Banas Hotel, Palanpur City

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Palanpur on 13-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Purshotham Jethalal Jadav, Pathar Sadak Bhartharono Thumbdo, Palanpur City, Palanpur. (Transferor)

(2) Prajapati Devchandbhai Gamanbhai; Post Chandisar, Palanpur Taluka. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing City Survey Sheet No. 57C, C. S. No. 12117 (Paiki), Muni. No. 1/1551/K/13/A and fully described as per sale deed No. 1388 registered in the office of Sub-Registrar, Palanpur, on 13-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-2-1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1075/Acq.-23-II/80-81.— Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 11, Saptarshi Colony, situated at Saptarshi Colony, Near Shiv Mahal Apartments, Baroda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

at Baroda on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jaya Kurup;
11, Saptarshi Colony,
Baroda.

(Transferor

(2) 1. Smt. Indira Jagendralal Dalal;
2. Smt. Mayuri Nikhil Dalal;
11, Saptarshi Colony, Near Shiv Mahal Apart ment,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Plot No. 11 of Saptarshi Colony, situated near Shiv Mahal Apartments and as fully described as per sale deed bearing registration No. 3240 and Form 37G received alongwith fortnightly Batch of June, 1980, from Office of Sub-Registrar, Baroda.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12th February, 1981
Seal :

FORM ITNS————-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1076/Acq./23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 463, 482 situated at Moje Vadsar, Baroda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 6-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; *and/or*

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Chandrakant Madhavlal Dalwadi; Kumadan Faliya, Raj Mahal Road, Baroda.

(Transferor)

(2) Annapurna Coop. Housing Society; C/o Ambalal P. Patel, Gorva, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Survey No. 463 and 482 (Paiki), situated at Moje Vadsar and as fully described as per eleven sale-deed Nos. 3193 to 3198, 3204, 3268, 3263, 3254, 3265 registered in the office of Sub-Registered in the Office of sub-registrar, Baroda on 6-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 12th February, 1981
eSal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1077/Acq. 23-II/80-81. Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Survey No. 109 (Paiki) & Sur. No. 110 (Paiki) situated at Moje Datheshwar, Baroda

(and more fully, described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer

at Baroda on 23-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tranferer to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

30—496GI/80

(1) Mahmed Yunus Usman Gani;
Mogulwada, Gendi Gate,
Baroda.

(Transferor)

(2) Anu Coop. Housing Society;
C/o Maganbhai Dahyabhai Patel;
Gendi Gate, Mogulwada, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Sur. No. 109 and 110 Moje Datheswar, Baroda situated as fully described as per sale-(six) deeds No. 3523, 3524, 3525, 3558, 3560 and 3562 registered in the office of sub-Registrar, Baroda on 27-6-80.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER, ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-3800 he 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1078/Acq./23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Survey No. 101 situated at Nizampura, Baroda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Baroda on 26-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Babubhai Bapabhai Patanwadia and others; Nizampura, Baroda.

(Transferor)

(2) Ambikanagar Coop. Housing Society Ltd., Nizampur Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Survey No. 101 situated at Nizampura and as fully described as per four sale-deed Nos. 3536, 3537, 3538 and 3539 registered in the office of sub-Registras, Baroda on 26-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissoner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1079/Acq.-23-II/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
T. P. S. 2, Final Plot No. 536 situated at Anand
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anand in June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concaelmen of tany income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Ishwarbhai Dhulabhai Chawda & others; Anand (Taluka) Anand.
(Transferor)

(2) Rameshchandra Ramanbhai Patil; Anand Taluka; Anand.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing R. S. No. 11472, Final Plot No. 536, of T.P.S. 2, Anand and as fully described as per sale deed No. 1703 registered in the office of Sub-Registrar, Anand in the month of 6/80.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 12-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1080/Acq. 23-II/80-81.— Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 114, Plot No. 67, situated at Moje Jetalpur, Baroda City

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Baroda on 19-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sunderlal Chhotalal Shelat & others;
Mamani Pole, Baroda.
(Transferor)

(2) 1. Pradip Anukant Patel;
Sriniketan Society, Opp. New India Mills, Baroda.
2. Hitesh Narendrabhai Patel;
Rambhai Mansion, Sayajiganj, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing S. No. 114, Plot No. 67, T. P. S. 1, F. P. No. 446, situated at Moje Jetalpur and as fully described as per sale-deed bearing registration No. 3475 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda on 19-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-2-1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1323/Acq /23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL
being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 82 & 83 paiki, Plot No. 182/159 (original Plot No. F. P. No. 116 situated at Society Plot No. 196-220 situated at Azad Society, Ahmedabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 9-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Mansingh Harisingh Zala;
"Vraj Kunj", Prakash Colony,
Near Stadium,, Navrangpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Kunjbihari Himmatlal Dave,
Vallabh Wadi, Near Gujarat College,
Ellisbridge, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bungalow standing on land adm. 564 sq. yds. bearing S. No. 82-83 paiki, original plot No. 182/159, F. P. No. 116 Society Plot No. 196-220, situated at Vastrapur, Azad Society, Ahmedabad, duly registered by Registering Officer Ahmedabad vide sale-deed No. 4942/9-6-80 i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 12-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1324/Acq. 23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 34, Hissa No. 1, situated at Ranip Dist, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ahmedabad on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shivabhai Jijibhai Patel;
Village : Ranip, District Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Kashiba Co-op. Housing Society Ltd.,
Village : Ranip, District Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 1694 paiki bearing S. No. 34, Hissa No.1, situated at village Ranip, District Ahmedabad, duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale deed No. 7920/June, 1980 i.e. property as fully described therein.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 12-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th February 1981

Ref. No. P. R. No. 1325/Acq./23-I/80-81.—Whereas, I, MANGI LAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 1294-1295/1 of Gogha Circle situated at Gogha Road, Bhavnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhavnagar on 13-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Gunvantray Bhaichand Mehta;
20/7, Rafi Kidvai Road, Vadala, Bombay.
(Transferor)

(2) The Sind Hindu Co-op. Housing Society Ltd.,
Chairman : Shri Laxmandas Vishramdas Radheswar.
Lali Bazar, Bhavnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 2380 sq. yds. bearing Plot Nos. 1294-1295 situated at Gogha Road, Bhavnagar and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 178 dated 13-6-1980.

MANGI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 12-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 17th February 1981

Ref. No. I.A.C./C.A.5/July '80/499/80-81.—Whereas, I, A. C. CHANDRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 321/1, 321/3, 320/2A & 321/2 situated at Theur, Distt. Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Haveli-II on 30-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, **namely :—**

(1) Shri Suresh Mahindra,
Yelahanka P. O., Bangalore.
(Transferor)

(2) M/s. Serum Institute of India,
283, M. G. Road, Pune-1.
(Transferee)

(3) M/s. Serum Institute of India,
283, M. G. Road, Pune-1.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land at Survey Nos. 321/1—5 gunthas, S. No. 321/3—5 acres & 10 gunthas, S. No. 320/2A—2 acres & 28 gunthas and S. No. 321/2—5 acres & 9 gunthas, together with structures, padlocks, stables together with courtyards, compound and structures standing on the above lands outside the limits of Pune Municipal and within the limits of Gram Panchayat of Theur, District Pune.

(Property as described in the sale-deed registered under document No. 2721, dated 30-7-1980 in the office of the Sub-Registrar, Haveli-II, Distt. Pune).

A. C. CHANDRA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 17-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 17th February 1981

Ref. No. I. A. C./C.A.-5/July, '80/498/80-81.—Whereas, I, A. C. CHANDRA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 303, 304, 285, 286/2, 287, 286/1 and Gat No. 1579 situated at Theur, District Pune (and more fully described in the scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Haveli-II on 30-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

31—496GI/80

(1) Shri Suresh Mahindra, Yelahanka P. O., Bangalore. (Transferor)

(2) M/s. Serum Institute of India, 283, M. G. Road, Pune-1. (Transferee)

(3) M/s. Serum Institute of India, 283, M. G. Road, Pune-1. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land at Survey Nos. 303—17 acres & 34 gunthas, S. No. 304, 19 acres & 25 gunthas (5-H & 78-R N. A. land), S. No. 285, 3 acres & 2 gunthas, S. No. 286/2—22 gunthas, S. No. 287, 5 acres, S. No. 286/1, 39 gunthas, and Gat No. 1579, 3 acres and 25 gunthas, with padlocks, stables, office, staff quarters, bunglow including incomplete house & together with courtyards, compounds structures standing on the above land at Theur within the limits of Gram Panchayat of Theur, District Pune.

(Property as described in the sale-deed registered under document No. 2720, dt. 30-7-1980 in the office of the Sub-Registrar, Haveli-II, District Pune).

A. C. CHANDRA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 17-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 19th February 1981

Ref. No. I.A.C./C.A.-5/S. R. Sangli/July, '80/501/80-81.—

Whereas, I A. C. CHANDRA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

C. S. No. 1590-A situated at Sangli City, Sangli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Sangli on 20-7-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Andndrao Ghodji Dubal,
At Land Development Bank Office,
Sangli.

(Transferor)

(2) 1. Shri Mahadev Balwant Deshmukh Alis Gharge,
At Vikhal, Distt. Satara.
2. Shri Kantilal Gnyanoba Kadam,
At Katarknatav, District Satara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at C.S. No. 1590-A, within the municipal limits of Sangli City, District Sangli, Area 423 sq. mtrs.

(Property as described in the sale deed registered under document No. 1495 dt. 20-7-80 in the office of the Sub-Registrar, Sangli).

A. C. CHANDRA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Pune

Date - 19-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 19th February 1981

Ref. No. I.A.C./C.A.-5/S. R. Sangli/July, '80/500/80-81.—Whereas, I A. C. CHANDRA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

C. S. No. 1722/6 situated at Sangli City, Sangli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908),in the office of the Registering Officer at Sangli on 13-7-1980

for an apparent consideration which is less than the fair-market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or ohter assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957) :—

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act,I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Balu Bhima Waghmode,
Near Sangli Civil Hospital,
Sangli.
(Transferor)

(2) Shri Appasaheb Alis Tavanappa Shrimandhar Badore,
At Desai Badnikai Market Yard,
Sangli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at C. S. No. 1722/6, Sangli City, Dist. Sangli. Area 281·9 sq. mtrs.

(Property as described in the sale-deed registered under document No. 1451, dt. 13-7-80 in the office of the Sub-Registrar, Sangli).

A. C. CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 19-2-1981
Seal :

FORMS ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 21st February 1981

Ref. No. IAC/CA5/SR. Haveli-I/503/80-81—Whereas I, A. C. CHANDRA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 4 in S. No. 42/A/1-A/2-H, CTS No. 179 situated at Erandavane, Pune-4

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of of 1908) in the office of the Registering Officer

at S. R. Haveli-I on 26th June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Sou. Kunda Suresh Sane,
2. Sou. Mangala Kumar Kulkarni,
C/o Shri V. K. Sane,
893/3, Shivaji Nagar, Pune-4.

(Transferor)

(2) Akhil Co-op. Housing Society Ltd.,
C.T.S. No. 179, Erandavane, Pune-4.

(Transferee)

(3) 1. Sou Kunda S. Sane, and
2. Sou Mangala K. Kulkarni,
C/o Shri V. K. Sane,
3. 893/3, Shivaji Nagar, Pune-4.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 4 in S. No, 42/A/1-A/2-H, CTS No. 179 Erandavane, Pune-4.

(Property as described in the sale-deeds registerd under documents No. 2385 and 2384, dt. 26-3-1980, in the office of the Sub-Registrar, Haveli-I, Dist, Pune).

A. C. CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range-Poona

Date : 21-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 21st February 1980

Ref. No. IAC/CA5/SR.Haveli-I/503/80-81—Whereas I A.C. CHANDRA
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
Plot No. 2 in S. No. 42/A/1-A/2-H, CTS] No. 179 situated in Erandavane, Pune-4
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at S.R. Haveli-I on 26-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Kum. Sandhya Kriahnaji Sane,
2. Shri Suresh Krishnaji Sane,
3. Sou. Manorma Kerishnaji Sane,
4. Kum. Meera Krishnaji Sane,
All C/o Shri V.K. Sane,
893/3, Shivaji Nagar, Pune-4.

(Transferor)

(2) Akhil Co-op. Housing Society Ltd.,
C.T.S. No. 179, Erandavane, Pune-3.

(Transferee)

(3) 1. Shri Suresh K. Sane,
2. Sou. Manorma K. Sane,
3. Kum. Sandhya K. Sane, and
4. Kum. Meera K. Sen,
C/o Shri V.K. Sane,
893/3, Shivaji Nagar, Pune-4.

[Person(s) in occupation of the Property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2 in S. No. 42/A/1-A/2H, C.T.S. No. 179, Erandaivane, Pune-4.

(Property as described in the sale-deeds registered under documents No. 2245, 2248, 2249 and 2250 dt. 13-6-1980 in the office of the Sug-Registrar, Haveli-I, Dist. Pune).

A. C. CHANDRA
Competent Authotty
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Puna

Date : 21-2-1981
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 21st February, 1981

Ref. No. IAC/CA5/SR.Haveli-I/505/89-81—Whereas I A.C. CHANDRA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 5 in S. No. 42/A/1-A/2-H, CTS No. 179 situated at Erandavane, Pune-4

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

S.R. Haveli-I on 26-6-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sou. Asha Bhaskar Vaze,
2. Arati Vasant Kshirsagar,
C/o Shri V.K. Sane,
893/3, Shivaji Nagar, Pune-4.

(Transferor)

(2) Akhil Co-op. Society Ltd.,
CTS No. 179, Erandavane, Pune-4.

(Transferee)

(3) 1. Sou. Asha B. Vaze, and
2. Sou. Arati V. Kirshagar,
C/o V.K. Sane,
893/3, Shivaji Nagar, Pune 4.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined is Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 5, in S. No. 42/A/1-A/2-H, C.T.S. No. 179, Erandavane, Pune-4.

(Property as described in the sale-deeds registered under documents No. 2382 and 2386 dt. 26-6-1980 in the office of the Sub-Registrar, Havel -I, Dist, Pune-4)

A.C. CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Poona

Date : 21-2-1981.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE NUDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (63 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 21st February, 1981

Ref. No. IAC/CA/SR. Haveli-I/502/80-81—Whereas I A.C. CHANDRA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 1, in S. No. 42/A/1-A/2-H, CTS No. 179, situated at Erandavane, Pune-4.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at S.R. Haveli-I on 13-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 26D of the said Act to the following persons namely :—

(1) 1. Sou. Arti Vasant Kshirsagar,
2. Sou. kunda Suresh Sane,
3. Sou. Asha Bhaskar Vaze,
4. Sou. Mangla Kumar Kulkarni,
All C/o Shri V.K. Sane,
893/3, Shivaj Nagar,
Pune-4.

(Transferor)

(2) Akhil Co-op. Housing Society Ltd.,
C.T.S. No. 179,
Pune-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1 in S. o. 42/A/1-A/2-H, C.T.S. No. 179, Erandavane, Pune-4.

(Property as described in the sale-deeds registered under documents No. 2243, 2244, 2247 and 2246, dt. 13-6-1980 in the office of the Sub-Registrar, Haveli-I, Dist. Pune).

A. C. CHANDRA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 22-1-1981
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. KNL/22/80-81—Whereas I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

House No. 283-L, Model Town, situated at Karnal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Karnal in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Brahma Nand S/o Sh. Mukand Lal Sharma, 137-D, Model Town, Karnal.

(Transferor)

(2) Shri Paramjit Kumar S/o Shri Atma Singh Monga, R/o 29, Main Market, Model Town, Karnal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 283 R, Model Town, Karnal and as more mentioned in the saledeed registered at No. 2085 with Sub-Registrar, Karnal.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquistion Range, Rohtak

Date : 4-2-1981

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ECT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. BGR/21/80-81.—Whereas I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing :

No. Part of Bunglow plot No. 5-E/38, NIT situated at Faridabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair Market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

32—496GI/80

(1) Shri Kartar Singh S/o Shri Jiwan Singh,
Kothi No. 450/Sector, 37-A,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Krishna Kumari Mangal
W/o Shri Mangat Ram
R/o 10-A/26, Shakti Nagar, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Proprety being house No. (Bunglow plot) 5-E/38, NIT, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 2860 dated 9-6-1980 with the Sub-Registrar, Ballabgarh.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. PNP/10/80-81.—Whereas I G.S. GOPALA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

House No. 338-L, Model Town, situated at Panipat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Panipat in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dalip Singh S/o Shri Kehar Singh, R/o 338-L, Model Town, Panipat.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Darshan Devi W/o Shri Ved Parkash, R/o 338-L, Model Town, Panipat.

2. Shri Vijay Kumar Mittal S/o Shri Ved Parkash, R/o 338-L, Model Town, Panipat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as and defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being house No. 338-L situated in Model Town, Panipat and as more mentioned in sale-deed registered at No. 1908 dated 2-6-1980 with the Sub-Registrar, Panipat.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (63 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. THN/2/80-81.—Whereas I, G. .S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269E of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agriculture land measuring 80 kanals situated in Village Indachhoi Teh. Tohana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at Tohana in June, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee by the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sant Lal S/o Shri Kishan Chand R/o Sonepat.

(Transferor)

(2) Shri Chandu Ram S/o Pat Ram & Shri Dharam Pal, Ballu, Balwant sons of Shri Om Prakash S/o Shri Chandu Ram R/o Indchhoi Teh. Tohana, Distt. Hissar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of he aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the some meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being land measuring 80 Kanals situated in Village Indachhoi Teh. Tadana and as more mentioned in the sale-deed registered at No. 646 dated 5-6-1980 with sub-Registrar, Tohana.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 24th January 1981

Ref. No. HSR/12/80-81—Whereas I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

House No. 171 N, Model Town, Hissar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Hissar in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Shanti Devi Sehgal Wd/o Shri Karam Chand Sehgal, R/o 1220, Sector 18-C, Chandigarh.

(Transferor)

(2) 1. Shri Shadi Lal S/o Shri Mohnga Ram,
2. Smt. Phool Kumari W/o Shri Shadi Lal.
3. Shri Nand Kishore S/o Shri Shadi Lal,
R/o 171-N, Model Town, Hissar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interetsed in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being House No. 171-N, Model Town Hissar and as more mentioned on the sale-deed registered at No. 1910 dated 17-7-1980 with the Sub-Registrar, Hissar.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Ragnge, Rohtak

Dated : 24-1-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak the 4th February, 1981

Ref. No. SRS/70/80-81—Whereas I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 31 kanals 9 marla situated at Village Ahmad-pur (Sirsa)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sirsa in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ashok Kumar S/o Chhaju Ram, R/o Sirsa.

(Transferor)

(2) Shri Raman Kumar S/o Shri Baldev, R/o Vill. & P.O. Ahmadpur, Distt. Sirsa.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land masuring 31 kanal 9 marlas situated at Village Ahamadpur (Sirsa) and as mentioned in the sale deed registered at No. 3014 dated 5-7-1980 with the Sub-Registrar, Sirsa.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 4-2-1891
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. SRS/69/80 81—Whereas I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Ro. Land measuring 31 kanal 9 marla situated at Village Ahamadpur (Sirsa)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Sirsa in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ashok Kumar S/o Chhaju Ram, R/o Sirsa.

(Transferor)

(2) Shri Raman Kumar S/o Shri Baldev, R/o Vill. & P.O. Ahamadpur, Distt. Sirsa.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being land measuring 31 kanals 9 marla situated at Village Ahamadpur (Sirsa) and as more mentioned in to sale deed registered at No. 2725 dated 24-6-1980 with the Sub-Registrar, Sirsa.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisiotion Range, Rohtak

Dat3 : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. G.R.G./19/80-81.—Whereas I, G. S. Gopala being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of property No. 813/16 (one house) near Bhuteshwar Mandir, Basai Road, Gurgaon situated at Gurgaon

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer

at Gurgaon in August, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Bharatpal Singh
2. Shri Suresh Chander
Sons of late Subedar Ram Chander
through Shri Bharatpal Singh R/o Palwal
(Transferor)

(2) 1. Smt. Indu Aggarwal W/o Shri B. L. Aggarwal
2. Smt. Bakunti Devi W/o Shri Rameshwar Dayal
C/o Shri B. L. Aggarwal, New Bank of India,
Ambala Cantt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being part of property No. 813/16 (one house) near Bhuteshwar Mandir Basai Road, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered No. 2769 dated 18-8-80 with the Sub Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 4-2-1981
Seal:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. GRG/18/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing

No. Part of property No. 813/16 (three shop & open plot) situated at Near Bhuteshwar Mandir, Basai Road, Gurgaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Gurgaon in August, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in, pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bharat Pal Singh, Shri Suresh Chand sons of late Subedar Ram Charder, Bharti Devi D/o Ram Chander through Shri Bharat Pal Singh R/o Palwel, District Gurgaon.
(Transferor)

(2) S/Shri Raghuvir Parshad, Suresh Chand sons of Shri Rameshwar Dayal C/o M/s. Gurgaon Trading Company, near Bhuteshwar Mandi, Basai Road, Gurgaon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being part of property No. 813/16 (three shops & open plot near Bhuteshwar Mandir, Basai Road, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered at No. 2768 dated 18-8-1980 with the Sub-Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. RTK/9/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 357 Ward No. 21 (Now No. 162/28 Daryao Nagar, situated at Rohtak

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rohtak in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

33—496GI/80

(1) Shri Dalip Singh s/o Shri Sheo Singh
Vill & P. O. Baliana (Rohtak)
(Transferor)

(2) Shri Kali Ram s/o Sh. Jage Ram and
Smt. Bhuran Devi w/o Shri Chandan Singh
Vill. & P. O. Kharawar (Rohtak).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable propery, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being House No. 357, Ward No. 21 (New No. 162/W-28), situated in Daryao Nagar, Rohtak and as more mentioned in the sale deed registered at No. 2027 dated 18-7-1980 with the Sub Registrar, Rohtak.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 13th February 1981

Ref. No. KTL/12/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No

Land measuring 10 kanal situated at Kaithal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kaithal in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Dhan Singh S/o Shri Gallu Ram,
S/o Shri Ganga Ram
R/o Amargarh Gawri, Kaithal.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Salochna Devi w/o Gian Chand Sharma,
2. Lila Singh s/o Shri Shri Baggar,
3. Partha s/o Thambu,
4. Prem s/o Arjan Singh
5. Ram Kumar s/o Sarta
6. Bhalli Singh s/o Hazara Singh
7. Ved Parkash s/o Nanu Ram
8. Chandra Wati w/o Nanu
9. Ajmer Singh s/o Abhe Ram
10. Bhane Ram s/o Raj Karan,
11. Pritpal s/o Devi Singh
All resident of Kaithal

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 10 kanal situated at Kaithal and as more mentioned in the sale deed registered at No. 1375 dated 17-6-1980 with the Sub Registrar, Kaithal.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 13-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 13th February 1981

Ref. No. KNL/21/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
No. Land measuring 11 Bighas 18 Biswas situated at Karnal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Karnal in June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Ram Lal
s/o Shri Hira Nand
Shakti Colony,
Karnal.
(Transferor)

(2) M/s. Hanuman Rice and General Mills,
Karnal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 11 Bighas 18 Bishwas situated at Karnal and as more mentioned in the Sale deed registered at No. 2072 dated 28-6-1980 with the Sub Registrar, Karnal.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 13-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February 1981

Ref. BGR/19/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Vacant Plot No. 120, D.L.F. Industrial Estate, Mathura Road, situated at Faridabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Ballabgarh in June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Construction Materials Agency,
116, Udey Park,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Shital Parshad Jain.
S/o Shri Bhondu Mal Jain,
Shri Sat Lal Jain,
S/o Shri Janda Mal Jain,
4 Private Jawahar Nagar, Siri Nagar (J&K)
House No. 104, Block C,
Sir Ganga Nagar, Rajasthan.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being plot No. 120 measuring 1310 sq. yards, situated in D.L.F. Industrial Estate-I, Mathura Road, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 2805 dated 9-6-80 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 13th February 1981

Ref. No. JDR/9/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land measuring 4 kanal 3 marla situated at Jagadhari
(and more fully, described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jagadhari in June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apprent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tranferer to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Welth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Suman Devi,
D/o Ram Gopal,
Smt. Gunwati
wd/o Shri Ram Gopla,
through Shri Madan Lal, Hargopal
s/o Durga Parshad
thorugh Shri Devinder Kumar,
Jagadhari.
(Transferor)

(2) M/s. Dararka Enterprises,
Jagadhari.
(Transferee)

Objections, if any, to the aequisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 4 kanal 3 marla situated at Jagadhari and is more mentioned in the Sale deed registered at No. 1842 dated 12-6-1980 with the Sub Registrar, Jagadhari.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 13-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February 1981

Ref. No. BGR/127/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 47 measuring 1288·88 sq. yards, Industrial Area situated at Sector 24, Faridabad

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ballabgarh in November, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri G. D. Bhilotra
S/o Shri Sawan Mal Bhilotra,
R/o South Extension, Park No. 2,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Bhajan Lal
S/o Shri Govind Ram,
R/o 1-B, 3 New Township,
Faridabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Plot No. 47 measuring 1288·88 sq. yards, with construction area 1788 sq. ft. situated at 24 Sector, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 8367 dated 12-11-80 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 4th February, 1981

Ref. No. DBW/17/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 10 marla situated at Dabwali

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Dabwali in December, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harbans Singh
S/o Shri Gajan Singh,
R/o Dabwali Now at Dumwali,
Teh. Bhatianda.

(Transferor)

(2) 1. Shri Punam Singh
S/o Shri Bhagat Singh
S/o Shri Neta Singh,
Dabwali.

2. Smt. Tara Devi
W/o Tej Kishan
S/o Shri Sagar Mal,
R/o Kaithal.

3. Hem Raj
S/o Shri Bishna Mal,
S/o Shri Sukh Dass,
R/o Dabwali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measurig 10 marla situated at Dabwali and as more mentioned in the sale deed registered at No. 2609 dated 17-12-1980 with the Sub Registrar, Dabwali.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Rohtak.

Date : 4-2-81
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 13th February 1981

Ref. No. NKR/9/80-81. Whereas I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Shop No. 16, Subhash Mandi, Tarori, situated at Tarori
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Naraingarh in June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Brij Pal
S/o Veer Bhan
Minor through Shri Jagat Ram,
R/o Karsa Dodwa,
Tehsil Karnal.
(Transferor)

(2) Shri Jai Pal
S/o Shri Lijja Ram,
R/o Tarori.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being shop No. 16, Subhas Mandi, Tarori and as more mentioned in the sale deed registered at No. 491 dated 10-6-1980 with the Sub Registrar, Nilokheri.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 13-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 19th February 1981

Ref. No. BWN/3/80-81.—Whereas, I, G. S. COPAI A being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot measuring 1544 1/2 sq. yards. situated at Loharu Road, Bhiwani (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhiwani in August, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bihari Lal,
S/o Shri Karam Chand,
S/o Shri Rama Mal,
R/o Bhiwani.

(Transferor)

(2) Smt. Dhanwanti Devi,
W/o Shri P. D. Aggarwal,
C/o Transport Corporation of India Ltd.
'Transport House', P-4, New C.I.T. Road,
Calcutta-700075.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being plot measuring 15441/2 sq. yards situated at Loharu Road, Bhiwani and as more mentioned in the sale deed registered at No. 1357 dated 8-8-1980 with the Sub Register, Bhiwani.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-2-1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 19th February 1981

Ref. No. BWN/4/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot land measuring 1544/2 sq. yards situated at Loharu Road, Bhiwani
(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Bhiwani in August, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Behari Lal,
S/o Shri Karam Chand,
S/o Shri Rama Mal,
R/o Bhiwani.
(Transferor)

(2) Smt. Dhanpati,
W/o Shri P. D. Aggarwal,
of Transport Corporation of India Ltd.,
'Transport House', P-4, New C.I.T. Road,
Calcutta-700075.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property being portion of plot measurion 1544½sq. yards situated at Loharu Road, Bhiwani and as more mentioned in the sale deed registered at No. 1358 dated 8.8.1980 with th Sub Registrar, Bhiwani.

G.S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 19th February, 1981

Ref. No. Jagadhari/7/80-81.—Whereas I, G. S. Gopala

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One shop and residential House No. 187, Jagadhari Road, situated at Yamunanagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jagadhari in June, 1980

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more that fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karam Chand Gora
S/o Shri Melu Ram Gora,
R/o Jagadhari Road,
Yamunanagar.
(Transferor)

(2) Shri Hira Lal
s/o Shri Santu,
Shri Parkash Kumar
S/o Lal Chand,
Mira Bai,
Wd/o Shri Lal Chand,
House No. 24, Vishavkarma Mohalla,
Yamunanagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

The property being shop with residential house No. 187 situated at Jagadhari Road, Yamunanagar and as more mentioned in the sale deed registered at No. 1716 dated 17-6-1980 with sub Registrar, Jagadhari.

G. S. GOPALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 19-2-1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600006, the 4th February, 1981

Ref. No. 10828.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

10/104, West Thiruvenkataswamy Road, situated at Coimbatore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 2992/80) on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri V. Barathan,
S/o Venugopal Nadar,
Ammamadam Lane No. 1,
Nanjundapuram,
Coimbatore Tk,
(Transferor)

(2) Mrs. R. Jaya Bharathi
W/o S. K. Rangaswamy Chettiar,
17/86, Okkiliar Street,
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 10/104, West Thiruvenkataswamy Road, R. S. Puram, Coimbatore.

(Doc. 2992/80)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 4-2-1981

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600006, the 4th February 1981

Ref. No. 10828—RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 10/104West Thiruvenkataswamy Road,
situated at Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Coimbatore (Doc. 2993/80) on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) V. Ramanujam,
R. Senthil Kumar,
R. Rajasekaran,
Minor Krishnamohan,
Suresh Kumar,
No. 4, Padasalai Street,
Nanjundapuram,
Coimbatore Tk.
(Transferor)

(2) S. K. Rangaswamy Chettiar,
S/o S. Krishna Chettiar,
No. 17/86, Okkiliar Street,
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 10/104, West Thiruvenkataswamy Road, R. S. Puram, Coimbatore.
(Doc. 2993/80)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600006, the 3rd February, 1981

Ref. No. 10831.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
67A, Sullivan Street., situated at Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc 3426/80) on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) A. P. Rangarajan,
67A, Sullivan Street,
Coimbatore.

G(Transferor)

(2) S. Sumathi,
G-20, Vysial Street.,
Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 67A, Sullivan St., Coimbatore. (Doc. 3426/80)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 3-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600006, the 2nd February 1981

Ref. No. 10824.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. T.S. 7/3614 Part Subramaniam Road, R. S. Puram, situated at Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Coimbatore (Doc. 3215/80) on June, 1980
for an apparent consideraion which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act; 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 268C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Rajalakshmi,
69, Subramaniam Road,
R. S. Puram,
Coimbatore.
(Transferor)

(2) R. Jagadeesan,
32/56, Sullivan Street., Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at T.S. 7/3614 Part Subramaniam Road, R. S. Puram, Coimbatore.
(Doc. 3215/80)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 2-2-1981
Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600006, the 2nd February 1981

Ref. No. 10824.—Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
T. S. 7/3614, Subramaniam situated at Road, R. S. Puram, Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Coimbatore (Doc. 3216/80) on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Rajalakshmi
69, Subramaniam Road
Coimbatore.
(Transferor)

(2) J. Ambujam Jagadeesan,
32/56, Sulliv. n St.,
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at T.S. 7/3614, Subramaniam Road, R. S. Puram, Coimbatore.
(Doc. 3216/80)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 2-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600006, the 24th February, 1981

Ref. No. 41/June/80.—Whereas, I, T. E. S. R. LAKSHMI NARASIMHAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Dr. No. 1/116, situated at Sundarar Street, Thirunagar, Madurai

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Thirupparankundram, Madurai (Document No. 532/80) on 4-6-1980

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

35—496 GI/80

(1) 1. Shri K. Narayanasamy,
S/o Sri Krishnasamy Naidu,
No. 4, Selva Bhavanam,
Nadar Vidyasalai Street,
Madurai.
2. Shri S. Ramasamy Naidu,
S/o Sri Chinna Solai Naicker,
No. 23, Khajiyar Street,
Madurai.
(Transferor)

(2) Shri T. Manickavasagam Chettiar,
S/o Sri Karumuthu Thiagaraja Chettiar,
Thiagaraja College Endowment Board,
Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at S. No. 117/5-6-7, R. S. No. 117/1-Plot No. A-11-Door No. 1/116, Sundarar Street, Thirunagar, Madurai).

(Document No. 532/80)

T. E. S. R. LAKSHMI NARASIMHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras.

Date : 24-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANME-I, MADRAS

Madras-600006, the 24th February, 1981

Ref. No. 42/June/80.—Whereas, I, T. E. S. R. LAKSHMI NARASIMHAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Dr. No. 2/49, situated at Sundarar Street, Thirunagar, Madurai,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Thirupparankundram, Madurai (Document No. 533/80) on 4-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Welath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri R. Sethurajan,
S/o Sri Rengasamy Naidu,
A-25, Thirunagar,
Madurai.

2. Shri G. Kannan,
S/o Shri Gopalsamy Naidu,
A-25, Thirunagar,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri T. Manickavasagam Chettiar,
S/o Sri Karumuthu Thiagaraja Chettiar,
Thiagaraja College Endowment Board,
Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Door No. 2/49, Sundarar Street, Thirunagar, Madurai (S. Nos. 117/7 and 121/1—R. S. No. 117 & 121—Plot No. A-17).
(Document No. 533/80)

T. E. S. R. LAKSHMI NARASIMHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras.

Date : 24-2-1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February, 1981

Ref. No. PTA/34/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land measuring 1-61-88 Hectare situated at Amam Nagar, Patiala
(and more fully, described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Patiala in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurinder Singh,
Ranjit Singh,
Malwinder Singh
ss/o Shri Devinder Singh,
& Smt. Karnail Kaur,
w/o Shri Devinder Singh
r/o Amam Nagar, Patiala, P. O. Kasali.
(Transferor)

(2) Shri Nand Singh
s/o Shri Jetha Singh,
Nishan Singh,
Kartar Singh,
Shri Gurdial Singh
ss/o Nand Singh
r/o Mohalla Khatika Wala, Khanna.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1-61-88 Hectare situated in Amam Nagar, Patiala.

(The property as mentioned in the registered deed No. 2439 of June, 1980 of the registering Authority, Patiala).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February, 1981

Ref. No. Patiala/32/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 1-61-88 Hectare situated at Amam Nagar, Patiala

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; nad/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurnder Singh,
Malwinder Singh,
Ranjit Singh
SS/o Devinder Singh
& Smt. Karnail Kaur
w/o Shri Devinder Singh
r/o Amam Nagar, Patiala.

(Transferor)

(2) Shri Nishan Singh,
Kartar Singh,
Gurdial Singh
ss/o Shri Nand Singh and
Shri Nand Singh
s/o Shri Jetha Singh
r/o Mohalla Khatika Wala,
Khanna, District Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1-61-88 Hectare situated in Amam Nagar, Patiala.

(The property as mentioned in the registered deed No. 2346 of June, 1980 of the Registering Authority, Patiala.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February, 1981

Ref. No. Patiala/33/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 1-21-41 Hector situated at Amam Nagar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Devinder Singh
s/o Shri Bagga Singh
r/o Amam Nagar, Patiala.
(Transferor)

(2) Shri Nishan Singh,
Kartar Singh,
Gurdial Singh
ss/o Shri Nand Singh and
Shri Nand Singh
s/o Shri Jetha Singh
r/o Mohalla Khatika Wala,
Khanna.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1-21-41 Hector situated in Aman Nagar, Patiala.

(The property as mentioned in the registered deed No. 2347 of June, 1980 of the Registering Authority, Patiala.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Date ; 20-2-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February, 1981

Ref. No. Patiala/38/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land measuring 0-76-38, situated at Amam Nagar, Patiala (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Patiala in June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajbir Singh
s/o Shri Ranjit Singh
r/o Amam Nagar,
Patiala.
(Transferor)

(2) Shri Nand Singh
s/o Jetha Singh,
Nishan Singh,
Kartar Singh,
Gurdial Singh
ss/o Shri Nand Singh
r/o Mohalla Khatika Wala,
Khanna District Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 0-76-38 Hector situated in Amam Nagar Patiala.
(The property as mentioned in the registered deed No. 2611 of June, 1980 of the Registering Authority, Patiala.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. Patiala/37/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

No. Land measuring 1·61-88 Hectare situated at Amam Nagar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Patiala in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or pay moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedins for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the asid Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devinder Singh
s/o Shri Bagga Singh
r/o Amam Nagar,
Patiala, P. O. Kasali.
(Transferor)

(2) Shri Nand Singh
s/o Jetha Singh,
Nishan Singh,
Kartar Singh,
Gurdial Singh
ss/o Shri Nand Singh
r/o Mohalla Khatika Wala,
Khanna.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1-61-88 Hector situated in Amam Nagar, Patiala.

(The property as mentioned in the registered deed No. 2610 of June, 1980 of the Registering Authority, Patiala.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

CENTRAL REVENUE BUILDING LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February, 1981

Ref. No. PTA/35/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 1-79-47 Hector situated at Amam Nagar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Patiala in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devinder Singh
s/o Shri Bagga Singh
r/o Amam Nagar,
Patiala, P. O. Kasali.

(Transferor)

(2) Shri Nand Singh
s/o Shri Jetha Singh,
Shri Nishan Singh,
Kartar Singh,
Gurdial Singh
s/o Shri Nand Singh,
r/o Mohalla Khatika Wala,
Khanna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undermentioned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1-79-47 Hector situated in Amam Nagar, Patiala.

(The property as mentioned in the registered deed No. 2440 of June, 1980 of the Registering Authority, Patiala.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20-2-1981
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
CENTRAL REVENUE BUILDING,
LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/65/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop & Plot No. B-VI-282

situated at Wait Ganj, Madhopuri, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Surinder Pal Bhasin, s/o Sh. Mukand Lal through S. Baldev Singh, s/o Shri Balwant Singh, r/o 711, Sector 11-B, Chandigarh.
(Transferor)

(2) Smt. Vinod Kumari w/o Sh. Amarjit, r/o B-I. 1225, Showani Mohalla, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same menaing as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop & Plot No. B-VI. 282, measuring 80.4 sq. yds. situated in Wait Ganj, Madhopuri, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Regd. Deed No. 1331 of June, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20-2-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
CENTRAL REVENUE BUILDING LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February, 1981

Ref. No. Ludhiana/83/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
H. No. 898/9B23 (Portion) measuring 186-2/3 sq. yds. situated in Shiva Ji Nagar, Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kailash Wati
w/o Shri Lok Nath,
r/o H. No. 898/9B-23 Shiva Ji Nagar,
Ludhiana
Through Shri Vijay Kumar
s/o Shri Harbans Singh,
r/o Shiva Ji Nagar,
Ludhiana.
(Transferor)

(2) Smt. Phullan Devi
w/o Shri Kamal Dev,
r/o H. No. 898/9-B-23, Shiva Ji Nagar,
Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 898/9-B-23 measuring 186·2/3 Sq. yds. situated at Shivaji Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 1711 of June, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
CENTRAL REVENUE BUILDING LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/82/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Shop No. B-15-564/1 measuring 63.1/3Sq. yds situated at Gill Road, Ludhiana.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee to the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Surjit Kaur W/o Shri Sardar Singh C/o B.T. Iron Store, Gill Road, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Tarlochan Singh S/o Sh. Sardar Singh, B-13-1700 Jail Road, Ludhiana C/o B. T. Iron Store, Gill Road, Ludhiana.
(Transferee)

(3) (i) B.T. Iron Store, Gill Road, Ludhiana,
(ii) M.P. Goyal & Co. Charted A/Cs, r/o B-15-564/1, Gill Road, Ludhiana.
(Persons in occupation of the Property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defiend in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop bearing No. B-15-564/1, measuring 63.1/3sq. Yds. situated on Gill Road, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 1686 of June, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20th February, 1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/68/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. B-IV-S-21/2050 situated at Chaura Bazar, Ludhiana.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 80.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Jawanda Mal Alias Jawanda Ram
s/o Sh. Kripa Ram
r/o 8875, Ward No. 5,
Naya Bans Bazar,
Ambala City
through Sh. Chaman Lal r/o 8875,
Ward No. 5, Naya Bans Bazar,
Ambala City.

(Transferor)

(2) Sh. Yashpal S/o
Sh. Hans Raj &
Preeti Aggarwal W/o
Sh. Sunil Kumar,
698, Vishwamitter Street,
Civil Lines, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. B-IV-S-21/2050 situated in Chaura Bazar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1397 of June, 80 of the registering authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 20th Feb., 1981.
Seal:

FORM NO. ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/67/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. B-iv-1055 situated at Mohalla Thapara Ludhiana.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Indra Devi, alias Indera Wati, Wd/o Sh. Shambu Nath, r/o B-IV-1055, Mohalla Thapara, Ludhiana. (Transferor)

(2) Smt. Brij Bala w/o Sh. Bhim Sain r/o B-IV-1541, Mohalla Bandian, Ludhiana. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. B-IV-1055, measuring 162 sq. yds. situated in Mohalla Thapara Ludhiana.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1394 of June, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 20th February, 1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. KNN/21/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 225, Ward No. 14, situated at Mohalla Mata Rani, Khanna Kalan
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khanna in June, 80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Amar Sinhg,
S/o Salig Ram,
r/o Ikolaha Self & General Power of attorney
Sh. Jatinder Nath s/o Sh. Nasib Chand,
r/o 4/12, Alexender Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Gamdur Singh S/o Sh. Chanan Singh
r/o H. No. 225, Ward No. 14, Mohalla Mata Rani,
Khanna
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 225, Ward No. 14 situated in Mohalla Mata Rani, Khanna.

(The property as mentioned in the registered deed No. 848 of June, 1980 of the Registering Authority, Khanna).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20th February, 1981.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. N· CHD 87/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1963 (43 of 1961) hereinafter referred to as the ('said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. SCO No. 108, Sector 35-C situated at Chandigarh.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in June, 80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Smt. Sat Pal Kaur and Smt. Baljit Kaur,
w/o Sh. Jagdev Singh,
r/o H. No. 116,
Sector 9-B, Chandigarh.
(Transferor)

(2) (i) Smt. Parkash Kaur w/o Late Sh. Mohinder Singh Chahal,
(ii) Sh. Harpreet Singh Chahal,
(iii) Sh. Amarpreet Singh Chahal,
ss/o Sh Late Mohinder Singh
all r/o Mohindera House, Jandiala Guru
Distt. Amritsar.
(Transferee)

(3) Super Bazar, Chandigarh
c/o SCO No. 108, Sector 35-C,
Chandigarh.
(Persons in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCO No. 108, situated in Sector 35-C, Chandigarh.
(The property as mentioned in the registered deed No. 539 of June, 80 of the Registering Authority, Chandigarh)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 20th February, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana the 20th February 1981

Ref. No. KNN/23/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House with Land area 8½ Marlas situated at Khanna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Khanna in June, 80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Parlad Singh,
s/o Sh. Uttam Singh,
r/o Ward No. 5,
Samrala Road,
Khanna Kalan.
(Transferor)

(2) Smt. Charanjit Kaur,
d/o Sh. Kartar Singh,
r/o Roorkee, Teh. Patila.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House with land measurng 8½ marlas situated in Khanna (The property as mentioned in the registered deed No. 906 of June, 80 of the Registering Authority, Khanna).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Accuisition Range, Ludhiana

Date : 20th February, 1981.
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/52/80-81—Whereas I, SYKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Kothi No. 53 D, situated at Sarabha Nagar, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 1980. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) familitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

37—496GI/80

(1) Shr. Surlader Singh Sandhu s/o Sh. Kartar Singh, r/o Vill. Gujjarpur Kalan, Teh. Nawan Shehar Distt Jullundur, through Sh. Mohinder Singh Sandhu s/o Sh. Kartar Singh, r/o Gujjarpur Kalan Teh. Nawan Shehar Distt. Jullundur.

(Transferor)

(2) Sh. Shingara Singh Jodhaka s/o Sh Kishan Singh (2) Sh. Sarbjit Singh Jodhaka, (3) Devinder Singh Jodhaka, (4) Sh. Kultar Singh Jodhaka, (5) Sh. Inderpal Singh Jodhaka ss/o Sh. Shingara Singh Jodhaka, all r/o 53-D, Sarabha Nagar Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 53-D, situated in Sarabha Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1207 of June, 80 of the Registering Authority, Ludhiana.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20th February, 1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/55/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. factory buildings Land measuring 1173-1/2 Sq. yds. situated at Sherpur Khurd Teh. Ludhiana.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sh. Yash Pal Kumar s/o Shri Brij Lal,
r/o 586, Model Town,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Sh. Rakesh Kumar Jain s/o Sh. Daulat Ram Jain,
r/o House No. 952, Phalla Adan Rai Bhadur Road
Ludhiana.

(Transfeeer)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory measuring 1173-1/2 Sq. Yds. situated in Sherpur Khurd Teh. Ludhiana.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1223 of June, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-taxt
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 20th February, 1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/81/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H. No. B-VII-389, measuring 115 sq. yds. situated at Kucha Sati Sudhan Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 80.
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Kishore Chand s/o Jeewan Dass, r/o X-VII-B-389, Mohalla Sati Sudhan, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Smt. Veena Rani w/o Sh. Sushil Kumar & Sh. Dinesh Kumar s/o Shambu Diayal r/o B-IV-1321 Kucha Sudhan, Ludhiana now H. No. B-VII-389, Mohalla Sati Sudhan, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. -VII-389, measuring 115 sq. yds. situated in Mohalla Sati Sudhan, Ludhiana.
(The property as mentioned in the registered deed No. 1662 of June, 80 of the registering Authority, Ludhiana).

SUKHEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 20th February, 1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. LDH/80/80-81—Whdreas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. B-14-1391 situated at Islam Ganj, Luhdiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Ludhiana, in June, 80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Chand s/o Sh. Jamana Dass,
r/o Islam Ganj, Ludhiana,
c/o H. No. B-14-1391,
(Transferor)

(2) Sh. Siri Ram s/o Sh. Gurdita Mall,
r/o H. No. B-XIV-1391/1,
Islam Ganj, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. XIV-1391/1 measuring 100 sq. yds. situated in Islam Ganj, Ludhiana.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1657 of June, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20th February 1981.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. CHD/101/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1/2 share of SCF No. 13, Sector 23-D, situated at Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in June, 80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Smt. Parsaini Devi (ii) Sh. Kailash Aggarwal (iii) Smt. Vimal Gupta (iv) Smt. Kamlesh Aggarwal (v) Sh. R.K. Gupta (vi) Shri A.C. Gupta Widow/sons/daughters of Late Balwant Rai through their general Powers of attorney Shri Kailash Aggarwal s/o Shri Late Balwant Rai Aggarwal r/o 55, Seth Sohan Lal Lane, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Smt Saroj Kumari Thukral w/o Sh. Devinder Kumar, Thukral c/o H. No. 3165, Sector 23-D, Chandigarh.
(Transferee)

(3) Azad Boot House, SCF 13, Sector 23-D, Chandigarh.
(Person in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of SCF No. 13, situated in Sector 23-D, Chandigarh. (The property as mentioned in the registered deed No. 587 of June, 80 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20th February 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. CHD/102/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

1/2 share of SCF No. 13, Sector 23-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in June, 80.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue ofthis noticed under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Rajinder Kumar s/o Late Shri Balwant Rai,
(ii) Sh. Avinash Chand s/o Sh. Balwant Rai,
(iii) Smt. Parsini Devi wd/o Sh. Balwant Rai
resident of S-481, Greater Kailash-II, New Delhi.
through Sh. Kailash Chander s/o Sh. Balwant Rai r/o 55, Seth Sohan Lal Lane, Ludhiana,
Smt Vimla Devi Gupta w/o Sh. Prem Nath Gupta r/o Moga Distt Faridkot,
through Sh. Kailash Chand,
Smt. Kamlesh Aggarwal w/o Sh. Y.R. Aggarwal, r/o C-1166/1, Civil Lines, Bhopal
through Sh. Kailash Chand Aggarwal & Sh. Kailash Chand Aggarwal s/o Sh. Late Balwant Rai r/o 55, Seth Sohan Lal Lane, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Sh. Gurdev Singh s/o Sh Sital Singh,
r/o H. No. 3165, Sector 23-D,
Chandigarh.
(Transferee)

(3) Azad Boot House,
SCF 13, Sector 23-D,
Chandigarh.
(Person in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of SCF No. 13, situated in Sector 23-D, Chandigarh.
(The property as mentioned in the registered deed No. 588 of June, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20th Fabruary 1981.
Seal.:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana the 20th February 1981

Ref. No. CHD/109/80-81—Whereas I SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. SCF No. 7, Sector 9-D, situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in June, 80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Raj Kumar s/o Sh. Jagan Nath,
c/o M/s Rattan Chand & Sons, Khannapur,
Bodhi, U.P.
(Transferor)

(2) Smt. Shashi Kanta Gandhi w/o RajinderKumar,
c/o M/s Vijay Confectioners,
Booth No. 24, Sector 8B,
Chandigarh.
(Trnasferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCF No. 7, situated in Sector 9-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 621 of June, 80 of the Registering Authority, Chandigarh)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 20th February, 1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana the 20th February 1981

Ref. No. CHD/105/80-81—Whereas I SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. H. No. 145, Sector 21-A situated at Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chandigarh in June, 80
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ram Singh s/o Sh. Nazar Singh,
r/o 6 Jalan, 10-A, Selayang,
Bharu Caves Malasia,
through General Power of attorney Sh. Kartar Singh,
s/o Sh Ganga Singh ,
r/o Nawa Pind, Khalwal, Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Pishori Lal Sethi s/o Sh. Bodh Raj Sethi,
& Smt. Lila Wati Sethi w/o Sh. Pishori Lal Sethi,
r/o H. No. 145, Sector 21-A,
Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. N. 145, situated in Sector 21-A, Chandigarh.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 614 of June, 80/July 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 20th February, 1981.
Seal.

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 20th February 1981

Ref. No. CHD/93/80-81—Whereas I SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. SCF No. 23, Sector 10-D, situated at Chandigarh.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in June, 80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

38—496GI/80

(1) Sh. Lal Singh s/o Sh. Sunder Singh, r/o H. No. 288, Sector 10-A, Chandigarh.
(Transferor)

(2) Smt. Swaran Kaur r/o Sh. K.S. Thind, & Master Khushjinder Singh (Minor) s/o Dr. K.S. Thind, r/o H. No. 21, Sector 11-A, Chandigarh.
(Transferee)

(3) Sh. Sikander Lal Rawal of M/s. Rawal Provision Store.
(ii) Sh- Vijay Kumar - Transport Haryana Govt.
(iii) Sh. Ramesh Datt—Lottery Deptt. of Haryana Govt.
(iv) Sh. Chaman Lal—Controller of Stores Pb. Govt.
(v) Sh. Sham Lal—Painter M.T. PWD
all r/o SCF 23, Sector 10-D, Chandigarh.
[Person(s) in occupation of the Property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCF No. 23, situated in Sector 10-D Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 562 of June, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 20th February, 1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE II CALCUTTA

Calcutta, the 16th January 1981

Ref. Ac-65/R-II/Cal/80-81—Whereas, I K. SINHA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. 37, situated at D.H. Road, P.S. Alipur, Calcutta (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S.R. Alipur, 24-Parganas on 6-6-1980,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Sudhir Kumar Roy,
288 A, Acharya P.C. Roy Road,
Calcutta-9.

(Transferor)

(2) Sri Sankar Chandra Paul,
27G, Raja S.C. Mullick Road,
Calcutta-32.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6-cottas at 37, D.H. Road, P.S. Alipur, Calcutta, more paeticularly described as per deed No. 2824 of 1980.

K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 16-1-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE II, 54 RAFI AHMED KIDWAI KOAD, CALCUTTA
Calcutta-16, the 16th January 1981

Ref. AC-66/R-II/Cal/80-81— Whereas, I, K. SINHA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 37, D.H. Road, situated at P.S. Alipur, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R. Alipur, 24-Parganas on 10-6-1980.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the asid Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sudhir Kumar Roy,
288A, Acharya Prafulla Ch. Roy Road,
Calcutta-9.
(Transferor)

(1) Sh. Tapan Kumar Paul,
27G, Raja Subodh Mullick Road,
Calcutta-32.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6-cottahs at 37, D.H. Road, P.S. Alipur Calcutta, more particularly described as per deed No. 2872 of 1980.

K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Calcutta

Date : 16-1-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE III CALCUTTA

Calcutta, the 16th February 1981

Ref. No. 886/Acq. R-III/80-81—Whereas I, I.V.S. JUNEJA being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3/H/6 situated at Jhautola Lane, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 25-6-80

for an apparent consideration which is less than the fair market, value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Salma Khatoon. (Transferor)

(2) Smt. Noor Jahan Begum (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Separated southern portion of the house property being premises at 3/H/6, Jhautola Lane, Calcutta.

I.V.S. JUNEJA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III, 54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta.

Date : 16-2-1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE III, CALCUTTA

Calcutta, the 16th February 1981

Ref. No. 885/ACQ R-III/80-81—Whereas, I, I.V.S. JUNEJA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding, Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. 6A, premises No. 33, situated at Dr. Rajendra Road, Calcutta

(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Calcutta on 6-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) faciltating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquision of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Anamika Builders Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Rajam Natesan. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6A, at premises No. 33, Dr. Rajendra Road, Calcutta.

I.V.S JUNEJA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Calcutta.

Date : 16-2-1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 6th February 1981

Ref. No./872—Whereas, I M.L. CHAUHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 15 situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jodhpur on 29-10-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri N.K. Jain S/o Shri J.P. Jain, Niwasi Jodhpur at present Jaipur.
(Transferor)

(2) Shrimati Umaid Kumar W/o Shri Ganga Singh Chauhan, General Hospital, Jalore (Raj.)
(Transferee)

Objections, if any, to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property at Plot No. 15, Jalim Vilas, Paota, Jodhpur & morefully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his No. 674 dated 29-10-80.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jodhpur

Date : 6-2-1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 4th February 1981

Ref. No. 871—Whereas, I M.L. CHAUHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House situated at Sadulganj (Bikaner)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bikaner on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Sushila Devi W/o Mahendra Pal Singh Jat, Chautina Well, Bikaner.

(Transferor)

(2) Shri Tribhuwan Singh, S.H.O.Thana No. 2, Inside Idgah Bari, Bikaner.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property at Plot No. 63, Sector A, Sadulganj, Bikaner & morefully described in the sale deed registered by S R., Bikaner vide his registration No. 787 in June, 1980.

M.L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 4-2-1981.
Seal :

FORM NO. ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 24th February 9181

Ref. No. 875—Whereas, I M.L. CHAUHAN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No Plot No. 10 situated a Jaipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

a. Jaipur on 10-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s M.C. Dasot & Co.,
Registered Firm
Through its Partners : Sys. Mokum Chand, Pramod, Smt. Pawan w/o Subash Chand, & Smt. Meena, w/o Padamchand Dasot, Near Church, M.I. Road, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Chandra Bhan, S/o Shri Om Prakash Jat, Bhaktawarpura, Teh. Chirawa, Distt. Jhunjhunu.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of Plot No. 10, Motilal Atal Marg, Jaipur, and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 1351 dated 10-6-1980.

M.L. CHAUNAN
Competent Autholty,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 24-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 24th February 1981

Ref. No. 877—Whereas, I M.L. CHAUHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House property situated at Jhalarapatan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jahalarapatan on 3-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Laxmandass s/o Shri Mahadeo Mal Sindhi, Jhalarapatan.
(Transferor)

(2) Shri Pramod Kumar and Pravin Kumar sons of Dhiraj Kumar, Jhalarapatan.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in House property situated at Ward No. 11, Dhan Mandi Road, Jhalarapatan & morefully descriged in the sale deed registered by S.R., Jhalarapatan vide No. 286 dated 3-6-1980.

M.L. CHAUHAN
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date: 24-2-1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 24th February 1981

Ref. No. 876—Whereas, I, M.L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House property situated at Jhalrapatan

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jhalrapatna on 3-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laxmandass s/o Shri Mahadeo Mal Sindhi, Jhalrapatan.

(Transferor)

(2) Shri Jitender Kumar s/o Nirmal Kumar and Vijaykumar s/o Nirmal Kumar Saklecha, Jhalarapatan.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette:

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in house property situated at Ward No. 11, Dhan Mandi Road, Jhalrapatan, & morefully described in the sale deed registered by S.R. Jhalrapatan vide No. 287 dated 3-6-1980.

M.L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 24-2-1981
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, COCHIN

Cochin-682016, the 5th February 1981

Ref. L.C. 469/80-81—Whereas, I, V. MOHANLAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Chembukkavu
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Trichur on 28-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Narayani, D/o Late Vattekkat Valappil Raman, Chembukkavu, Trichur.
(2) Mr. Madhavan, S/o Do.
(3) Mr. Kitta by Mr. Madhavan, Do.
(Transferors)

(2) Mrs. Lucy Ittiachan, W/o Shri V.L. Ittiachan, Vazhapilly House, (PO) Nellikunnu, Trichur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EPXLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

9 cents of land with a building in Sy. No. 418/6 of Trichur Village vide document No. 3573/80.

V. MOHANLAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 5th February 1981
Seal:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, COCHIN

Cochin-682016 the 16th February 1981

Ref. L.C. 473/80-81— Whereas, I V. MOHANLAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy. No. as per schedule situated at Tirur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tirur on 12-6-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

1. M/s C.C. Transports,
Partners :—
C. Prabhakaran, C. Asokan, C. Gokulan, C. Mohanan,
Represented by Shri C. Prabhakaran,
Cholappurath House, Chevayur,
Kozhikode.
(Transferor)

2. (1) Shri Mannil Kunhalan Haji,
S/o Enickutty, Omacharuzha,
Perincheri, Tirur Taluk,
(2) Shri Oliyil Mammutty Haji,
Keraladhiswarapuram, Tirur Taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

19 cents of land as per schedule attached to document No. 1461/80 dated 12-6-1980.

V. MOHANLAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 16th February, 1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, COCHIN

Cochin-682015 the 16th February 1981

Ref. L.C. 474/80-81-- Whereas, I. V. MOHANLAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy. No. as per schedule situated at Tirur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Tirur on 9-6-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s C.C. Transports, Represented by C. Prabhakaran for C. Asokan, C. Gokulan, C. Mohanan, Chollappurath House, Chevayur, Kozhikode.

(Transferor

(1) Shri Mannil Kunhalan Haji, S/o Enikutty, Pericheri, Omachapuzha, Tirur Taluk.

(2) Shri Oliyil Mammutty Haji, Keraladhiswarapuram, Tirur Taluk.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

24·25 cents of land as per schedule attached to document No. 1437/80 dated 9-6-1980.

V. MOHANLAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 16th February, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, COCHIN

Cochin-682 016 the 16th February 1981

Ref. L.C. 475/80-81—Whereas I, V. MOHANLAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy. No. as per schedule situated at Tirur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tirur on 6-6-980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s C.C. Transports,
Partners : —
C. Prabhakaran, C. Asokan, C. Gokulan, C. Mohanan
Represented by Shri C. Prabhakaran,
Cholappurath House, Chevayur,
Kozhikode.

(Transferor)

(1) Shi Mannil Kunjalan Haji,
Omachapuzha, Perincheri, Tirur Taluk.
(2) Shri Oliyil Mammutty Haji,
Keraladhiswarapuram, Tirur Taluk.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the sericve of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

22·25 cents of land as per schedule attached to document No. 1412/80 dated 6-6-1980.

V. MOHANLAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 16th February, 1981.
Sea.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE COCHIN

Cochin-682016 the 16th February 1981

Ref. L.C. 476/80-81—Whereas I. V. MOHANLAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Sy. No. as per schedule situated at Tirur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tirur on 16th June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s C.C. Transports,
Partners :-
C. Prabhakaran, C. Asokan, C. Gokulan C. Mohanan,
Represented by Shri C. Prabhakaran,
Cholappurathu House, Chevayur,
Kozhikode.

(Transferors)

(1) Shri Mannil Kunhalan Haji,
S/o Enjkutty, Perincheri, Omachapuzha, Tirur Taluk.
(2) Shri Oliyil Mammutty Haji, Keraladhiswarapuram
Tirur Taluk.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be, made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

21-1/4 cents of land as per schedule attached to document No. 1472/80 dated 16-6-80.

V. MOHANLAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 16th February, 1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER, OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 24th January 1981

Ref. No. RAC No. 1103—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. Block No. 8 situated at T.S. No. 71 CBM Compound Vizag

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Vishakhapatnam on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

1. Shri Karri Suryanarayana, s/o late Appanna, Near Nakkavanipalem, Visakhapatnam.

(Transferor)

(2) Shri Kommineni Veera Nageswara Rao, S/o Kotayya, Turlapadu, Chilakaluripeta Taluk, Guntur Distt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Visakhapatnam during the month of June, 1980 vide document No. 3343/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 24-1-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 24th January 1981

Ref. No. RAC No. 1104—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Block No. 8 situated at T.S. No. 71 CBM Compound Vizag.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Visakhapatnam on June, 80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

40—496GI/80

(1) Sri Karri Suryanarayana,
S/o Late Appanna,
Near Nakkavanipalem, Visakhapatnam.
(Transferor)

(2) Sri Chinta Rama Kotayya, S/o Sri Krishnaiah,
Turlappadu, Chilakaluripeta Taluk,
Guntur Distt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from hte service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression uesd herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The Property was registered with the SRO, Visakhapatnam during the month of June, 1980 vide document No. 3344/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 24-1-1981.
Seal ;

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 24th January 1981

Ref. No. RAC No. 1105– Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Block No. 8 T.S. No. 71 CBM Compound, Vizag.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vishakapatnam on June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Karri Suryanarayana, S/o Late Apparao, Near Nakkavanipalem, Visakhapatnam
(Transferor)

(2) Smt. Chilakuri Chendramma, W/o Late Brahmayya, Turlapadu Chilakaluripet, Taluk, Guntur Distt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The Property was registered with the SRO, Visakhapatnam during the month of June, 1980 vide document no 3345/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 24-1-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 24th January, 1981

Ref. No. RAC No. 1106—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing.

No. Block No. 8 TS No. 71 situated at CBM Compound Vizag.

(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Visakhapatnam on June, 80.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquision of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Karri Suryanarayana, S/o Late Appanna, Near Nakkavaripalem, Visakhapatnam.

(Transferor)

(2) Smt. Muvva Kondamma, W/o Late Koteswara Rao, Turlapadu, Chilakaluripeta, Taluk, Guntur Distt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

The Property was registered during the month of June, 19 with the SRO, Visakhapatnam vide doc No. 3346/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 24-1-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 24th January 1981

Ref. No. RAC No. 1107—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T.S. No. 30 situated at Chinna Bazaar Street, Srikakulam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Srikakulam on June, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ambatipudi Venkatachalam,
S/o Kameswara Rao, Kodambakam,
United India Colony,
2nd Street, Madras.
(Transferor)

(2)1. Dr. Prayaga Bala Subramanya Sarma,
2. Smt. Satyavathi, w/o Bala Subramanya Sarma,
Medical Officer, Govt. Hospital, Kothapeta,
Amalapuram Taluk-E.G. Distt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from hte service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EPXLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Srikakulam during the month of June, 1980 vide document no 2522/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 24-1-1981.
Seal. :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 29th January 1981

Ref. No. RAC No. 404/80-81—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3-4-759/3/3 situated at Barkatpura Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Hyderabad on June 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B.V. Suresh S/o Sri Raghvendra Rao, 5-8-52 Nampally Station Road, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. K. Vijayalaxmi W/o K. Kameswara Rao, Plot No. 12 Chitrakoot, Kachiguda, Hyderabad 500027.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3-4-759/3/3 situated at Barkatpura Hyderabad area 110 square yards registered with Sub-Registrar Hyderabad vide Document No. : 6027/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 29-1-1981.
Seal. :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 29th January 1981

Ref. No. RAC No. 405/80-81—Whereas I, S. GOVINDARAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatfter referred to as the said Act), have reason to believe that the Immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3-4-759/3/6 situated at Barkatpura Hyderabad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on June, 1980.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri B.V. Suresh S/o Sri Raghavender Rao, 5-8-82 Nampally Station Road, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Channa Basappa Desai, S/o Bandappa Desai, 3-4-759/3/6 Barkatpura Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazettee.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3-4-759/3/6 situated at Barkatpura Hyderabad area 138 Sq. yards registered with Sub-Registrar Hyderabad vide Document No. 6067/80.

S. GOVINDARAJAN
Competentt Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 29-1-19
Seal. :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TEX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, th e 2nd February, 1981

Ref. No. RAC 406/80-81—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 76 situated at Vinayanagar Colony, Saidaba Hyderabad.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ajampura, Hyderabad on June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Kokkirala Krishna Murthy,
S/o K. Satyanarayana,
H. No. 11/125 A Ramanthapur,
Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri Paluru Madhusudhana Rao,
S/o P. Subba Rayudu, C.A.
5-1-237/1 Sundar Bhavan,
Jambagh, Hyderabad 500001. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the days from the service of notice on tht respective Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 76 in Survey No 209, 217 and 218 admeasuring 1015 sq. yards situated at Vinayanagar Colony Saidabad, Hyderabad-500036 registered with Sub-Registrar Azampura, Hyderabad vide Document No. 1400/June, 1980.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 2-2-1981.
Seal. :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February, 1981

Ref. No. RAC No. 407/80-81—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 10-2-289/17/1 situated at Shantinagar Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1)(1) Smt. B. Sarojini Devi W/o Sri B. Ravindranath
(2) Sri B. Ravindra Nath S/o Sri Venkateswara Rao, 29-9-30 Govindaraju Naidu Street Vijayawada-2.
(Transferor)

(2) Sri Mohammed Abdul Razak,
S/o Late Mohammed Subhan
H. No. 12-2-37/A/1 Muradnagar,
Hyderabad-500028.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storey building No. 10-2-289/17/1 Shantinagar Hyderabad area 281 sq. yards regis tered with Sub-Registra Hyderabad vide Document No. 6022/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 4-2-1981.
Sea.

Form I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 9th February, 1981

Ref. No. RAC No. 408/80-81—Whereas I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. 10-2-289/17/2 situated at Shantinagar Hyderabad.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on June 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

41—496GI/80

(1) (1) Smt. B. Sarojini Devi W/o Sri B. Ravindranath
(2) Sri B. Ravindranath S/o Sri Venkateswara Rao, 29-9-30 Govindaraju Naidu Street, Vijayawada 2.
(Transferor)

(2) Smt. Mahmooda Begum W/o Sri M.A. Ghani, 11-1-313 Agapura. Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Southern portion of House No. 10-2-289/17/2 Shantinagar Hyderabad area 159 sq. yards registered with Sub-Registrar Hyderabad vide Document No. 6024/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-Hyderabad

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February 1981

Ref. No. RAC 409/80-81—Whereas, I S. GOVINDA-RAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. 403 situated at 6-2-1974 Khairatabad, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s Shahjahan Apartments Reptd By Sri Ahmed Haji Ebrahim,
6-2-1974 Khairatabad,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Shri Mohd. Arifuddin (Minor) S/o Sri Mohd Qamruddin
66/2RT Prakashnagar,
Begumpet, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined ni Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 403 Shajahan Apartments, H. No. 6-2-974 Khairatabad Rajbhavan Road, Hyderabad area 1057 sq. ft. registered with Sub-Registrar Hyderabad vide Document No. 6223/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date 4-2-1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February 1981

Ref.No. RAC No. 410/80-81—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 10-2-289/120/19 situated at Mallepally Hyderabad.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Khairatabad on June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri N. Subba Reddy S/o N.P.S. Reddy, 10-2-289/120/19 P.S. Nagar, Mallepally, Hyderabad. (Transferor)

(2) (1) M.A. Raoof S/o M.A. Khader, 10-1-13/3 A.C. Guards, Hyderabad.
(2) Fouzia Raoof W/o M.A. Raoof, 10-1-13/3 A.C. Guards, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 120/2-289/120/-19 P.S. Nagar Mallepally Hyderabad Block 64,M2 area 704·10 sq. yards registered with Sub-Registrar Khairatabad vide Document No. 1087/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 4-2-1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February 1981

Ref. No. RAC No. 411/80-81—Whereas, I S. GOVINDARAJAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 402 situated at 6-2-974 Khairatabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on August 1980.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ms Shahjahan Apartments,
rep. By Managing Partner Sri Ahmed Haji Ebrahim,
6-2-974 Raj Bhavan Road,
Khairatabad, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Abdul Haleem,
H. No. 162 "A" class New Malakpet,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 402 Shajahan Apartments H. No. 6-2-974 Khairatabad Hyderabad area 1106 sq. ft. registered with Sub-Registrar Hyderabad vide Doc. No. 9075/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 4-2-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad the 4th February 1981

Ref. No. RAC 412/80-81—Whereas, I S. GOVINDARAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearnig
No. Flat No. 404 situated at Kalamansion S. D. Road, Secbad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in this Office of the Registering Officer at
Secunderabad on June, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Umakaran & Tejkaran
Rep by Sri Tej Karan S/o Late Raja Dharan Karan
(2) Raja Ram Karan S/o Raja Dharam Karan,
8-2-547 Dharam Mansion,
Banzara Hills, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Tatenini Ramchandra Rao
S/o Subba Rao,
M-4 Kakatiya Nagar, Habshiguda Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 404 (3rd Floor) permises No. 101 Kalamansion Sarojini Devi Road, Secunderabad—area 83·33 sq. yards registered with Sub-Registrar Secunderabad vide Doc. No. 1488/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 4-2-1981.
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February 1981

Ref. No. RAC 413/80-81—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 3-6-546 situated at Himayathnagar Hyderabad.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Hyderabad on June, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Mohd Fayazuddin S/o Late Mohd Fasiuddin 19-3-729 Gazibanda, Hyderabad.

(2) Mohd. Arifuddin S/o Late Mohd Fasiuddin, A-180 Malakpet, Hyderabad.

(3) Mohd. Quader Mohiuddin S/o Late Mohd Fasiuddin 5-7-521 Nampally Hyderabad,

(4) Afzalunnisa Begum W/o Ghouse Mohd. Khan 19-3-702/703-1 Gazibanda Hyderabad,

(5) Azmatunnisa Begum W/o Mohd Abdul Taher 20-6-329 Sha Alibanda, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. G. Laxmibai W/o G. Limba Reddy, 3-6-546 Himayathnagar, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3-6-546, situated at Road No. 7 Himayatnagar Hyderabad area 566 sq. yards registered with Sub-Registrar Hyderabad vide Document No. : 6124/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 4-2-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February 1981

Ref. No. RAC 414/80-81—Whereas, I S. GOVINDARAJAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot of land situated at Adarshnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Hyderabad on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Sri A. Veerakistaiah S/ o Ram Goud, 5-8-327/A Nampally P. G. Road, Hyderabad.
(2) Sri A. Satyanarayana S/o A. Veerkistaiah
(3) Sri Anand Kumar S/o A. Veerkistaiah
(4) Sri A. Pratap S/o A, Veerkistaiah

(Transferor)

(2) (1) Sri J.K. Mansukhani S/o Late Khemchand , 5-9-24/72 Bashirbagh Hyderabad.
(2) Smt. Shakuntala Patodia W/o P. D. Patodia, 3-4-564/4 Lingampally Hyderabad 27,
(3) Smt. Meena Mahindrakar W/o Purushotham Mahendrakar Khairatabad, Hyderabad-4.
(4) Smt. Kiran Govindaram W/o Govindaram Bolaki C/o Janata Bazar, Nampally station Road, Hyderabad.
(5) Smt. Usha Lalwani W/o Narayandas Lalwani, C/o Bulchand & Co. Abid Road Hyderabad.
(6) Sri P.H. Ramchandani S/o H.F. Ramchandani C/o M/s Rani Art Studio Kachiguda Station Road, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land No. 46 area 412 sq. yards situated at Adarshnagar, Hyderabad registered with Sub-Registrar Hyderabad vide Document No. 6331/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 4-2-1981.
Seal.

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February 1981

Ref. No. RAC 415/80-81—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 204 situated at S.D. Road, Secunderabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Maredpally on June 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) M/s Umakaran & Tejkaran
Rep. by Sri Tejkaran S/o Late Raja Dharam Karan
8-2-547 Banjara Hills, Hyderabad.
(2) Sri Raja Ramkaran S/o Raja Dharam Karan,
Dharam Mansion Banjara Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Mrs. Mira Raghav W/o Lt. Col. G.R. Rao,
5B Race Course Air force Office Bldg.,
Officers quarters Mudfort,
Secunderabad 500003.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Flat No. 204 (Ist floor) Kalamansion S.D. Road, Secunderabad area 83·33 sq. yards registered with Sub-Registrar Maredpally Secunderabad vide Document No. 1574/80.

S. GOVINDRAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 4-2-1981
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th February 1981

Ref. No. RAC 416/80-81—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

6-3-1109/6 situated

at Somajiguda Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

at Khariatabad on June 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

42—496GI/80

(1) Sri Keshav Bhupal S/o Late Krishna Ram Bhupal G.P.A. Smt. Sreelatha Bhupal W/o Late Krishnaram Bhupal 6-3-1100/B Somajiguda, Hyderabad-500482.

(Transferor)

(2) Smt. Y. Raja Rajeswari W/o Late Y. Seshagiri Rao, 6-3-1186/11 Raj Bhavan Road, Begumpet Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 6-3-1109/6 Somajiguda, Hyderabad area 533·50 sq. mts registered with Sub-Registerar Khairatabad vide Document No. 1147/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 4-2-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1108 Kakinada Squad—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Door No. 16/321, 321-1; 16/317; 16/318 & 16/319 Masulipatam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Masulipatam on 15-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax (1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bolleddu Ratnamma
w/o Venkataratnam,
Machavaram, Masulipatam-2.
(Transferor)

(2) (1) Sri Bolleddu Dharam Raj,
(2) Bolleddu Venkat Raj Being Minors-Guardian-B. Ratna Frances, Madhu Gardens,
Mogulrajpuram, Vijaywada-2.
(Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Masulipatam during the month of June, 1980 vide document No 1340/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1109 Kakinada Squad.—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. NTS 12, Site situated at Vidyadhara Puram, VZA

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Vijayawada on 30-6-1980

for an apparent consideration which in less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparenet consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of he ransferor to pay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ivaturi Sarojini Devi, w/o Kutumba Rao,
(2) Kum. Girija Kumari, d/o Kutumbarao,
Vijayawada.

(Transferor)

(2) Sri Damodarlal Gilda, s/o Sitaram Gilda,
Vijayawada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Vijayawada during the month of June, 1980 vide document No 3358/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, A.P., Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1110 Kakinada Squad.—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Door No. 53-3-9 situated at Jaganaicpur Kakinada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Kakinada on 30-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market, value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kovvuri Bullemma w/o Pothuraju, Kakinada. (Transferor)

2. M/s Ketan Shipping Agencies, Bombay. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Kakinada during the month of June, 1980 vide document No. 4534/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, A. P., Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1111 Kakinada Squad.—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
45-1-28 situated at Jagannaichpur Kakinada.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfererd under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Kakinada on 30-6-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Godey Appala Narasamma
w/o Sri Kameswara Rao,
Bhimunipatnam.
(Transferor)

(2) Smt. Nagavarapu Leela Bhavani w/o Chendrasekar,
Kakinada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression uesd herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Kakinada during the month of June, 1980 vide document No. 4769/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, A.P., Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1112—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. S. 161/2 situated at Land at Vakalpudi Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Kakinada on 16-6-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Sri Yembuluri Vemmannarayana,
(2) Yembuluri Vankata Ramanna,
(3) Yembuluri Kasavarao,
Rajaji Street, Kakinada.

(Transferor)

(2) (1) Sri Nemani Bushayya, S/o Venkatarayudu Srmaikcta
(2) Sri Chilukuri Dorayya Chowhary, S/o Narasimham,
Tamarapally.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Kakinada during the month of June, 1980 vide document no 4302/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE HYDERABAD

Hyderabad the 10th February, 1981

Ref. No. RAC No 1113—Whereas, I S. GOVINDARAJAN JAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Door No. 44-13-38 at Jagannaicpur Kakinada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 30-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gadey Appala Narasamma,
W/o Kameswara Rao, Bhimunipatnam.
(Transferor)

(1) Smt. Nagavarapu Manga Tayaramma,
W/o Dayakara Rao,
Kakinada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Kakinada during the month of June, 1980 vide document no 4770/80.

S. GOVINDARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITON RANGE, ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1114 —Whereas, I, S. GOVINDARAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Door No. 7-1-27/A situated at 7th Ward, Naraspur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Naraspur on 15-6-1980
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. (1) Sri Alluri Venkata Narasimha Raju, S/o Narasimha Raju, Naraspur,
(2) Alluri Ramakrishnam Raju, S/o Venkata Narasimha Raju, Narsapur and
(3) Alluri Venkata Satyanarayana Raju,S/o Venkata Narsaimha Raju, Naraspur.
(Transferor)

2. Smt. Nadimpally Kamala Kumari W/o Radha Krishnan Raju, Gudimoola, Rajole Taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Naraspur during the month of June, 1980 vide document Nos. 1430/80, 1431/80 and 1432/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Athority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 10-2-1981.
Seal.

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1115— Whereas, I, S. GOVINDARAJAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

Door No. 22B-3-24 situated at Eluru

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Eluru on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Akella Vankata Kaleswara Subramanayam, S/o Venkata Surya Rao, Bhadravathi, Shimoga Dt. Karnataka. (Transferor)

(2) Sri Mandava Purnachendra Rao, S/o Venkataratnam, Korlapativari Street, Powerpet, Eluru. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Eluru during the month of June, 1980 vide document No. 2736/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal.

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ANDHRA PRDESH

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1116—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing .

S. No. 549/2 situated at Va luru Villa;e

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ongole on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought of be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Damacherla Ayyanna, S/o Ankanna, T. Naidu Palem Village.

(Transferor)

(2) Sri Damacherla Venkata Krishna Rao, S/o Anjaneyulu, T. Naidu Palem Village.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Ongole during the month of June, 1980 vide document No. 1862/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 10-2-1981.
Seal.

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 10th February 1981

Ref. No. RAC No. 1117—Whereas, I, S. GOVINDARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 43/2 & 44 situated at Visakhapatnam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Visakhapatnam on June, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. (1) Sri Bondada Kodanda Rama Prabakara Rao, S/o Kondal Rao,

(2) Sri Boppudi Seshagiri Rao, S/o Sectharamayya, Visakahpatnam.

(Transferor)

(2) Visakhapatnam N.G.O.'s Co-operative House Building Society Ltd., Visakhapatnam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property was registered with the SRO, Visakhapatnam during the month of June, 1980 vide document No. 3997/80.

S. GOVINDARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 10-2-1981.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 3rd February, 1981

Ref. No. III-462/Acq./80-81. Whereas, I, H. NARAIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 782 (Part 783 Part 784 Part) holding No. 397(A) new 312 and 102 Old Ward No. 2, Circle No. 6, Patna Municipal Corporation, Exhibition Road, Patna situated at Exhibition Road, Patna.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 17-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Dr. Sudhansu Kumar Sen S/o Late Narendra Nath Sen and Trustee of Indubala Sen Trust residing at Off Frazar Road, P. S. Kotali Town and District, Patna.

2. Shri Shankar Ashutosh Sen S/o Late Ashutosh Sen and Trustee of Indubala Sen Trust residing at above Seed Corporation Office, Bank Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna.

3. Mrs. Tapti Sen widow of Late Umapati Ashutosh Sen and Trustee of Indubala Sen Trust, residing at 'Tara' Riding Road, P. S. Phulwarisari Town and District, Patna.

4. Miss Anubha Sen D/o Late Ashutosh Sen and beneficiary of Indubala Sen Trust, residing at above Seed Corporation Office, Ban k Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna.

5. Satpati Ashutosh Sen S/o Late Ashutosh Sen and beneficiary of Indubala Sen Trust, residing at above Seed Corporation Office, Bank Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna.

(Transferor)

(2) Shri Satyendra Kumar
S/o Shri Awadhesh Prasad,
stated in Deed to be residing at Exhibition Road, Patna but actually residing at Jagat Narain Road, Kadam Kuan, Patna near Patliputa High School, Patna.
(Transferee)

(3) The Associated Cement Companies Ltd.
(Person in occupation of the property)

(4) 1. Rajeshwar Prasad Shahi,
Boring Canal Road, Patna.

2. Ashiana Co-operative Housing Society Ltd.,
Frazer Road, Patna.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

[Person(s) in occupation of the Property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of land measuring 700 Sq. ft. towards north on which the northern portion of the four storied building (known as Indubala Sen Trust Building) bearing Plot No. 782 (Part 783 Part 784 Part) holding No. 397 (A) new 312 and 102 old Ward No. 2 Circle No. 6 of Patna Municipal Corporation stands running 12-1/2 feet from North to South and 56 ft. from East to West.

AND

The southern half second floor of the same four storied building fully described above with all the fittings and fixtures, situated on Exhibition Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna. The property in question has been more fully described in deed No. 4541 dated 17-6-80.

HRIDAY NARAIN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna.

Date : 13-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 3rd February 1981

Ref. No. III/463/Acq./80-81.—Whereas, I, H. NARAIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 782 (Part 783 Part 784 Part) holding No. 397 (A) new 312 and 102 Old Ward No. 2, Circle No. 6 of Patna Municipal Corporation situated at Exhibition Road, Patna

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Patna on 16-6-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Dr. Sudhansu Kumar Sen S/o Late Narendra Nath Sen and Trustee of Indubala Sen Trust residing at Off Frazer Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna.

2. Shri Shankar Ashutosh Sen S/o Late Ashutosh Sen and Trustee of Indubala Sen Trust residingt at above Seed Corporation Office, Bank Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna.

3. Mrs. Tapti Sen widow of Late Umapati Ashutosh Sen and Trustee of Indubala Sen Trust, residing at 'Tara' Riding Road, P. S. Phulwarisarif Town and District, Patna.

4. Miss Anubha Sen D/o Late Ashutosh Sen and beneficiary of Indubala Sen Trust, residing at above Seed Corporation Office, Bank Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna.

5. Satpati Ashutosh Sen S/o Late Ashutosh Sen and beneficiary of Indubala Sen Trust, residing at above Seed Corporation Office, Bank Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna.

(Transferor)

(2) Shri Brajesh Kumar
S/o Shri Awadhesh Prasad
stated in Deed to be residing at Exhibition Road, Patna but actually residing at Jagat Narain Road, Kadam Kuan Near Patliputra High School, Patna.
(Transferee)

(3) The Associated Cement Companies Ltd.
(Person in occupation of the property)

(4) 1. Rajeshwar Prasad Shahi,
Boring Canal Road, Patna.

2. Ashiana Co-operative Housing Society Ltd., Frazer Road, Patna
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of land measuring 700 sq. ft. towards north on which the northern portion of the four storeyed building (known as Indubala Sen Trust Building) bearing plot No. 782 (Part) 783 (Part) 784 (Part) holding No. 397 (A) new 312 and 102 Old Ward No. 2 Circle No. 6 of Patna Municipal Corporation stands running 12-1/2 ft. from north to south and 56 ft. from East to West.

AND

The northern half second floor of the same four storeyed building fully described above with all the fittings and fixtures, situated on Exhibition Road, P. S. Kotwali Town and District, Patna. The property in question has been more fully described in deed No. 4478 dated 16-6-1980.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 3-2-1981
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980